ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 42 अंक 1 जुलाई 2021

पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है, जो यू.जी.सी. की केयर (कंसोर्टियम फ़ॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स— के.ए.आर.ई.) पत्रिकाओं की सूची में सूचीबद्ध है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेखों, शोध पत्रों, पुस्तक समीक्षाओं आदि का प्रकाशन से पूर्व समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेषकर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य उद्देश्य मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित करना है।

लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों या संपादकीय समिति के विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

© 2021. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक (प्रभारी), रा.शै.अ.प्र.प. : श्रीधर श्रीवास्तव
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : राजरानी
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

अन्य सदस्य

राजरानी, रंजना अरोड़ा
उषा शर्मा, मधूलिका एस. पटेल
बी.पी. भारद्वाज

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक (प्रभारी) : विपिन दीवान
उत्पादन सहायक : राजेश पिप्पल

आवरण

अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 50 वार्षिक : ₹ 200

ISSN 0972-5636

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 42 **अंक 1** **जुलाई 2021**

इस अंक में

संपादकीय		3
माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन	अय्याज़ अहमद खान मोहम्मद उमैर	7
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अनुभव आधारित अधिगम	चित्ररेखा	17
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में आनुभविक अधिगम	ऋषभ कुमार मिश्र	26
विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम की बुनियाद मातृभाषा	कीर्ति सिंह अखिलेश कुमार	39
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में टेक्नालॉजी का सार्थक प्रयोग	रौमिला सोनी	50
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में स्थानीय हुनरों का समावेशन	राहुल मिश्रा राज कुमार श्रीवास्तव	59
विद्यालयी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम बदलाव की एक पहल	दीपमाला	66
विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण का ऑनलाइन मॉडल चुनौतियाँ एवं सुझाव	मनीष	73
कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं हेतु अकादमिक प्रयासों का अध्ययन	अशोक कुमार नेगी	84

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय एक प्रयास	गौरव सिंह प्रवीण कुमार तिवारी	94
परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में स्कूली अध्यापकों की चुनौतियों का विश्लेषण तथा सार्थक सुझाव	जगदीश सिंह बी.पी. भारद्वाज	102
विद्यालयी शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं अध्यापकों की भूमिका	ज्योति कुमारी दीपा मेहता	113
जनजातियों के विकास की शासकीय योजनाओं के प्रति सहरिया जनजाति की जागरूकता एवं उन पर इन योजनाओं का प्रभाव	किशना राम चौधरी अरुणा कौशिक सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	124

संपादकीय

प्रिय पाठको! आपको *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का एक साल (29 जुलाई, 2021) पूरा होने पर बधाई! कोविड-19 महामारी के संकट काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों, प्रशासकों, नीति-निर्माताओं, अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों को उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस महामारी के कारण शिक्षा में आए बदलावों के अंतर्गत, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण ही अब सामान्य शिक्षण का रूप ले चुका है, जिनमें ई-पाठशाला, एन.आर.ओ.ई.आर., *पीएम ई-विद्या चैनल, दीक्षा, निष्ठा एवं स्वयं* जैसे पोर्टल एवं एप महत्वपूर्ण हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 202*0 का एक साल पूरा होने पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई। जिनमें 'विद्या प्रवेश कार्यक्रम', 'निष्ठा 2.0', 'सफल' (बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और आकलन), राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना (एन.डी.ई.ए.आर.) और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फ़ोरम (एन.ई.टी.एफ.) का शुभारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषाओं के महत्व पर ज़ोर दिया गया है ताकि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा हो। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा को पहली बार भाषा विषय का दर्जा दिया गया है। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांगजनों को मदद मिलेगी।

यह अंक भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के इन्हीं सरोकारों के विविध रूपों को प्रस्तुत करता है, जिनमें शोध पत्र, 'माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन' प्रस्तुत किया गया है। अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति एक मार्गदर्शक की तरह है।

हमारे अनुभवों का जीवन में विशेष महत्व होता है। अनुभव आधारित अधिगम स्थायी, व्यावहारिक और कभी न भूलने वाला होता है। लेख '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* और अनुभव आधारित अधिगम' इन सभी सरोकारों पर चर्चा करता है और शिक्षा जगत से जुड़े सभी सेवाकालीन शिक्षकों और सेवा-पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों में अनुभव आधारित अधिगम की महत्ता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करता है।

आनुभविक अधिगम युक्तियों के लिए विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के अनुभवों, विचारों और मतों आदि को कक्षा में शामिल करना आवश्यक होता है। इस आधारभूत मान्यता के सापेक्ष शोध पत्र 'सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में आनुभविक अधिगम' में यह विवेचना की गई है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक विद्यार्थियों के किन अनुभवों को और कैसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सम्मिलित करते हैं?

भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें विविध संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ विद्यमान हैं। राष्ट्र की धरोहर को सहजने एवं शिक्षण-अधिगम में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। लेख 'विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम की बुनियाद— मातृभाषा' शिक्षा के माध्यम 'मातृभाषा' की एक समालोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी है। जिसमें तकनीकी का समुचित प्रयोग भी करना है, लेकिन तकनीकी के उपयोग के बारे में कई दुविधाएँ और संदेह हैं। इन्हीं तकनीकी से जुड़े सरोकारों पर केंद्रित लेख 'पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में टेक्नालॉजी का सार्थक प्रयोग' दिया गया है।

हस्त एवं लोक कला को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने और उनसे संबंधित गतिविधियों को कक्षा में प्रस्तुत करने पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विशेष बल दिया गया है। लेख 'सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में स्थानीय हुनरों का समावेशन' में उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत, इतिहास (*हमारे अतीत*) की पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु में उपयुक्त हुनर की खोज कर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।

शिक्षा में की गई प्रत्येक पहल एवं परिवर्तन के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। लेख 'विद्यालयी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम— बदलाव की एक पहल' में इन्हीं पहलुओं पर चर्चा की गई है।

शोध पत्र 'विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण का ऑनलाइन मॉडल— चुनौतियाँ एवं सुझाव' में यह पाया गया कि शिक्षण की विधियों और तरीकों; पाठ योजनाओं; कक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे— चर्चा, समूह कार्य, गतिविधियों आदि से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें नेटवर्क कनेक्टिविटी, समय का सही उपयोग, बच्चों की सहभागिता, लोकतांत्रिकता, बेहतर शिक्षण-अधिगम आदि प्रमुख हैं। इस शोध पत्र के अंतिम भाग में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।

'कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं हेतु अकादमिक प्रयासों का अध्ययन' नामक शोध पत्र में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण दूरस्थ अंचल, वन ग्राम व ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की अकादमिक गतिविधियाँ नगण्य हो गईं, जो भविष्य के लिए चिंताजनक हैं।

लेख '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय— एक प्रयास' में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ उपायों की चर्चा की गई है, जिससे भारत के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापक तैयार किए जा सकें।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रोत्साहन के लिए आकलन— परफ़ॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, केंद्र प्रायोजित महत्वपूर्ण योजना 'समग्र शिक्षा' की एक पहल है। इसी पहल के आधार पर लेख 'परफ़ॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में स्कूली अध्यापकों की चुनौतियों का विश्लेषण तथा सार्थक सुझाव' प्रस्तुत किया गया है।

वहीं लेख 'विद्यालयी शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं अध्यापकों की भूमिका' में विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास व संवर्द्धन में अध्यापकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई है।

जबकि शोध पत्र 'जनजातियों के विकास की शासकीय योजनाओं के प्रति सहरिया जनजाति की जागरूकता एवं उन पर इन योजनाओं का प्रभाव' का मुख्य उद्देश्य सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के

संदर्भ में जनजातियों के शैक्षणिक विकास से संबंधित संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना है।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने अनुभव आधारित मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, आलोचनात्मक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचारी प्रयोग, क्षेत्र (फ़ील्ड) अनुभव आदि प्रकाशन हेतु आगे दिए गए पते पर प्रेषित करेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति

पढ़ूँगी, बढ़ूँगी, सपनों के आसमान में
ऊँची उड़ूँगी, बस मौका चाहिए मुझे,
अपनी राह खुद चुनूँगी

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन

अय्याज़ अहमद खान*
मोहम्मद उमैर**

अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति एक मार्गदर्शक की तरह है, जो अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ शिक्षार्थियों में अच्छे मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। पेशेवर आचार नीति अध्यापकों के जीवन में व्यापक और सार्थक भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक अपना कार्य कर्तव्यनिष्ठा से करते हुए विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार तथा अभिभावकों के साथ मधुर संबंध स्थापित करते हैं। इस शोध पत्र में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के मध्य पेशेवर आचार नीति का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में, पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है। इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित पेशेवर आचार नीति मापनी का प्रयोग किया गया था। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक तथा आनुमानिक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। इस शोध अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है। प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के अध्यापकों के मध्य पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

इस वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धी विश्व में हम अपनी शिक्षा प्रणाली में विविध परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन अपरिहार्य हैं, जो समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भी होते रहते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी भी अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का चयन करता है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप अध्यापक और शिक्षण की अवधारणा भी दिन-प्रतिदिन बदलती रहती है, जिसका उदाहरण हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* है। आज के समकालीन युग में अध्यापक के कई कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ हैं। *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* में भी विशेष रूप से अध्यापकों के कई कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अध्यापकों को विद्यालयों में समय से उपस्थित होना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यचर्या पूरा करना तथा माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित रूप से बैठकें करके बच्चों

**अ*सिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 742 223
***अ*सिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 742 223

की प्रगति के बारे में अवगत कराना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भी भाग लेना शामिल हैं (*शिक्षा का अधिकार नियम, 2009*)। अध्यापक को अच्छी शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता के साथ पेशेवर (व्यावसायिक) आचार नीति (संहिता) का ज्ञान भी होना चाहिए। पेशेवर आचार नीति एक मार्गदर्शक की तरह है, जो अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ शिक्षार्थियों में अच्छे मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। पेशेवर आचार नीति अध्यापकों को यह बताती है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने में उनकी प्रमुख भूमिका है। पेशेवर आचार नीति अध्यापकों के जीवन में व्यापक और सार्थक भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक अपना कार्य कर्तव्यनिष्ठा से करते हुए विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार तथा अभिभावकों के साथ मधुर संबंध स्थापित रखते हैं।

आचार संहिता (नीति) व्यवसाय (पेशे) को स्व-नियंत्रित और स्व-शासित बनाती है। यह अपने सदस्यों को दूसरों के पक्षपातपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार से न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें अनुशासित भी रखती है ताकि वे पेशे के आचार संबंधी (नैतिक) सिद्धांतों तथा आदर्शों का अनुसरण करते रहें। आचार संहिता का निर्माण दो सिद्धांतों— व्यावसायिक (पेशेवर) सत्यनिष्ठा और समाज सेवा के आदर्शों पर आधारित होना चाहिए (*विद्यालयी अध्यापकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता, 2001*)। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य एक गहन ज़िम्मेदारी का काम है। अन्य पेशों, जैसे— डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि की तुलना में अध्यापक का पेशा जटिल है, क्योंकि अध्यापक, समाज तथा राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापक का कार्य ज्ञान की रचना करने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना और चरित्र का निर्माण करना है। जब तक हमारे पास मूल्यवान तथा क्षमतावान अध्यापक नहीं होंगे तब तक देश में महान दृष्टि और अच्छे चरित्र के नागरिक विकसित नहीं हो सकते हैं। इसलिए अध्यापक की भूमिका एक मानव इंजीनियर की है, जो न केवल बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है, बल्कि उच्च स्तर के समाज का भी निर्माण करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अध्यापक समाज में परिवर्तन लाने व राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापक के इस महत्व को शिक्षा आयोग (1964–66) ने बताया है कि, "अध्यापक, राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं और वे अपनी कक्षा में राष्ट्र के भाग्य को आकार देते है।" इस संदर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* ने भी कहा है, "अध्यापक की स्थिति समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है।" इस तरह की प्रेरणा निस्संदेह रूप से अध्यापकों द्वारा निभाई गई अनिवार्य भूमिका का एक रूप है।

इस दिशा में हुए शोध अध्ययनों, जैसे— कुमारी (2016) ने अपने शोध अध्ययन में बताया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के बीच बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अध्यापक उच्च श्रेणी के हों तो वो शिक्षण की ज़िम्मेदारी को अच्छे से समझ सकेंगे।

इसलिए एक अध्यापक के पास नैतिकता का कोड (संहिता या नीति) होना चाहिए, जिसे नैतिक सिद्धांतों का सेट कहा जा सकता है। कन्नान (2016) ने अपने शोध अध्ययन के द्वारा व्यावसायिक नैतिकता को गतिविधि व जाँच की प्रक्रिया बताया है और इसे गैर-नैतिक समस्याओं से अलग माना है। जब हम किसी मुद्दे व विवादों से निपटने का प्रयास करते हैं, तब नैतिकता पर अध्ययन करने से अध्यापकों के विश्वास, मूल्य और आचार नीति को जानने में सहायता मिलती है। रावत और अन्य (2012) के शोध अध्ययन से ये पता चलता है कि जागरूकता और व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र में लोगों में रुचि बढ़ी है। वास्तव में, शिक्षा के विकास के इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं है, जहाँ व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता को महत्व न दिया गया हो। अतः इस शोध अध्ययन के द्वारा शोधार्थी द्वारा अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन किया गया।

शोध का औचित्य

अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2010 में सार्वभौमिक रूप से किसी भी पेशे की तरह अध्यापकों के लिए भी पेशेवर (व्यावसायिक) नैतिकता की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए समस्त ज़िममेदारियों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ निष्पादन करें। आज हमारा समाज नैतिक मूल्यों के पतन का सामना कर रहा है। इस पतन के कारण, लगातार संघर्ष और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जबकि हमारे पेशे और क्षमताओं में असाधारण रूप से सुधार हुआ है। मानव समाज की नैतिक मूल्य-प्रणाली में बहुत से बदलाव हुए हैं। प्रकाशा और जेयामा (2012) ने बताया की बहुत जल्दी वह दिन आएगा, जब हमारे पास अत्याधुनिक गैजेट, यूरोपियन जीवन-शैली तथा भौतिकवादी मनोदृष्टि होगी। लेकिन हमारे परिवार और समाज में मूल्यों का अभाव होगा। इस भौतिकवादी युग में हर क्षेत्र में नैतिकता में कमी आई है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मूलरूप से अवसरवादी हो गया है। हालाँकि, यह मानव के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिसके फलस्वरूप हमारी पेशेवर दक्षता में भी कमी आने लगी है। जब हम अपने जीवन में उच्च स्तर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने कार्य के प्रति और अधिक निष्ठावान होना पड़ता है।

अयेनी (2018) ने सेकंडरी स्कूल के अध्यापकों पर अपने शोध अध्ययन में यह पाया कि पेशेवर आचार नीति तथा अनुदेशात्मक कार्य के मध्य सार्थक संबंध है। अतः यह स्पष्ट होता है कि वह सभी अध्यापक जो पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं और नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं; वह निश्चित रूप से अपने कार्य में उत्कृष्ट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी राष्ट्र की क्षमता का मूल्यांकन अध्यापकों के निष्पादन और उनके योगदान के आधार पर किया जाता है और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर अध्यापक में उच्च स्तर की पेशेवर आचार नीति होगी, तो समाज और राष्ट्र का निर्माण भी उच्च स्तर का होगा। अध्यापक निरंतर स्वयं के विकास के लिए और साथ ही अपने पेशेवर कौशल के विकास के लिए लगातार प्रयासरत

रहते हैं। वह अपने पेशेवर कौशल के विकास के द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। कई संस्थानों द्वारा अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति से संबंधित मानक विकसित किए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (2001) ने अखिल भारतीय प्राथमिक स्तर के अध्यापक संगठनों और उच्च कोटि के शिक्षाविदों के सहयोग से अध्यापकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की, जो मुख्य रूप से पाँच पेशेवर आदर्शों पर आधारित सूचीबद्ध है, जिसमें अध्यापकों का संबंध विद्यार्थियों, अभिभावकों या माता-पिता, समाज और राष्ट्र, अपने पेशे और सहकर्मियों तथा प्रबंधन या प्रशासन से बताया गया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (2015) ने भी अध्यापकों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया। जो मुख्यतः विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक का कर्तव्य, अभिभावकों के प्रति अध्यापक का कर्तव्य तथा सहकर्मियों के प्रति अध्यापक का कर्तव्य आदि पर आधारित है। हाल ही में इस संदर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने भी अध्यापक की पेशेवर आचार नीति के महत्व को स्वीकार करते हुए अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट विकसित करने की बात कही है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह शोध अध्ययन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेशेवर आचार नीति का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है, ताकि अध्यापक इसके महत्व को समझें और अपना कार्य पूर्ण लगन व निष्ठा से करें, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा।

समस्या कथन

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन करना।

समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की क्रियात्मक परिभाषाएँ

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा चयनित समस्या में उपयोग किए गए शब्दों की क्रियात्मक परिभाषाएँ—

माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक

माध्यमिक विद्यालय से अभिप्राय सेकंडरी स्कूल या हाई स्कूल स्तर की शिक्षा से है। इसके अंतर्गत कक्षा 10 तक की विद्यालयी शिक्षा शामिल है। अतः इस शोध अध्ययन में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों से अभिप्राय केवल वही अध्यापक हैं, जो कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं।

पेशेवर आचार नीति

पेशेवर आचार नीति से अभिप्राय पेशे (व्यवसाय) के प्रति नैतिक मापदंडों और आदर्शों से है। यह नैतिक मापदंड, अध्यापकों का समय से स्कूल में उपस्थित होना, नियमबद्ध तरीके से कार्य करना, कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, संस्थान के हितधारकों (विद्यार्थियों, सहकर्मियों तथा अभिभावकों) से मधुर संबंध स्थापित करना आदि के संदर्भ में हो सकता है।

शोध के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

- माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन करना।
- माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के मध्य पेशेवर आचार नीति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की शून्य परिकल्पनाएँ थीं—

- सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- माध्यमिक विद्यालयों के पाँच वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध अध्ययन की परिसीमाएँ

इस शोध अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण केवल पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया था।

शोध अध्ययन विधि

यह शोध, शोध की वर्णनात्मक विधि पर आधारित है। इसमें वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था।

जनसंख्या तथा प्रतिदर्श

यह शोध अध्ययन पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर के अध्यापकों पर किया गया था। प्रतिदर्श के रूप में अध्यापकों के चयन हेतु सर्वप्रथम मुर्शिदाबाद ज़िला विद्यालय परिदर्शक कार्यालय से सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सूची प्राप्त की गई। तत्पश्चात् इस जनपद से 10 सरकारी एवं 10 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया था। इसके बाद चयनित 20 माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापकों में से 100 अध्यापकों (50 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के तथा 50 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों) का चयन लाटरी विधि द्वारा किया गया। प्रत्येक 50 सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 25 पुरुष अध्यापक तथा 25 महिला अध्यापक सम्मिलित थीं। अतः न्यादर्श के रूप में कुल 100 अध्यापकों का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित पेशेवर आचार नीति मापनी का प्रयोग आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया गया। यह मापनी पेशेवर आचार नीति से संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित दायित्वों, जैसे— विद्यार्थियों, अभिभावकों, समुदाय, पेशा (व्यवसाय) एवं सहकर्मियों के प्रति अध्यापक के दायित्वों पर आधारित है। इस मापनी में कुल 20 प्रश्न हैं। जिसकी विश्वसनीयता का गुणांक .67 है, जो टेस्ट एवं रीटेस्ट विधि के द्वारा निर्धारित किया गया। पेशेवर आचार नीति मापनी में त्रिस्तरीय रेटिंग स्केल का प्रयोग किया गया व +3, +2 तथा +1 पूर्णांक सहमत, अनिश्चित एवं असहमत प्रतिक्रिया हेतु प्रदान किए गए। प्रश्नों के उत्तर न देने पर 'शून्य अंक' प्रदान किया गया। शोधार्थी द्वारा पेशेवर आचार नीति संबंधी प्राप्त अंकों को त्रिस्तरीय क्रमानुसार, उच्च स्तर आचार नीति (45 से 60 अंक), औसत स्तर की आचार नीति (25 से 44 अंक) तथा निम्न स्तर की आचार नीति (24 अंक या 24 से कम अंक) में विभक्त किया गया है। परीक्षण की अवधि 30 मिनट निर्धारित की गई थी। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक तथा आनुमानिक सांख्यिकी दोनों का प्रयोग किया गया था।

विश्लेषण तथा विवेचना

इस शोध अध्ययन से संबंधित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त सांख्यिकी प्रविधियों की सहायता से प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया। जिसका उद्देश्यवार विवरण एवं विवेचना निम्न प्रकार है—

प्रथम उद्देश्य—माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन करना

इस शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के स्तर का अध्ययन करना है। इस शोध में आँकड़ों को स्वनिर्मित पेशेवर आचार नीति मापनी के द्वारा एकत्रित किया गया। इसके पश्चात् प्राप्त आँकड़ों के आधार पर पेशेवर आचार नीति को तीन स्तरों (उच्च स्तर, औसत स्तर तथा निम्न स्तर) में विभाजित किया गया। इस मापनी की सहायता से एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए आवृत्ति तथा प्रतिशत मूल्य गणना का प्रयोग किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 93 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की पाई गई है। जबकि केवल सात प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक ऐसे पाए गए जिनकी पेशेवर आचार नीति औसत स्तर की है। परिणामस्वरूप यह पाया गया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है। अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार हैं तथा विद्यार्थी, संस्था एवं समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए नीतिबद्ध तरीके से कार्य करते हैं अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि पेशेवर आचार नीति का पालन करके अध्यापक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं और शिक्षण पेशे में होने से गौरवान्वित होते हैं। इस परिणाम के विपरीत कुची (2017) ने अपने शोध अध्ययन में यह पाया कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक औसत स्तर की पेशेवर आचार नीति रखते हैं।

द्वितीय उद्देश्य— माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रबंधन तथा अनुभव के आधार पर दो समूहों के मध्य पेशेवर आचार नीति का तुलनात्मक अध्ययन करना

इस शोध का द्वितीय उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के सरकारी एवं गैर-सरकारी अध्यापक और पाँच वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापक दोनों समूहों की पेशेवर आचार नीति के मध्य तुलना करना था। इस उद्देश्य हेतु प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका 1— माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति

पेशेवर आचार नीति का स्तरू	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च स्तर की पेशेवर आचार नीति	93	93
औसत स्तर की पेशेवर आचार नीति	07	07
निम्न स्तर की पेशेवर आचार नीति	00	00
योग	100	100.00

मध्यमान, मानक विचलन एवं t-परीक्षण द्वारा किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त परिणामों को तालिका (2 व 3) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2 से यह स्पष्ट है कि पेशेवर आचार नीति मापनी में सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों का मध्यमान (51.31) गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के मध्यमान (50.56) की तुलना में अधिक है। परंतु t-मान 0.67 (*df*-98) है। जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.99 तालिका मान से कम है। अतः प्रबंधन के आधार पर दोनों समूहों में सांख्यिकी रूप से कोई सार्थक अंतर नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना 'सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है। प्रबंधन के आधार पर सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति में अंतर का न होना एक सकारात्मक सूचना देता है कि हमारे समाज में सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापक दोनों ही अपने पेशेवर (व्यावसायिक) दायित्व का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करते हैं। अतः दोनों समूहों के अध्यापक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों एवं तकनीकों को प्रयोग करते हैं, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये सभी अध्यापक एवं अभिभावकों के साथ मधुर संबंध स्थापित रखते हैं। नाज़ (2020) ने अपने शोध अध्ययन में यह पाया कि सरकारी एवं निजी संस्थाओं में कार्यरत विद्यार्थी-अध्यापक, एकसमान पेशेवर आचार नीति रखते हैं और दोनों पेशेवर आचार नीति के प्रति मज़बूत धनात्मक अनुभूति रखते हैं। धिनाकरण और शिवकुमार (2014) ने अपने शोध कार्य में यह पाया कि प्रबंध के आधार पर हाई स्कूल के अध्यापकों के मूल्यों और पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अध्यापक चाहे सरकारी सेवा में हो या गैर-सरकारी सेवा में, सभी नियमों एवं आचार नीति को पूर्ण रूप से मानते हैं और नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं।

तालिका 3 का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि पेशेवर आचार नीति मापनी में अधिक अनुभवी अध्यापकों का मध्यमान 59.67, कम अनुभवी अध्यापकों के मध्यमान 47.53 की तुलना में अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिक अनुभवी अध्यापक अधिक पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं। अधिक अनुभवी होने के कारण ये अध्यापक अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्तर से सामंजस्य स्थापित करने, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का ध्यान रखने तथा अपने सहकर्मियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करने में अधिक सक्षम होते हैं। वह ऐसे वातावरण का निर्माण

तालिका 2— प्रबंधन के आधार पर पेशेवर आचार नीति मापनी से प्राप्त आँकड़ों के मध्यमान, मानक विचलन व t-मान की गणना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालयों के अध्यापक	50	51.31	4.33	0.67	0.05 पर स्वीकृत
गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापक	50	50.56	8.92		

तालिका 3— अनुभव के आधार पर पेशेवर आचार नीति मापनी से प्राप्त आँकड़ों के मध्यमान, मानक विचलन व t-मान की गणना

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	सार्थकता स्तर
पाँच वर्ष से अधिक अनुभवी अध्यापक	62	59.67	9.45	1.56	0.05 पर स्वीकृत
पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापक	38	47.53	7.56		

करते हैं, जो आपसी सद्भाव एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी साथियों के विचारों पर आधारित होते हैं, परंतु सांख्यिकी दृष्टिकोण से अनुभव के आधार पर अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि t-मान 1.56, तालिका मान 1.99 (0.05 सार्थकता स्तर पर) से कम है। अत: शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक विद्यालयों के पाँच वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष से कम अनुभवी अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है। अतः कह सकते हैं कि अनुभव नैतिकता को प्रभावित नहीं करता है और अधिकांश अध्यापक अपने विद्यार्थियों, सहकर्मियों एवं प्रशासन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कुची (2017) ने जम्मू एवं कश्मीर के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों पर अपने शोध में अलग परिणाम पाया, इनके शोध के अनुसार अधिक अनुभवी तथा योग्य अध्यापक ज़्यादा पेशेवर आचार नीति रखते हैं। वह अपने दायित्व का निर्वहन कम अनुभवी एवं कम योग्य अध्यापकों की तुलना में भली प्रकार करते हैं।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है अर्थात् यह सभी अध्यापक विद्यार्थियों, अभिभावकों, समुदाय और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर्तव्यनिष्ठा से करते हैं। विद्यालय प्रबंधन के आधार पर सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। साथ ही, शोध अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिक अनुभवी अध्यापकों एवं कम अनुभवी अध्यापकों के मध्य पेशेवर आचार नीति में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् प्रत्येक आयु वर्ग के अध्यापक एकसमान पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन में चयनित समस्या शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपर्णू है। आज यह आवश्यक है कि अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से किया जाए, क्योंकि अध्यापक यदि अपने पेशे (व्यवसाय) में पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं, तो वह विद्यालय में अपनी भूमिका का प्रभावी निष्पादन करने में सक्षम होंगे। इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह संतोषजनक परिणाम सामने आया कि अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति उच्च स्तर की है। परंतु अभी भी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो पूर्ण रूप से अपने पेशे में पेशेवर आचार नीति का पालन

नहीं करते हैं। इस निष्कर्ष से सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलता है कि यदि अध्यापक पूर्ण रूप से पेशेवर आचार नीति का पालन करते हैं, तो विद्यालय में अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा।

अतः प्रत्येक विद्यालय को अपने अध्यापकों के लिए पेशेवर आचार संहिता विकसित करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अध्यापकों द्वारा उसका उल्लंघन न हो। प्रत्येक विद्यालय अनुभवी अध्यापकों की एक समिति का गठन करे। यह समिति अध्यापकों के लिए पेशेवर आचार नीति मानक विकसित करने के साथ इनके पालन के लिए सभी अध्यापकों को प्रेरित करे। समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे— संगोष्ठी, व्याख्यान, कार्यशाला आदि का आयोजन विद्यालयी स्तर पर होना चाहिए, ताकि अध्यापकों को विद्यार्थियों, समुदाय एवं समाज के प्रति उनके दायित्व से अवगत कराया जा सके और समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए पेशेवर आचार नीति मानक विकसित करें और साथ में इसके पालन के लिए कठोर प्रावधान बनाए। जिसके फलस्वरूप भावी अध्यापक इसका पूर्ण रूप से पालन करना सीख सकें। इस शोध अध्ययन के माध्यम से यह सुझाव दिया जाता है कि चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों आदि की तरह अध्यापकों के लिए भी एक शपथ होनी चाहिए, ताकि अध्यापक पेशे में जुड़ने से पूर्व पेशेवर आचार नीति के प्रति ईमानदार रहने की प्रतिज्ञा ले सकें। अतः निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि प्रत्येक अध्यापक को पेशेवर आचार नीति में उच्च कोटि का होना चाहिए तभी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है।

संदर्भ

अयेनी, ए. जे. 2018. टीचर्स प्रोफ़ेशनल एथिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल परफ़ोर्मेंस ऐज़ कॉरिलेट्स ऑफ़ स्टूडेंट्स अकेडमिक परफ़ॉर्मेंस इन सेकंडरी स्कूल्स इन ओवो लोकल गवर्मेंट, ओनडो स्टेट, नाइजेरिया. *एडवांसेज इन सोशल साइंसेज रिसर्च जर्नल*. 5(8), पृष्ठ संख्या 611–622.

कन्नान, जी. 2016. ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स इन टीचर एजुकेशन. *शन्लैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन*. 4(2), पृष्ठ संख्या 36–40. 15 जनवरी, 2021 को http://www.shanlaxjournals.in/pdf/EDN/V4N2/EDN_V4_N2_007.pdf से प्राप्त किया गया है.

कुची, एस. ए. 2017. *प्रोफ़ेशनल एथिक्स अमंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स*. 30 जनवरी, 2021 को https://www.researchgate.net/publication/343151373_Professional_Ethics_among_Primary_School_Teachers से प्राप्त किया गया है.

कुमार, जे. एस. 2015. एन एप्रोच टू प्रोफ़ेशनल एथिक्स एजुकेशन फ़ॉर प्री-सर्विस टीचर्स. *एजुकेशनल क्वेस्ट—एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड अप्लाइड सोशल साइंसेज*. 6(1), पृष्ठ संख्या 61–67. 15 जनवरी, 2021 को https://www.proquest.com/com/openview/9863d7d7b1c91b50da05648ae409d07a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032163 से प्राप्त किया गया है.

कुमारी, जे. 2016. इन्विज्निंग प्रोफ़ेशनल एथिक्स इन टीचिंग प्रोफ़ेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज*. 6(12), पृष्ठ 244–250. 15 जनवरी, 2021 को https://euroasiapub.org/wp-content/uploads/2017/01/22ESSDec-4416-1.pdf से प्राप्त किया गया है.

धिनाकरण, वी. और आर. शिवकुमार. 2014. ए स्टडी ऑन मोरालिटी एंड प्रोफ़ेशनल एथिक्स ऑफ़ हाई स्कूल टीचर्स. *जर्नल ऑफ़ कंटेम्परारी एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन*. 4(6), पृष्ठ संख्या 35–38.

नाज़, आई. 2020. परसेप्शन ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स एंड पर्सनल वैल्यूज़ ऑफ़ स्टूडेंट टीचर्स इन गवर्मेंट एंड प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस. *स्टडीज़ इन इंडियन प्लेस नेम्स*. 40(10), पृष्ठ संख्या 772–778. 30 जनवरी, 2021 को https://www.researchgate.net/profile/Ishrat-Naaz-2/publication/340580127_Perception_of_Professional_Ethics_and_Personal_Values_of_Student_Teachers_in_Government_and_Private_Institutions/links/5e91e99f299bf130798fc970/Perception-of-Professional-Ethics-and-Personal-Values-of-Student-Teachers-in-Government-and-Private-Institutions.pdf से प्राप्त किया गया है.

न्याय मंत्रालय. 2009. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*. पृष्ठ संख्या 08–11. भारत का राजपत्र, भारत सरकार. 6 जुलाई, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf से प्राप्त किया गया है.

प्रकाश, जी. एस. और एच. आर. जेयामा. 2012. प्रोफ़ेशनल एथिक्स ऑफ़ टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस. *अर्था-जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज*. 11(4), पृ. 25–32. 30 जनवरी, 2021 को http://journals.christuniversity.in/index.php/artha/article/view/392 से प्राप्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986*. भारत सरकार. 30 जनवरी, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf से प्राप्त किया गया है.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृष्ठ संख्या 35. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रावत, एस. के., ए. यादव, और एस. करकरे. 2015. डिक्लाइन ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. *इंटरनेशनल जर्नल ऑन रीसेंट एंड इनोवेशन ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन*. 3(7), पृष्ठ संख्या 4775–4777. 30 जनवरी, 2021 को https://www.researchgate.net/publication/287984359_Decline_of_Professional_Ethics_in_Indian_Education_System से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्. 2010. *पेशेवर और मानवीय अध्यापक तैयार करने की दिशा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्*. भारत सरकार. 30 जनवरी, 2021 को https://scert.assam.gov.in/sites/default/files/swf_utility_folder/departments/scert_medhassu_in_oid_6/portlet/level_2/1.%20NCFTE_2010.pdf से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2001. *विद्यालयी अध्यापकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता* (अखिल भारतीय प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापक महासंघ और शिक्षाविदों ने एन.सी.ई.आर.टी. के तत्वाधान में आयोजित कार्यगोष्ठियों में तैयार किया). रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय. 2015. *कोड ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स फ़ॉर टीचर*. पृष्ठ संख्या 88–90. 10 जुलाई, 2021 को http://www.niepa.ac.in/New/Download/Publications/UnPriced/Model_Education_Code.pdf से प्राप्त किया गया है.

शिक्षा मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964–66*. भारत सरकार. 30 जनवरी, 2021 को https://dtfdu.files.wordpress.com/2013/02/kc_v3.pdf से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अनुभव आधारित अधिगम

चित्ररेखा*

हमारे अनुभवों का जीवन में विशेष महत्व होता है। वास्तविक, तथ्यात्मक, अर्थपूर्ण, समीक्षात्मक, सकारात्मक सोच, बेहतर ज्ञान, व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास, दृष्टिकोण व कौशल निर्माण आदि के विकास में हमारे अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुभव आधारित अधिगम स्थायी, व्यावहारिक और कभी न भूलने वाला होता है। यह रटने की आदत को समाप्त कर हमें व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से सीखने, यथार्थ के प्रति समझ पैदा कर हमें भावी जीवन की चुनौतियों व समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। अनुभव क्या होते हैं? अनुभव आधारित अधिगम क्या होता है? अनुभवों का अधिगम में क्या महत्व है? राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ किस प्रकार से अनुभवों के माध्यम से सीखने पर बल देती हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अनुभव आधारित अधिगम और क्रियान्वयन पर मज़बूती से बल क्यों दिया गया है? यह लेख इन सभी सरोकारों पर चर्चा करता है और शिक्षा जगत से जुड़े सभी सेवाकालीन अध्यापकों और सेवा-पूर्व अध्यापकों और विद्यार्थियों में अनुभव आधारित अधिगम की महत्ता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करता है। जिससे वे विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और कक्षा में अपनाई जाने वाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा दे सकें।

अनुभव का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को देखकर व अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए स्वयं की ज्ञान व समझ विकसित करना। अनुभव जन्मजात प्राप्त नहीं होते अर्थात् संसार का कोई भी प्राणी अनुभव लेकर पैदा नहीं होता। वह अनुभव अपने आस-पास के सामाजिक व भौतिक परिवेश से अर्जित करता है और तब तक अर्जित करता रहता है जब तक वह जीवित रहता है। इस प्रकार अनुभव अर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुभव कभी भी, कहीं पर भी अर्जित किए जा सकते हैं। यह प्रकृति, परिवेश, समाज, विद्यालय, मीडिया, परिवार, मित्र, पड़ोसी, किताबों आदि से लेकर कभी भी और किसी भी स्थान पर अर्जित किए जा सकते हैं अर्थात् अनुभव अर्जन की कोई गति, समय सीमा व कोई स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों व उसकी स्वयं की योग्यता पर निर्भर करते हैं।

जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, तब हमारे पास उसका पूर्व अनुभव हो भी सकता है या

**प्रवक्ता*, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डी.आई.ई.टी. दक्षिण-पश्चिम), घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली 110 073

नहीं भी। परंतु कार्य को लगातार करते रहने या उसके लगातार संपर्क में रहने से हम अनुभव प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं और नए अनुभव अर्जित करते हैं। अर्जित अनुभवों का पुन: प्रयोग करते हुए, उसमें कुछ और नए अनुभवों को जोड़कर उनका विस्तार करते हैं। तत्पश्चात् उनका विश्लेषण व सुधार करते हुए उन्हें हम अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे— विभिन्न व्यावहारिक जीवन कौशलों को सीखना, भाषा का औपचारिक या अनौपचारिक रूप बोलना, सीखना या फिर किसी हस्तकौशल आदि का सीखना। हमारे द्वारा अर्जित किए गए अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते, ये अनुभव हमेशा नया ज्ञान सीखने व नए अनुभव अर्जित करने में हमारी मदद करते हैं।

पूर्व अनुभव नए अनुभव अर्जन में न केवल सहायक होते हैं, अपितु निर्णय लेने व कार्यनीति बनाने में भी मदद करते हैं, उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा के परिणामों के अनुभव के आधार पर आगामी परीक्षा की तैयारी की नीति या योजना बनाना। फिर भी, अनुभव अर्जन करना व्यक्ति की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। अनुभव दो प्रकार के हो सकते हैं— (1) व्यावहारिक अनुभव (2) कौशलात्मक अनुभव। इन अनुभवों को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से सीख सकते हैं— पहला, अपने अनुभवों के द्वारा अर्थात् प्रायोगिक रूप से स्वयं कार्य करके व महसूस करके, जैसे— हस्तकला, तकनीकी कौशल आदि। दूसरा, व्यक्तियों के द्वारा साझा किए गए अनुभवों के द्वारा, जैसे— अनुभवी व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों के द्वारा। इसके अलावा भी हम अनुभव प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अर्जित कर सकते हैं।

अधिगम

अधिगम, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ होता है— सीखना अर्थात् इस प्रकार से सीखना की व्यवहार में परिवर्तन आए। अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं— (1) सकारात्मक और (2) नकारात्मक। परंतु अधिगम के अंतर्गत हम हमेशा सकारात्मक परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं और इस बात की अपेक्षा भी करते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी न होकर समय, परिस्थिति और परिपक्वता के अनुसार परिवर्तनशील एवं विकासशील हों। अनुभव की ही भाँति अधिगम भी कहीं पर और किसी से भी किया जा सकता है, जैसे— मकड़ी के द्वारा बनाए गए जाल या बया पक्षी के द्वारा बनाए गए घौंसले से यह सीखा जा सकता है कि कड़ी मेहनत व लगन से कुछ भी करना मुमकिन है।

अनुभव आधारित अधिगम

अनुभव आधारित अधिगम दो शब्दों, अनुभव एवं अधिगम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, अनुभवों के माध्यम से समझ का निर्माण एवं प्रयोग करना सीखना। यह सार्वभौमिक सत्य है कि अनुभव अधिगम में हमारी सहायता करते हैं। अधिगम और अनुभव एक-दूसरे के पूरक हैं। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी इंद्रियों के माध्यम से चाहे वह कार्य कर, प्रयोग कर, अवलोकन कर, देखकर, सूँघकर, चखकर, स्पर्श कर आदि से जो ज्ञान व कौशल अर्जित या प्राप्त किया जाता है, वह अनुभव आधारित अधिगम कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व अनुभवों के आधार पर अर्जित दक्षताएँ या योग्यताएँ ही अनुभव आधारित अधिगम हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के

अनुसार, अनुभवात्मक अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें ज्ञान अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से सृजित किया जाता है। ज्ञान का परिणाम अनुभव को समझने और बदलने के संयोजन से होता है। अनुभव और अधिगम में बहुत सीधा व गहरा संबंध है। अधिगम भी अपने आप में एक ऐसा अनुभव है, जिसका प्रयोग करके कार्य में परिवर्तन या समायोजन किया जाता है। मनुष्य जीवन भर अपने अनुभवों से सीखता रहता है और अपने व्यवहार एवं कौशल में सुधार लाने का प्रयास करता रहता है।

अनुभव अर्जन और अधिगम पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति अपने अनुभवों से कितना सीखता है, यह उसकी स्वयं की व्यक्तिगत योग्यता, इच्छाशक्ति, परिपक्वता व सीखने के लिए मिलने वाले अवसरों व सीखने की गति आदि पर निर्भर करता है। हमारे पास जितने अधिक अनुभव होते हैं और जितना अधिक हम उनका प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं, उतना ही अधिक हम सीखते हैं और व्यावहारिक रूप से कुशल बनते हैं। इसलिए अनुभव की शिक्षा ग्रहण करने व उसका उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

प्राय: यह अपेक्षा की जाती है कि अधिक आयु वाला व्यक्ति अधिक अनुभवी होगा, परंतु वास्तव में यह आवश्यक नहीं है। अनुभव और अधिगम पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम आयु वाला व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अधिक अनुभवी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि अधिक आयु वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में उतना अनुभवी न हो। छोटी आयु वाले बच्चे भी कई चीज़ों में बड़े व्यक्तियों से ज़्यादा अनुभवी होते हैं, जैसे— तकनीकी ज्ञान एवं कौशल में हमारी युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा अनुभवी है। कोई व्यक्ति कितना अनुभवी है यह उस व्यक्ति के अनुभव अर्जित करने की इच्छाशक्ति या उसे मिलने वाले अवसरों पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति ज़्यादा अनुभवी है। कम शिक्षित व्यक्ति भी ज़्यादा अनुभवी हो सकता है, उदाहरण के लिए, एक कृषि विशेषज्ञ एक किसान से कम अनुभवी हो सकता है, क्योंकि किसान मूल रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हम जीवन के व्यावहारिक अनुभवों के संदर्भ में भी देख सकते हैं।

अनुभव आधारित अधिगम की विशेषताएँ एवं महत्व

- अनुभव आधारित अधिगम हमें तीन 'अ'— आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता को विकसित करने में मदद करता है।
- अनुभव आधारित अधिगम वह 'जीवन शिक्षा' है, जो जीवन से प्राप्त होती है और जीवन के लिए होती है। यह बेहतर दृष्टिकोण का विकास कर जीवन कौशल विकसित करने में हमारी मदद करता है।
- अनुभव आधारित अधिगम का ग्राफ़ कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसकी गति धीमी हो सकती है, परंतु यह हमेशा ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता रहता है। हमारे अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, इनमें सीखने व सिखाने का गुण हमेशा समाहित रहता है।
- अनुभव आधारित अधिगम वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान व कौशल अर्जन करने एवं उसका प्रयोग करना सिखाने की एक प्रक्रिया है।

- अनुभव आधारित अधिगम स्वतंत्र चिंतन, सीखने, परखने, सुधार एवं विकास का समर्थन करता है और रचनावादी विधियों को बढ़ावा देता है।
- अनुभव आधारित अधिगम गलतियों के आकलन से सीखने को प्रेरित करता है अर्थात् हमारे द्वारा की गई गलतियाँ ही हमारे अनुभव बनकर निर्णय लेने व सिखाने का काम करती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि मनुष्य हमेशा अपनी पूर्व गलतियों (अनुभवों) से ही सीखता है।
- अनुभव आधारित अधिगम मनोवैज्ञानिक होने के साथ-साथ रुचिकर, प्रभावी, व्यावहारिक एवं दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।
- अनुभव आधारित अधिगम से हमारी मानसिक, सामाजिक, नैतिक व भावनात्मक परिपक्वता बढ़ती है।
- अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान भविष्य की नींव होते हैं। इस प्रकार अनुभव हमें भविष्य में निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- अनुभव स्थिर नहीं होते, ये लचीले एवं प्रगतिशील होते हैं। इसलिए अनुभव आधारित अधिगम लचीला होता है और उसमें समायोजन की पूरी संभावनाएँ होती हैं।
- अनुभव आधारित अधिगम समस्या-समाधान व चुनौतियों का सामना करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
- अनुभव आधारित अधिगम औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेत्तर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में किया जा सकता है।
- विभिन्न घटनाएँ, कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु, व्यवहार अवलोकन, परिवार एवं साथी, समाज व अपने आस-पास का परिवेश आदि अनुभव आधारित अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- पुरानी एवं अन्य व्यक्तियों की बातों या घटनाओं को पुन:स्मरण करके व उनका समीक्षात्मक अध्ययन करके भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
- पुराने अनुभव नए अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस प्रकार से किया गया अधिगम सकारात्मक अनुभव आधारित अधिगम हस्तांतरण कहलाता है।
- अनुभव आधारित अधिगम का क्षेत्र व्यापक है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे— शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, कार्यात्मक, कलात्मक, कौशल, तकनीकी, व्यक्तिगत, सामूहिक अनुभव आधारित अधिगम आदि। यह सभी विषयों और सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है तथा इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग भी किया जा सकता है।
- यह सर्वमान्य सत्य है कि अपने अनुभवों द्वारा सीखा गया ज्ञान टिकाऊ होता है, परंतु यह भी सत्य है कि इस प्रकार से सीखने में समय और श्रम अधिक लगता है। इसके विपरीत दूसरे के अनुभवों का प्रयोग करते हुए सीखना आसान होता है और इससे समय व श्रम की बचत भी होती है। परंतु इस प्रकार का सीखना तकनीकी, कला, हस्त कौशल और गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों पर बहुत लागू नहीं होता है। वैचारिक अनुभवों के क्षेत्र में हम दूसरों के द्वारा साझा किए गए अनुभवों से सीख सकते हैं, परंतु जब कौशलों के सीखने और करके सीखने की बात हो तो उस क्षेत्र में हमें अपने स्वयं के अनुभवों का प्रयोग करना होगा।

अनुभव आधारित अधिगम के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवहारात्मक व कौशलात्मक रूप से कुशल बनाकर उनके भविष्य को न केवल सुधारा जा सकता है, बल्कि शिक्षा की मज़बूत नींव रखी जा सकती है। इस बात को गाँधीजी ने स्वीकार करते हुए बुनियादी शिक्षा (1937) जिसे वर्धा योजना, नयी तालीम, बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से अनुभव आधारित अधिगम पर विद्यालयों में शिक्षा देने की सिफ़ारिश की थी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं के द्वारा भी अनुभवात्मक अधिगम द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े विभिन्न शैक्षिक सिद्धांतों, सरकार की शैक्षिक नीतियों, शैक्षिक कानूनों और नियमों आदि का एक ऐसा विस्तृत संग्रह है, जो शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों (पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा) पर संचालन के लिए व्यापक रूप से तैयार की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान व भावी समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना होता है। अब तक हमारे देश में तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाई गई हैं। पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में बनाई गई। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* लगभग 34 वर्ष बाद बनी। इन सभी शिक्षा नीतियों की अपनी-अपनी विशेषता रही है। परंतु इन सब नीतियों का प्रमुख ध्येय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देना और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रयास करना है, जो विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव प्रदान करते हुए उनमें समझ विकसित करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करके वास्तविक अनुभव प्रदान कराने के लिए कार्यानुभव को शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर दिया गया और वहीं *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* में विद्यार्थियों को अनुभवों के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु सामाजिक उपयोगिता उत्पादक कार्य (एस.यू.पी.डब्ल्यू.) और कार्यानुभव विषयों को पाठ्यचर्या में शामिल करने का सुझाव देकर इसे लागू भी किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु 4.6 और 4.7 में अनुभव आधारित अधिगम विषय को गंभीर और महत्वपूर्ण मानते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयोग आधारित अधिगम को अपनाने की अनुशंसा करते हुए विद्यार्थियों को करके सीखने के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसे जीवंत व वास्तविक रूप देने के लिए कला, खेल-खिलौनों आदि द्वारा समेकित शिक्षणशास्त्र के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शामिल करने पर बल दिया गया है ताकि वांछनीय अधिगम प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ

'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ' पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुभव प्रदान करने वाली विभिन्न क्रियाओं की एक योजना है। जो शिक्षार्थियों के सर्वांगीण (सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, नैतिक आदि) विकास पर केंद्रित होती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण में शिक्षा एवं समाज से जुड़े अनुभवों एवं जानकारियों का समावेश किया जाता है, जो देश व बच्चों के वर्तमान व भावी विकास के लिए ज़रूरी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का विद्यालयी शिक्षा में क्रियान्वयन करने के लिए हमारे देश में अब तक चार राष्ट्रीय

पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ विकसित की जा चुकी हैं। पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 1975, दूसरी वर्ष 1988, तीसरी वर्ष 2000 और चौथी वर्ष 2005 में विकसित की गई थी। इन सभी में अनुभव आधारित अधिगम, शैक्षिक गतिविधियों और कार्यानुभव को शामिल किया गया। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2021 में बनाने का प्रस्ताव किया गया है और बिंदु 4.6 और 4.7 को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने पर बल दिया गया है।

गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि इन सबका मुख्य ध्येय विद्यार्थियों को कला, हस्तकला कौशलों आदि विषयों के माध्यम से प्रायोगिक अनुभव व कौशलात्मक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है।

अनुभव-आधारित अधिगम हेतु सुझाव

विद्यालय स्तर पर

- पाठ्यचर्या, अधिगम आधारित अनुभवों से जुड़े क्रियाकलापों का एक पूर्व नियोजन है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, नैतिक व व्यावहारिक अनुभवों आदि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशलों, व्यावहारिक ज्ञान व दृष्टिकोणों आदि का विकास कर सकते हैं। पाठ्यचर्या का उद्देश्य विद्यार्थी को एक सुदृढ़, स्पष्ट और प्रभावी अधिगम अनुभव प्रदान करना होता है। जो उनके दैनिक जीवन व भविष्य में काम आए इसलिए विद्यालयी स्तर पर पाठ्यचर्या के अंतर्गत अधिगम अनुभवों के विभिन्न पहलुओं एवं आयामों, करके सीखने आदि को उनके प्रतिफलों सहित विभिन्न वास्तविक रूपों में शामिल कर उन्हें ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ताकि शिक्षा को न केवल जीवंत बनाया जा सके, बल्कि विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करना सिखाया जा सके।
- पाठ्यपुस्तक व पाठ्यवस्तु अनुभव प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में और अधिक सहायक हो सकती है। पाठ्यपुस्तक, पाठ्यवस्तु का एक व्यवस्थित भंडार है। पाठ्यपुस्तक में दी गई पाठ्यवस्तु कक्षा के अंदर व बाहर दोनों जगह अध्यापक और विद्यार्थी को अधिगम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। पाठ्यवस्तु की रचना करते समय उसमें इस प्रकार की विषय सामग्री शामिल करनी होगी, जिससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति के साथ-साथ अनुभव अर्जित करने के समुचित अवसर मिलें, जैसे— विभिन्न प्रकार की घटनाओं, कहानियों व जीवनियों आदि को शामिल करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों को भी शामिल किया जाए।
- अनुभव आधारित अधिगम का प्रयोग सामाजिक विज्ञान विषय विशेषकर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषयों के अधिगम के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक व समसामयिक घटनाओं का वर्णन, कहानी व घटना आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। आर्थिक क्रियाओं के लिए, ऐतिहासिक विरासत

के महत्व व संरक्षण के बारे में सीखने के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण (फ़ील्ड विज़िट) पर ले जाना चाहिए और इसी प्रकार के प्रयास अन्य विषयों में भी किए जाने चाहिए।

- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय सामग्री को पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं के शैक्षिक अनुभवों व अपने जीवन के संघर्षों को भी शामिल कर सकते हैं। अध्यापकों के पास शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव होते हैं। वे अपने अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग व मार्गदर्शन भी कर सकते हैं।
- अभिभावकों के विशेष अनुभवों को भी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल कर विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों से परिचित किया जा सकता है। विद्यार्थियों में यह जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी कि वे अपने माता-पिता के जीवन के संघर्षों को जानें व तद्नुभुति करते हुए उनके वास्तविक व विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करें।
- पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने व रचनात्मक शिक्षण-अधिगम विधियों के प्रयोग की सही जानकारी के अभाव में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान हमारे अध्यापकों के द्वारा व्याख्यान या सैद्धांतिक अथवा पारंपरिक विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है, जो अनुभव प्रदान करने में कम सहायक होती है जबकि प्रोजेक्ट विधि, क्रियात्मक विधि, खेल विधि, क्षेत्र भ्रमण व समस्या-समाधान विधि आदि में अधिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। समस्या-समाधान विधि द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएँ रखकर उन्हें वास्तविक अनुभव प्रदान करना सबसे सटीक एवं महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि अन्य विधियों, जैसे— खोजपूर्ण, करके सीखना आदि को अपने आप में समाहित किए हुए है। इसलिए विद्यालयी स्तर पर हमारे अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की अनुभव आधारित शिक्षण-अधिगम विधियों व सृजनात्मक उपागमों को कक्षा में प्रयोग करने के लिए प्रेरित व जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम विधियों के प्रति समझ व उनका प्रयोग करना, सिखाने की भी आवश्यकता है।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल प्रत्यक्ष व वास्तविक अनुभव प्रदान कर सकते हैं, बल्कि उनकी भ्रांतियों को दूर कर उनके विचारों में अधिक स्पष्टता ला सकते हैं। प्राय: यह देखा गया है कि विद्यालयी स्तर पर कक्षा में शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग कम किया जाता है। इसलिए अनुभव आधारित विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम विधियों और शिक्षण-अधिगम सामग्री के व्यावहारिक प्रयोग पर बल देना होगा।
- विद्यालय या कक्षा के अंदर व बाहर विद्यार्थियों को वास्तविक या उसी प्रकार का कृत्रिम अर्थात् बनावटी वातावरण, सुविधाएँ या परिस्थितियाँ प्रदान करनी होंगी, जिसमें विद्यार्थी अभ्यास करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सीख सकें।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सकारात्मक लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करना होगा व उन्हें अपने अनुभव साझा करने के अवसर देने

होंगे। कक्षा के अंदर व बाहर विद्यार्थियों के विचारों को महत्ता देने के साथ-साथ उनका सम्मान भी करना होगा।

अध्यापक शिक्षा संस्थान स्तर पर

- अध्यापक शिक्षा में अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष रूप से बल दिया जाए और यदि संभव हो तो इसे पाठ्यचर्या में एक अलग विषय के रूप में या उसके एक अंग के रूप में शामिल किया जाए। इसके अलावा इसमें निम्न बिंदुओं को विस्तार से शामिल किया जाए, जैसे—
  - (i) अनुभव आधारित अधिगम क्या हैं?
  - (ii) अनुभव आधारित अधिगम की प्रकृति क्या है?
  - (iii) अनुभव आधारित अधिगम की क्या महत्ता है?
  - (iv) यह प्रयोगात्मक अनुभव से कैसे भिन्न है?
  - (v) व्यवहारात्मक व कौशलात्मक अनुभव में क्या अंतर हैं?
  - (vi) अनुभव कैसे और कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं?
  - (vii) अनुभव कितने प्रकार के हो सकते हैं?
  - (viii) अनुभव प्राप्त कराने के लिए कौन कौन-सी शिक्षण विधियाँ उपयुक्त हो सकती हैं? और कैसे?
  - (ix) अनुभव आधारित अधिगम सभी स्तर पर (पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, तथा उच्च स्तर) या किस स्तर पर ज़्यादा उपयोगी हो सकता है? और क्यों?
  - (x) इसे कला एवं तकनीकी विषयों के साथ-साथ सभी विषयों के लिए और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है?
  - (xi) एक अध्यापक, विद्यार्थी और समाज के लिए इसकी उपयोगिता क्या है? आदि।
- अनुभव आधारित अधिगम पर विस्तृत रूप से न केवल अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, बल्कि कार्यशालाओं का आयोजन कर इसकी महत्ता को व्यावहारिक रूप से समझाया जाना चाहिए। ताकि विद्यार्थी-अध्यापक इस प्रकार के अधिगम से न केवल स्वयं के ज्ञान का सृजन करें, बल्कि उचित रोज़गार प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय में भी विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव आधारित अधिगम द्वारा ज्ञान सृजन का अवसर प्रदान कर सकें।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री के अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधन होते हैं, जो वास्तविक शिक्षण-अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षा के दौरान विद्यार्थी-अध्यापकों को शिक्षण-अधिगम सामग्री के निर्माण, उसके प्रयोग एवं उसकी उपयोगिता सिखाने पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि उन्हें उचित रोज़गार प्राप्त होने के पश्चात् वे विद्यालयों में इनका प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को अनुभवों के माध्यम से अधिगम कराने में सकारात्मक भूमिका निभा सकें।
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थी-अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान कराने वाली शिक्षण-अधिगम विधियों का प्रयोग कर वास्तविक अनुभव प्रदान करना होगा। अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षण-अधिगम सामग्री के निर्माण, उसके प्रयोग एवं उसकी उपयोगिता पर विशेष बल देना होगा।
- अनुभव आधारित अधिगम पर विस्तृत रूप से अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना और

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुमोदित अनुभव आधारित अधिगम विधि, करके सीखने व अन्य विद्यार्थी-केंद्रित विधियों के लिए किए गए अन्य प्रावधानों, जैसे— कला एकीकृत, खेल एकीकृत, खिलौना आधारित शिक्षण, कहानी आधारित शिक्षणशास्त्र के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल देना आदि।

निष्कर्ष

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों को विषयों का सैद्धांतिक व तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, परंतु वह ज्ञान रटकर या रटाकर प्रदान किया जाए तो विद्यार्थी वह जीवन ज्ञान व्यावहारिक जीवन में नहीं कर पाएँगे। इसलिए विद्यार्थियों को पूर्व-प्राथमिक स्तर से ही अनुभव आधारित ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करें। उसे सीखने और स्वयं प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि वह स्वयं तथ्यों को खोजें, स्वयं उसका प्रयोग करें और अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालें तथा एक नए ज्ञान की खोज कर स्वावलम्बी बनें। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020* में भी इस ओर संकेत करते हुए इस बात की अनुशंसा की गई है कि विद्यार्थियों को वास्तविक, व्यवहारात्मक और कौशलात्मक अनुभव प्रदान करने और उनके प्रति समझ पैदा करने के लिए सटीक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 1968. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में आनुभविक अधिगम

ऋषभ कुमार मिश्र*

सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सूचना केंद्रिकता के स्थान पर संवादपरकता बढ़ाने के लिए आनुभविक अधिगम परिवेश आवश्यक होता है। इसके लिए कक्षा-चर्चा में विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों, विचारों और मतों आदि को सम्मिलित करने का सुझाव दिया जाता है। इस तरह के सुझावों से परिचित होने के बाद भी मुख्य समस्या यह है कि हम विद्यार्थियों के किन अनुभवों को कक्षा में सम्मिलित करें? इनका पाठ के साथ कैसे एकीकरण हो? कौन-सी शिक्षणशास्त्रीय युक्तियाँ इस कार्य में अध्यापक का सहयोग करती हैं? प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल पर आधारित है। इस शोध पत्र में सर्वप्रथम आनुभविक अधिगम के प्रति सामाजिक विज्ञान अध्यापकों के दृष्टिकोण की विवेचना की गई है। तदुपरांत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं के अवलोकनों को आधार बनाकर आनुभविक अधिगम की संभावनाओं और समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके आधार पर यह व्याख्या की गई है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक विद्यार्थियों के किन अनुभवों को और कैसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सम्मिलित कर सकते हैं? वे अपनी कक्षा में संवादपरक अधिगम संस्कृति बनाने के लिए किन शिक्षणशास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं?

अध्यापकों के एक समूह के साथ *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की संस्तुतियों पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान उभरकर आया कि यह नीति विद्यालय स्तर पर आनुभविक अधिगम पर बल देती है। इस विषय पर जब चर्चा आगे बढ़ी तो सहभागी अध्यापकों की सहमति थी कि कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों को स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए अध्यापकों द्वारा निर्माणवाद, बाल-केंद्रित शिक्षण और खेल-आधारित शिक्षण जैसी संज्ञाओं का प्रयोग किया गया। इन अध्यापकों ने जॉन डीवी, कोल्ब, वायगोत्स्की जैसे निर्माणवादी विचारकों, गांधी और टैगोर जैसे भारतीय शिक्षाविदों को आनुभविक अधिगम का समर्थक बताया। अध्यापकों ने इस तथ्य का भी संदर्भ दिया कि पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र से संबंधित नीतिगत दस्तावेज़ भी आनुभविक अधिगम का समर्थन करते हैं। इसके लिए समूह ने *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* का उदाहरण भी दिया। इस समूह चर्चा में यह भी सहमति बनी कि विद्यार्थियों के अनुभव का तात्पर्य केवल सूचनाओं द्वारा विषय की शब्दावली एवं सिद्धांतों से परिचित होना नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों एवं

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा अध्ययनशाला, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442 001

घटनाओं से जोड़ते हुए उनकी व्याख्या, मनन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया है। आनुभविक अधिगम दैनिक जीवन के अनुभवों एवं ज्ञान, देशज ज्ञान और विद्यालयी ज्ञान की पारस्परिकता को केंद्र में रखता है। आनुभविक अधिगम सीखने के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासा को पोषित करता है। परिणामस्वरूप, विद्यालयी शिक्षा बोझ न बनकर आनंद बन जाती है। कक्षा में विषय को जीवनानुभवों से जोड़कर सीखने के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की चिंतन एवं विचार दृष्टि में बदलाव होता है। इस सैद्धांतिक सहमति के साथ दो समस्याएँ भी पैदा हुईं कि कक्षा में विद्यार्थियों के किन अनुभवों को शामिल किया जाए? और विद्यार्थियों के अनुभवों को कैसे शामिल किया जाए? यह लेख सामाजिक विज्ञान शिक्षण का संदर्भ लेते हुए इन्हीं दो प्रश्नों की व्याख्या करने का प्रयास करता है।

कक्षा में विद्यार्थियों के अनुभव— संभावित संसाधन एवं शिक्षणशास्त्रीय युक्तियाँ

पिछले कुछ वर्षों में सीखने की प्रक्रिया को समझने की सैद्धांतिक दृष्टियों एवं तदनुरूप अभ्यासों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के फलस्वरूप कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता, अध्यापक द्वारा ज्ञान की रचना को सुगम बनाने और किताबी अवधारणाओं को विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जोड़ने के सिद्धांतों को स्वीकृति मिली है। इन सिद्धांतों को हमारे नीतिगत दस्तावेज़ों, जैसे— *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में स्थान दिया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के विद्यालयी शिक्षा से संबंधित पाठ्यचर्यात्मक सुधारों में इन सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की गई है। यदि शोध कार्यों को देखा जाए तो वे भी विद्यार्थियों के अनुभवों के संभाव्य स्रोतों एवं शिक्षणशास्त्रीय युक्तियों पर प्रकाश डालते हैं।

मोल और अन्य (1992) ने अपने शोध कार्य में पाया कि यदि अध्यापक विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और अभ्यास से परिचित होते हैं और उसका कक्षा में उपयोग करते हैं तो वंचित वर्ग के विद्यार्थी आरंभिक साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करते हैं। ली (2006) ने विज्ञान की कक्षा में प्रयोगों के आधार पर बताया कि विद्यार्थियों की दैनिक जीवन की गतिविधियों पर बात करने और मनन करने से उन्हें विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इसका विद्यार्थियों की उपलब्धि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डोब्रिन (2006) का मानना है कि आनुभविक शिक्षण के कारण विद्यार्थी विद्यालय के बाहर की घटनाओं के प्रति भी सजग होते हैं और उनके ज्ञान के अनुप्रयोग का स्तर बढ़ जाता है। मोजे और अन्य (2004) ने इसी शोध कार्य को आधार बनाकर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में बताया कि परिवार, समुदाय, हमउम्र साथी और जनसंचार के लोकप्रिय माध्यमों से अर्जित अनुभवों का प्रयोग करने से आनुभविक अधिगम पुष्ट होता है।

मिश्रा (2017) के शोध कार्य में भी पाया गया कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों के समुदाय और परिवार की वास्तविक समस्याओं एवं अनुभवों का प्रयोग कर कक्षा को आनुभविक बनाया जा सकता है। सिलसेथ और अर्सटाड (2018) ने अपने शोध कार्य में पाया कि अध्यापक कक्षा को विद्यार्थियों के संदर्भानुकूल बनाने के लिए विद्यार्थियों के स्थानीय समुदाय की विशेषताओं, उनके निजी

अनुभवों, उनकी यात्राओं और मूर्त वस्तुओं के साथ अंतःक्रियाओं के अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं। बंसल (2018) ने भारत के विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाओं का अवलोकन किया। इसके आधार पर बताया कि कक्षा में अध्यापकों द्वारा आनुभविक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए विषय-वस्तु के साथ सहभागिता को बढ़ाने वाली शिक्षणशास्त्रीय युक्तियों के प्रयोग पर बल देना चाहिए। कक्षा में समस्या-समाधान और अन्वेषण आधारित उपागमों का प्रयोग करना चाहिए।

कक्षा में होने वाली बातचीत से जुड़े शोध कार्यों की समीक्षा करते हुए सोयसल (2019) ने आनुभविक अधिगम एवं ज्ञान के निर्माण में योगदान करने वाली कक्षा-चर्चा के कुछ प्रारूपों और विशेषताओं को पहचाना है—

- **खोजपूर्ण वार्ता**— बार्नेस (1976) और नील मर्सर (1995) ने अपने शोध कार्यों में ज्ञान के निर्माण और आनुभविक अधिगम में सहायता प्रदान करने के लिए कक्षा में होने वाले संवाद को खोजपूर्ण वार्ता की संज्ञा दी है। इस तरह की बातचीत की प्रमुख विशेषता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य को चर्चा में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जाता है। कक्षा चर्चा में उनके योगदान की सराहना की जाती है। उनके द्वारा व्यक्त विचारों, अनुभवों और मतों के लिए कारण पूछे जाते हैं। विचाराभिव्यक्ति के बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों पर विचार एवं मनन के लिए सहभागी तैयार रहता है। यहाँ पर वक्ता से प्रश्न पूछने का उद्देश्य उसकी आलोचना करना एवं हतोत्साहित करना नहीं होता, बल्कि चर्चा को सार्थक दिशा में आगे बढ़ाना होता है। इसके आधार पर ही समूह विषय से संबंधित निष्कर्षों की ओर बढ़ता है। खोजपूर्ण वार्ता के साथ-साथ मर्सर (1995) ने दो अन्य वार्ताओं का उल्लेख किया है— विवादास्पद वार्ता, जिसमें वक्ता के विचारों की आलोचना करना हमारा उद्देश्य होता है। इस तरह की चर्चा के दौरान कक्षा विचारों के स्वागत एवं सराहना के स्थान पर वक्ताओं को हतोत्साहित करने की ओर बढ़ती है। संचयात्मक वार्ता, जिसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों स्वीकार लिया जाता है। उन्हें दोहराया जाता है। उनका समर्थन किया जाता है, लेकिन उन पर प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं। इस तरह की वार्ता में विचारों का स्वागत होता है, लेकिन वे असंबंधित रह जाते हैं। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा 'अंतिम निष्कर्ष' बताए जाने की प्रतीक्षा करते हैं।
- **सहयोगात्मक तर्क (कोलैबोरेटिव रीज़निंग)**— एंडरसन और अन्य (1998) ने अपने शोध कार्य में आनुभविक अधिगम के लिए कक्षा अंत: क्रिया के प्रारूप को सहयोगात्मक तर्क (कोलैबोरेटिव रीज़निंग) कहा है। इसमें कक्षा एक निर्धारित पाठ्यसामग्री का पठन करती है। इसके बाद इस पाठ्यसामग्री से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक के पास पहले से ही तैयार कुछ प्रश्न होते हैं जिनके आधार पर वह कक्षा की चर्चा को विषय-केंद्रित रखता है। इन प्रश्नों के आधार पर विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी अपने साथियों के विचारों को सुनते हैं और कक्षा में तर्क-वितर्क करते हैं। कक्षा के तर्क-वितर्क का उद्देश्य किसी को सही या गलत सिद्ध करने के बजाय आपसी बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तरों की खोज करना होता है।

- **उत्तरदायी वार्ता**— मिशेल्स, ओकूनर और रेसनिक (2008) ने कक्षा की चर्चा में उत्तरदायी वार्ता प्रारूप की चर्चा की है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने और उसके पक्ष में तर्क देने को कहा जाता है। यह वार्ता विद्यार्थी को अपने विचारों के प्रति सचेत रहने, अनुभवों के प्रति संज्ञानात्मक क्रियाओं में जोड़ने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी तर्क का समर्थन और खंडन करना सीखते हैं।
- **सामूहिक तर्क-वितर्क (कलेक्टिव आर्ग्युमेंटेशन)**— ब्राउल और रेनशा (2002) के अनुसार, इस प्रारूप में विद्यार्थी एक-दूसरे को लक्षित कर अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि वे अध्यापक को केंद्र में रखकर अपनी बातों को कहते हैं। इसमें विद्यार्थी पहले छोटे समूह में दी गई समस्या पर विचार-विमर्श करते हैं। समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास करते हैं। तदुपरांत वे कक्षा के सम्मुख प्रस्तुति देते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को वैयक्तिक अनुभवों के साथ समूह में भागीदारी करने और समूह के सदस्य के रूप में खोजे गए समाधान पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिलता है।
- **संवादपरक वार्ता**— इसका प्रतिपादन एलेक्ज़ेंडर (2006) ने किया था। इसमें अध्यापक स्वयं संवाद के संचालक की भूमिका में होता है। कक्षा के संचालक की भूमिका में अध्यापक द्वारा आरंभ की गई चर्चा में विद्यार्थी दूसरे के विचारों को सुनते हैं। उन पर बहस करते हैं। उनका परीक्षण करते हैं। वैकल्पिक विचारों को खोजते हैं। अध्यापक कक्षा के मार्गदर्शन के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछता है।

कक्षा वार्ता के उपर्युक्त प्रारूपों की समीक्षा की जाए तो कक्षा में आनुभविक अधिगम के लिए कुछ सूत्र पहचाने जा सकते हैं। कक्षा में होने वाली चर्चा में स्पष्टता और बोधगम्यता होनी चाहिए। कक्षा में जब अधिकांश सदस्यों की भागीदारी होती है तो उस समय एक चुनौती यह प्रतीत होती है कि क्या विद्यार्थियों और अध्यापक के विचार कक्षा के सभी सदस्यों तक संप्रेषित हो रहे हैं? और क्या कक्षा के सहभागियों की अभिव्यक्ति में वैचारिक स्पष्टता है? इसके लिए अध्यापक विद्यार्थियों के साथ मिलकर कक्षा में बातचीत के कुछ नियम बनाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य अनुशासित करने के बजाय कक्षा में विचारों के प्रवाह को सुगम बनाना होता है। कक्षा मानकों का निर्माण इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना झिझक के कक्षा चर्चा में सहभागिता करे और उसके विचार अन्य विद्यार्थियों तक स्पष्टता से संप्रेषित हों। इस प्रक्रिया में जहाँ-जहाँ अस्पष्टता की संभावनाएँ बनती हैं वहाँ अध्यापक चर्चा के समन्वय की भूमिका में आता है।

कक्षा चर्चा में केवल विचाराभिव्यक्ति ही पर्याप्त नहीं है। विचारों पर मनन एवं संवाद ज्ञान के निर्माण का आधार होता है। अध्यापक को कक्षा में विवादास्पद वार्ता और संचयात्मक वार्ता के स्थान पर विद्यार्थियों के साथ ऐसी कक्षा संस्कृति बनानी होती है, जहाँ वे विद्यार्थियों के साथ एक-दूसरे के विचारों को सुनने, उन्हें तर्कों के आधार पर स्वीकार करने और निरस्त करने का अभ्यास कर सकें। तीसरा लक्ष्य होता है कि कक्षा में समुदाय बोध को विकसित किया जा सके। उनमें सहमति हो कि वे कक्षा रूपी समुदाय के सक्रिय सहभागी हैं और वे अपने सीखने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। जैसे ही अध्यापक विद्यार्थियों के

विचारों को स्वीकार करना और सुनना आरंभ करता है वैसे ही कक्षा में यह आत्मविश्वास पैदा होता है कि कक्षा उनकी है। विद्यार्थियों को यह भी संप्रेषित करना होता है कि वे केवल बोलने या सुनने वाले नहीं हैं, बोलने या सुनने के बीच जो संवाद की अन्य प्रक्रियाएँ हैं—पूछना, तर्क करना, प्रमाण माँगना आदि भी कक्षा में स्वागत किए जाएँगे। इन युक्तियों के द्वारा कक्षा में आ रहे विभिन्न विचारों के बीच मत-भिन्नता या आलोचना के स्थान पर मनन द्वारा संवाद एवं समझौते के प्रारूप को अपनाना चाहिए। इस तरह से कक्षा में अध्यापक की भूमिका ज्ञान देने वाले की न होकर ज्ञान के निर्माण में सुगमकर्ता की बन जाती है।

विधि

यह शोध कार्य वर्धा ज़िले के एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया। इस शोध अध्ययन में उक्त विद्यालय के सामाजिक विज्ञान अध्यापक की कक्षाओं का अवलोकन किया गया। इस कार्य के लिए पंचायत, संसाधन एवं नगरीकरण इकाइयों के शिक्षण से संबंधित 14 कक्षाओं का अवलोकन किया गया। प्रत्येक कक्षा की अवधि 35 मिनट थी। कक्षा अवलोकनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। तदुपरांत इन कक्षा अवलोकनों का लिप्यांतरण किया गया। इस लिप्यांतरण का दो स्तरों पर विश्लेषण किया गया। सबसे पहले उन प्रकरणों की पहचान की गई जिसमें विद्यार्थियों के विद्यालयेत्तर अनुभवों पर चर्चा की गई थी। पंचायत, नगरीकरण और संसाधन इन तीनों इकाइयों में कुल 108 प्रकरण पहचाने गए। इन्हें तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय स्तर पर अध्यापक द्वारा प्रयुक्त उन शिक्षणशास्त्रीय युक्तियों को पहचाना गया जिसके द्वारा विद्यार्थियों के विद्यालयेत्तर अनुभवों का कक्षा में समावेश किया गया था। इसके लिए कक्षा में विद्यार्थियों के किन अनुभवों का प्रयोग किया गया? इन युक्तियों को तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1— सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों के विद्यालयेत्तर अनुभवों की प्रकृति

घटक	इकाईवार प्रकरणों की संख्या			कुल
	पंचायत	*नगरीकरण*	*संसाधन*	
स्थानीय समुदाय की विशेषताएँ	9	7	5	21
पारिवारिक अनुभव	3	7	6	16
विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ	4	5	7	16
जनसंचार के माध्यमों का संदर्भ	7	12	10	29
समुदाय की आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	11	9	6	26

तालिका 2— आनुभविक अधिगम के लिए अध्यापक द्वारा प्रयुक्त शिक्षणशास्त्रीय युक्तियाँ

वृहद् घटक	शिक्षणशास्त्रीय युक्ति	पंचायत	नगरीकरण	संसाधन	कुल
स्पष्टता एवं बोधगम्यता	विचारों के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध या प्रश्न पूछना	8	9	12	29
	विचारों के विस्तार के लिए प्रश्न	10	9	7	26
	विचार-विस्तार के लिए अन्य विद्यार्थियों को आमंत्रित करना	9	7	11	27
	भाषिक अभिव्यक्ति में परिमार्जन	11	7	13	31
मनन एवं संवर्धन	विचारोद्दीपक प्रश्न पूछना	16	14	12	42
	विचारों से असहमति व्यक्त करना	7	5	7	19
	परिकल्पनात्मक स्थितियों पर विचार	4	3	6	13
कक्षा में सामूहिकता का बोध	विद्यार्थियों के अनुभवों की व्याख्या	14	15	12	41
	विद्यार्थियों के अनुभवों की शृंखला बनाना	6	12	6	24
	समतुल्य उदाहरणों को साझा करना	9	9	11	29
	एकाधिक एवं वैकल्पिक अनुभवों का समावेश	7	6	10	23

सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों का अनुभव

स्थानीय समुदाय की विशेषताओं का उपयोग

कक्षा अवलोकन में पाया गया कि अध्यापक द्वारा चयनित प्रकरणों से परिचित कराने के लिए शिक्षण के दौरान स्थानीय समुदायों की विशेषताओं का संदर्भ लिया गया। प्रायः अध्यापक ने कक्षा में विद्यार्थियों को अपने परिवेश के अवलोकनों को साझा करने के लिए कहा। उदाहरण के लिए, पंचायत प्रकरण पर चर्चा के दौरान अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके गाँव की सड़कों का निर्माण किसने कराया? गाँव में बने तालाब को कैसे तैयार किया गया? पंचायत चुनाव के दौरान विद्यार्थियों ने क्या-क्या देखा? ऐसे ही अध्यापक ने नगरीकरण के प्रकरण के दौरान कहा कि विद्यार्थी नगर और गाँव की सीमा पर बन रही इमारतों की विशेषता के बारे में बताएँ। इसके अलावा अध्यापक ने विद्यार्थियों को स्थानीय घरों और बन रही बहुमंज़िला इमारतों की तुलना करने का कार्य भी दिया। संसाधन प्रकरण के शिक्षण के दौरान गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाने का कार्य दिया। कक्षा अवलोकन में यह पाया गया कि स्थानीय समुदाय की विशेषताओं का उपयोग विषय या अवधारणाओं का परिचय देने, उनसे जुड़े उदाहरणों को बताने के लिए किया गया। विद्यार्थियों ने भी अपने आस-पड़ोस में जिन घटनाओं को देखा था उनके उदाहरणों को साझा किया। विद्यार्थियों के उत्तर अपेक्षाकृत छोटे-छोटे वाक्यांशों या शब्दों में थे। अध्यापक ने कई बार उसमें स्वयं के अनुभव जोड़े। उदाहरण के लिए, नगरीकरण के प्रकरण पर चर्चा के दौरान अध्यापक ने दूधवालों, सब्जीवालों

और दैनिक मज़दूरों के शहर आवागमन का उदाहरण साझा किया।

पारिवारिक अनुभव

कक्षा चर्चा के दौरान विद्यार्थियों के अनेक पारिवारिक अनुभव भी प्रकट हुए। यह उल्लेखनीय है कि अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देश और पूछे गए प्रश्नों में जब विद्यार्थियों के परिवारों का उल्लेख हुआ तो विद्यार्थियों ने विस्तार से अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान उनकी प्रस्तुति में प्रवाह रहता था। उदाहरण के लिए, पंचायत प्रकरण के शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि कैसे उनके अभिभावकों ने पंचायत सदस्यों के सहयोग से सरकारी दस्तावेज़ों को बनवाया। इस चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र बनवाने का उदाहरण दिया। विद्यार्थियों ने अपने साथियों के विचारों एवं अनुभवों पर सहमति व्यक्त की। उसमें अपने अनुभव भी जोड़े। इसी तरह नगरीकरण प्रकरण के दौरान एक विद्यार्थी ने अपने चाचा जी के परिवार के प्रवसन से संबंधित अनुभव को साझा किया। इस विद्यार्थी ने अपने परिवार और चाचा के परिवार में संसाधनों की उपलब्धता की तुलना भी की। संसाधन प्रकरण के संदर्भ में एक विद्यार्थी ने अपने दादाजी द्वारा बताए गए आख्यान को साझा किया। इस विद्यार्थी ने कक्षा को बताया कि कैसे गाँव का एक बड़ा जलाशय वर्तमान में सूख गया है। पारिवारिक अनुभवों को साझा करने के इस क्रम में अनेक विद्यार्थियों ने परिवार के वयस्कों द्वारा गाँव में हुए बदलावों के अनुभवों को बताया।

विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ

यह पाया गया कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से जुड़े कम प्रश्न पूछे। इसका एक संभावित कारण यह हो सकता है कि कक्षाओं में इस तरह के प्रकरणों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही हो। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न पाठ्यपुस्तक में दिए अभ्यास कार्यों से जुड़े थे। उदाहरण के लिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों से उनके द्वारा विद्यालय में संसाधन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। इसके उत्तर में विद्यार्थियों ने अध्यापक के मार्गदर्शन में की गई गतिविधियों, जैसे— सौर ऊर्जा से जुड़े मॉडल का निर्माण, विद्युत उपकरणों को प्रयोग न होने की दशा में बंद करने की पहल आदि का उल्लेख किया। कुछ प्रकरणों में पाया गया कि विद्यार्थियों ने स्वयं ही अपने अनुभवों को साझा करने के दौरान विद्यालय के बाहर की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख किया। विद्यार्थियों ने घर में की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख, जैसे— पानी भरना, सफ़ाई करना, बाज़ार में बेचे जाने से पूर्व सब्ज़ी की साफ़-सफ़ाई के कार्य में साझेदारी, छोटे भाई-बहनों को पढ़ाने में सहयोग देना आदि का उल्लेख किया। इसी तरह विद्यार्थियों ने बाज़ार, समुदाय और दोस्तों के साथ की जाने वाली गतिविधियों का भी संदर्भ लिया। विद्यार्थियों ने विद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों में अपनी सहभागिता के उदाहरण भी दिए।

जनसंचार माध्यमों का संदर्भ

कक्षा में विद्यार्थियों और अध्यापक दोनों द्वारा जनसंचार माध्यमों का संदर्भ लिया गया। अध्यापक प्रायः समाचार-पत्रों में समाचारों का संदर्भ देते थे। उदाहरण के लिए, कैसे वन विभाग के कर्मचारियों ने पास के गाँव में एक तेंदुए को पकड़ा। स्थानीय मंत्री द्वारा विकास के कार्यक्रमों से जुड़े समाचारों का

संदर्भ भी दिया गया आदि। अध्यापक विद्यार्थियों को समाचार-पत्र पढ़ने और समाचार सुनने जैसी 'अच्छी' आदतों के बारे में सचेत भी करते हैं। लेकिन अध्यापक ने किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों से जनसंचार माध्यमों से हुए अनुभव को साझा करने को नहीं कहा। विद्यार्थियों ने स्वयं अपने विचारों में जनसंचार के माध्यमों का संदर्भ लिया। एक विद्यार्थी ने पंचायत चुनाव विषय पर चर्चा के दौरान नायक फ़िल्म का उदाहरण दिया। उसके इस विचार का संदर्भ लेते हुए कुछ विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रचार देखने का अनुभव साझा किया। कुछ विद्यार्थियों ने फ़ोन कॉल पर होने वाले प्रचार का उदाहरण दिया। ऐसे ही नगरीकरण की अवधारणा पर चर्चा के दौरान नगर की विशेषताओं को बताते हुए एक विद्यार्थी ने कहा 'बड़े-बड़े महानगरों को टी.वी. पर देखा है।' इस चर्चा में महानगर की जिन विशेषताओं का उल्लेख विद्यार्थियों द्वारा किया गया, उसका संदर्भ जनसंचार के माध्यम ही थे।

समुदाय की आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संदर्भ

कक्षा चर्चा में सहभागिता के दौरान विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में अपने गाँव और आसपास होने वाली आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अनुभव साझा किया गया। विद्यार्थियों द्वारा तथा पंचायत अधिकारियों द्वारा जन-जागरूकता के लिए किए गए कार्यक्रमों का उदाहरण दिया गया। उन्होंने संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में मानव निर्मित संसाधनों की संकल्पना के लिए गाँव के कुटीर उद्योग विशेष रूप से तेलघानी (मूँगफली के दानों से तेल निकालने की प्रक्रिया) का उदाहरण दिया।

आनुभविक अधिगम के लिए शिक्षणशास्त्रीय युक्तियाँ

कक्षा संवाद में विद्यार्थियों के अनुभवों का समावेशन, उन पर मनन एवं विचार-विमर्श ही ज्ञान के निर्माण का आधार होता है। इस संदर्भ में विचारणीय है कि अध्यापक कक्षा चर्चा में किन शिक्षणशास्त्रीय युक्तियों द्वारा विद्यार्थियों के आनुभविक ज्ञान का उपयोग करता है। इसे ध्यान में रखते हुए जब हम इस शोध कार्य के लिए संकलित कक्षा अवलोकनों का विश्लेषण करते हैं तो ज्ञात होता है कि संबंधित कक्षाओं में विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने और प्रस्तुति के अवसर नहीं दिए गए। ये कक्षा शिक्षण संपूर्ण कक्षा अनुदेशन (होल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन) के प्रारूप में थे जहाँ अध्यापक एक साथ पूरी कक्षा को संबोधित करता है। यद्यपि इस विधि को परंपरागत माना जाता है फिर भी, कक्षा अवलोकनों में पाया गया कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के अनुभवों, उदाहरणों एवं विचारों को कक्षा चर्चा में सम्मिलित किया गया। यह भी देखा गया कि कक्षा में विद्यार्थी केवल अध्यापक से संवाद कर रहे थे। अध्यापक के माध्यम से ही विद्यार्थियों के बीच परस्पर विचारों का आदान-प्रदान हो रहा था। पाठ में संगतता बनाए रखने के लिए अध्यापक ने प्रत्येक कक्षा की चर्चा को पूर्व में पढ़ाए प्रकरणों से जोड़ा। किसी भी अन्य परंपरागत कक्षा की तरह अध्यापक ने कक्षा प्रबंधन के लिए बार-बार कक्षा चर्चा के मानकों को याद दिलाया। कक्षा अवलोकन में पाया गया कि अध्यापक द्वारा इस तरह के निर्देश दिए गए—'जिससे पूछा जाए वही बताए', 'जिसे अपनी बात कहनी है वे हाथ उठाए', और 'कोई और उदाहरण देना चाहेगा?' आदि। इस

तरह की परंपरागत युक्तियों के साथ-साथ अध्यापक ने कक्षा में आनुभविक अधिगम के अवसरों को निर्मित किया। इन अवसरों को तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है।

स्पष्टता और बोधगम्यता

कक्षा में होने वाली बातचीत का स्पष्ट और बोधगम्य होना अति आवश्यक है। जब अध्यापक द्वारा आनुभविक अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित किया जाता है तो उसका लक्ष्य होता है कि सहभागियों की संख्या अधिक होने पर भी कक्षा में होने वाली बातचीत की सामग्री और दिशा से सभी विद्यार्थी भली-भाँति परिचित हों। इस कार्य में पाया गया कि जहाँ-जहाँ विद्यार्थियों के विचारों में अस्पष्टता होती थी, अध्यापक वहाँ-वहाँ विद्यार्थियों को उनके विचारों के संप्रेषण में सहायता प्रदान करते थे, जैसे— जब पंचायत प्रकरण के दौरान एक विद्यार्थी ने कहा कि हम पंचायत कार्यालय कई कागज़ बनवाने जाते हैं तो अध्यापक ने उसके इस विचार की स्पष्टता के लिए पूछा कि कौन-से कागज़ बनवाने जाते हैं? कौन जाता है? विद्यार्थी ने बताया कि राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र आदि बनवाने के लिए अभिभावक जाते हैं। अध्यापक ने कक्षा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या ये कागज़ हैं या सरकार द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र और दस्तावेज़। अध्यापक के उक्त हस्तक्षेप से न केवल वक्ता विद्यार्थी ने अपने विचारों को स्पष्ट किया, बल्कि कक्षा ने भी उसके विचारों के सार को समझा।

स्पष्टता एवं बोधगम्यता के लिए अध्यापक ने विद्यार्थियों को कही गई बात के विस्तार के लिए भी आमंत्रित किया। ऐसा देखा गया कि कई बार विद्यार्थी विषय अथवा प्रश्न से संबंधित उत्तर को संक्षिप्त वाक्य या वाक्यांश द्वारा प्रकट करते थे। उनकी इस तरह की संक्षिप्त प्रस्तुति कक्षा चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करे, इसके लिए उसकी विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता होती थी। इसके लिए अध्यापक

तालिका 3— आनुभविक अधिगम के लिए अध्यापक द्वारा प्रयुक्त शिक्षणशास्त्रीय युक्तियाँ

घटक	शिक्षणशास्त्रीय युक्तियाँ
स्पष्टता एवं बोधगम्यता	• विचारों के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध • विचारों के विस्तार के लिए प्रश्न पूछना • विचारों के विस्तार के लिए अन्य विद्यार्थियों को आमंत्रित करना • विचारों की भाषिक अभिव्यक्ति में परिमार्जन
मनन एवं संवर्धन	• विचारोद्दीपक प्रश्न पूछना • विद्यार्थियों के विचारों से असहमति व्यक्त करना • परिकल्पनात्मक स्थितियों के लिए विचार करने का अवसर
कक्षा में सामूहिकता का बोध	• विद्यार्थियों के अनुभवों को जोड़ते हुए व्याख्या करना • किसी विचार विशेष पर विद्यार्थियों को एक-दूसरे के विचारों से जोड़ते हुए राय व्यक्त करना • समतुल्य उदाहरणों को साझा करना • वक्ता को संप्रेषित करना की उसे ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है • संचयात्मक संवाद द्वारा एकाधिक अनुभवों का समावेश

ने विद्यार्थियों को ही आमंत्रित किया। उदाहरण के लिए, संसाधन प्रकरण के दौरान जब विद्यार्थियों ने कहा प्लास्टिक की पॉलिथीन से प्रदूषण होता है, तो अध्यापक ने इस विषय की गहनता को समझाने के लिए पूछा कि हमारे परिवार और समुदाय में इसका उपयोग किन कार्यों में बढ़ रहा है? लोग उपयोग के बाद इनका निस्तारण कैसे करते हैं? इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से केवल एक तथ्य के स्थान पर चर्चा में वास्तविक परिस्थितियों के उदाहरण सामने आए। ये उदाहरण अन्य विद्यार्थियों द्वारा भी पुष्ट किए गए। इस चर्चा से निस्तारण की प्रक्रिया एवं अर्थ का निर्माण हुआ।

यह देखा गया कि विद्यार्थी जब अपनी बातों को कहते हैं तो कई बार वे कुछ शब्दों और अवधारणाओं का प्रयोग करते समय कमज़ोर आत्मविश्वास दर्शाते हैं। उन्हें अपने अनुभवों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की समस्या आती है। इस स्थिति में अध्यापक उन्हें उनके अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए भाषिक सहयोग प्रदान करते हैं। जिस विद्यालय में यह कार्य किया गया वहाँ यह समस्या कक्षा चर्चा को सर्वाधिक बाधित कर रही थी। जब अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को उनके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सहयोग किया गया या विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की भाषा को परिमार्जित कर प्रस्तुत किया गया तो वे विचार कक्षा चर्चा के लिए उपयोगी बन गए और उन्होंने चर्चा को नई दिशा दी, जैसे— नगरीकरण प्रकरण के दौरान जब एक विद्यार्थी ने कहा कि उसके चाचा रोज़ घर से बाज़ार जाते हैं और शाम को आते हैं, तब अध्यापक ने उसकी इस अभिव्यक्ति को परिमार्जित करते हुए इस रूप में व्यक्त किया कि, 'चाचा रोज़गार के लिए गांव से शहर प्रतिदिन आते-जाते हैं, लेकिन वे रहते गाँव में ही हैं।' इतना कहने के बाद अध्यापक ने अपनी इस समझ के लिए विद्यार्थी की सहमति पूछी। विद्यार्थी विशेष सहित पूरी कक्षा ने अपनी सहमति दी। स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के अनुभवों को परिष्कृत रूप में कक्षा में शामिल करने के लिए अध्यापक द्वारा प्रयत्न किया गया। इस प्रयत्न के कारण अनुभव केवल एक आख्यान नहीं रहे, बल्कि कक्षा संवाद के अभिन्न अंग बन गए।

मनन एवं संवर्धन

इस शोध कार्य के अधिकांश प्रकरणों में पाया गया कि अध्यापक विद्यार्थियों के जवाब को सही या गलत के संक्षिप्त उत्तर के साथ स्वीकार या निरस्त करता था। कक्षा में इस तरह की बातचीत विद्यार्थियों की सहभागिता को दर्शाती है। लेकिन उनके विचारों का कक्षा चर्चा में योगदान नगण्य होता है। आनुभविक अधिगम के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के योगदान को कक्षा-संवाद में स्थान देते हुए उस पर विचार-विमर्श किया जाए। कक्षा के कुछ प्रकरणों में पाया गया कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से विचारोद्दीपक प्रश्न पूछकर उन्हें अपने द्वारा कहे गए विचारों पर मनन करने का अवसर प्रदान किया। जब विद्यार्थियों ने खेत के 'प्लॉट' में बदलकर मूल्यवान बन जाने का उदाहरण दिया तो अध्यापक ने प्रश्न किए कि कृषि और उससे संबंधित रोज़गार का क्या होगा? ग्रामीण पारिस्थितिकी में क्या बदलाव होंगे? ऐसे ही अध्यापक ने विद्यार्थियों के विचारों को चुनौती देने का भी कार्य किया। अध्यापक ने विद्यार्थियों के विचारों से असहमति व्यक्त की और उन्हें अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने के

लिए आमंत्रित किया। उदाहरण के लिए, नगरीकरण प्रकरण के दौरान अध्यापक ने कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा नगरों में कार्यालयी नौकरी के अवसर से असहमति व्यक्त करते हुए प्रश्न पूछा कि, क्या शहर में जाने वाले सभी लोग ऑफ़िस में नौकरी करते हैं? अध्यापक के इस सवाल से चर्चा संवर्धित हुई। इस प्रश्न के कारण कई विद्यार्थियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर शहर में असंगठित क्षेत्र के रोज़गारों का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि अध्यापक कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर सकता था। इससे कक्षा में विद्यार्थियों को एक नई भूमिका मिलती। इसके अलावा अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के विचारों में परस्पर तुलना के अवसर का भी उपयोग किया जा सकता था। इससे विद्यार्थी एक-दूसरे के विचारों के सापेक्ष प्रमाण, तर्क और व्याख्याओं को समझने में समर्थ होते। अध्यापक ने कक्षा में विद्यार्थियों को परिकल्पनात्मक स्थितियों के लिए विचार करने का अवसर प्रदान किया। उदाहरण के लिए, चयनित प्रकरणों के अध्यापन के दौरान अध्यापक ने इस तरह की परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के सम्मुख रखीं—

'यदि तुम्हें ऑर्गेनिक खेती करनी हो, तो कैसे करोगे?'

'यदि शहर न होते तो क्या होता?'

'पंचायत में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव हो, तो क्या होगा?'

इन प्रश्नों पर विद्यार्थियों को विचार करने का समय दिया। इन प्रश्नों पर बच्चों के उत्तरों का अध्यापक ने संवर्धन भी किया। उदाहरण के लिए, यदि शहर न होते? के उत्तर में जब विद्यार्थियों ने नगर के संसाधन आधार-उद्योग, परिवहन, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि का उल्लेख किया तो अध्यापक ने इन आयामों की व्याख्या की। यदि ये कार्य समूह में दिए गए होते तो शायद वे मनन एवं विचार संवर्धन के लिए अधिक अवसर प्रदान कर सकते थे।

कक्षा में सामूहिकता का बोध

यद्यपि विद्यार्थी अध्यापक को संबोधित करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। उन्हें समूह में कार्य करने का भी अपेक्षाकृत कम अवसर दिया गया। फिर भी, कक्षा अवलोकनों में देखा गया कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को एक-दूसरे के अनुभवों से जुड़ने, उसे विस्तारित करने और उस पर मत व्यक्त करने का अवसर दिया गया। चयनित प्रकरणों के अवलोकनों में पाया गया कि जैसे ही कोई विद्यार्थी अपने परिवार या स्वयं का कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करता था, वैसे ही कक्षा के उसके साथी उसके अनुभव को अपने उदाहरण द्वारा विस्तारित करना चाहते थे। नगरीकरण प्रकरण के दौरान जब एक विद्यार्थी द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अपने बड़े भाई के नागपुर प्रवास का उदाहरण दिया गया। तब कक्षा के कई विद्यार्थियों ने इसके समतुल्य अन्य उदाहरणों को साझा किया। कक्षा अवलोकनों में यह भी पाया गया कि जब कोई विद्यार्थी अपने विचारों को साझा करता था तो अध्यापक सहित अन्य विद्यार्थी उसके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। इसी कारण प्रश्नोत्तर के दौरान या किसी वक्ता द्वारा अपनी बात को समाप्त करने के बाद कक्षा में कई अन्य वक्ता अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत रहते थे। कक्षा की इस समूह भावना ने एक-दूसरे के अनुभवों से संचयात्मक संवाद द्वारा सीखने को पोषित किया। अवलोकन में

पाया गया कि कक्षा में साथियों से प्रश्न पूछने और विचारों को स्पष्ट करने जैसी प्रवृत्ति का अभाव था।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य से स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अर्जित ज्ञान सामाजिक सच्चाइयों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सहायक हो, इसके लिए कक्षा में आनुभविक अधिगम युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यह विद्यार्थियों और अध्यापकों, दोनों के लिए उपयोगी होता है। इससे हम केवल काल्पनिक उदाहरणों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वास्तविक सामाजिक परिस्थितियाँ हमारी कक्षा में अनुभवों के माध्यम से प्रकट होती हैं। ये विद्यालय और विद्यालय के बाहर की दुनिया के बीच संवाद का रास्ता खोलती हैं। प्रायः हम आनुभविक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा के बाहर समुदाय और परिवेश के साथ की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यह कार्य बताता है कि कक्षा-संवाद के माध्यम से दैनिक चर्चाओं को भी विद्यार्थियों के अनुभव जगत से जोड़ा जा सकता है। उन्हें अपनी दुनिया को देखने के 'सैद्धांतिक उपकरण' दिए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुसार अंतर अनुशासनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की अवलोकन एवं मननशीलता को पुष्ट कर सकते हैं। इससे वे सूचना को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी के स्थान पर प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थी की भूमिका में आगे आते हैं। वे खुद से प्रमाण खोजने, तर्क करने, फ़ैसला लेने के लिए अभिप्रेरित होते हैं।

इस कार्य के आधार पर कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों के विद्यालयेत्तर अनुभवों को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में केवल तथ्यात्मक सूचना न रखें, बल्कि वे उनके पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन से घनिष्ठता से परिचित हों। विद्यालय के बाहर विद्यार्थी जिन समूहों और गतिविधियों के भागीदार होते हैं, उनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करें और कक्षा शिक्षण की योजना बनाते समय उन्हें संभाव्य संसाधन के रूप में कक्षा में सम्मिलित करें। पाठ योजना बनाते समय हमें यह विचार करना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों के अनुभवों का प्रवेश केवल पाठ परिचय के स्तर तक सीमित न हो, बल्कि कक्षा में बहस और पाठ के विकास में उसका योगदान हो। इसके लिए हमें विद्यार्थियों के अनुभवों को सूचनाओं के खंड में न देखकर सामाजिक वास्तविकताओं के आख्यान के रूप में देखना होगा। इन आख्यानों को कक्षा चर्चा का हिस्सा बनाना होगा। इस पर मनन करना होगा। इन्हें सीधे और सतही तौर पर स्वीकार करने के स्थान पर प्रश्नांकित करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया आकस्मिक न होकर नियोजित होनी चाहिए। इससे विषय और अनुभव की पारस्परिकता ज्ञान के सहनिर्माण में सहयोग करती है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आनुभविक अधिगम के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों से बातचीत कर कक्षा में इस तरह का परिवेश बनाया जाए कि विद्यार्थी अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करने में झिझक महसूस ना करें। विद्यार्थियों को उनकी बोली के शब्दों के प्रयोग की अनुमति दी जाए। उनकी भागीदारी की सराहना की जाए। विद्यार्थियों को समूह कार्यों के

द्वारा आपस में बातचीत करने का मौका दिया जाए। अध्यापक द्वारा आनुभविक अधिगम परिवेश का निर्माण करने के लिए विद्यार्थियों के विद्यालयेत्तर अनुभवों का उपयुक्त शिक्षणशास्त्रीय युक्तियों के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के प्रयत्न करने पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा ऐसे विमर्श स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी जहाँ सामाजिक सच्चाइयों की गहन पड़ताल हो सकेगी।

संदर्भ

अलेक्ज़ेंडर, आर. जे. 2006. *टुवर्ड्स डायलॉग टीचिंग— रीथिंकिंग क्लासरूम टॉक*. एन.वाई. डायलॉग्स, न्यूयॉर्क.

एंडरसन, आर .सी., सी. चिन, एम. वैगनर और के. गुयेन. 1998. इंटलेक्चुअल स्टिम्युलेटिंग डिस्कशन. संपादन में जे.ओ. एफ़. लेहर (संपादक). *लिट्रेसी फ़ॉर ऑल— इशूज़ इन टीचिंग एंड लर्निंग*. पृष्ठ संख्या 170–186. गिलफोर्ड, न्यूयॉर्क.

डोब्रिन, जे.ई. 2006. द फ़ैमिली स्टोरिस प्रोजेक्ट— यूज़िग फ़ंड्स ऑफ़ नॉलेज फ़ॉर राइटिंग. द *रीडिंग टीचर*. 59 (6), पृष्ठ संख्या 510–520.

बंसल, जी. 2018. टीचर डिस्कर्सिव मूव्स— कॉन्सेप्टूलाइज़िंग ए स्कीमा ऑफ़ डायलॉगिक डिसकोर्स इन साइंस क्लासरूम्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंस एजुकेशन*. 40 (15), पृष्ठ संख्या 1891–1912.

बार्नेस, डी. 1976. *फ़्रॉम कम्युनिकेशन टू करिकुलम*. पेंगुइन, हामोंड्सवर्थ.

ब्राउन, आर. और पी.डी. रेनशॉ. 2000. क्लेक्टिव आर्गुमेंटेशन— ए सोशिओक्ल्चरल एप्रोच टू रिफ्रेमिंग क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग. संपादन में एच. कोवी और जी. *वैन देअर आल्स्वोर्ट सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन— द मीनिंग ऑफ़ डिस्कोर्स फ़ॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ नॉलेज*. पृष्ठ संख्या 52–66. पेर्गमोन, ऑक्सफोर्ड.

मर्सर, एन. 1995. द गाइडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ़ नॉलेज— टॉक अमंगस्ट टीचर्स एंड लर्नर्स. *मल्टीलिंगुअल मैटर्स*. क्लीवेडन.

मिशेल्स, एस., सी. ओ कॉनर और एल. रेसनिक. 2008. डेलिबरेटिव डिस्कोर्स आइडियलाइज़्ड एंड रियालाइज़्ड— अकाउंटएबल टॉक इन द क्लासरूम एंड इन सिविक लाइफ़. *स्टडीज़ इन फ़िलोसॉफ़ी एंड एजुकेशन*. 27 (4), पृष्ठ संख्या 283–297.

मिश्रा, आर. के. 2017. *चिल्ड्रंस अंडरसटेंडिंग ऑफ़ सोशियल साइंस*. अनपब्लिशड डॉक्टरल डिज़रटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली.

मोजे, ई. बी., के. एम., सीचेनोव्स्की, के. क्रेमर, एल. एलिस, आर. कैरिलो और टी. कोलाज़ो. 2004. वर्किंग टूवर्ड थर्ड स्पेस इन कॉन्टेंट एरिया लिटरेसी— एन एग्ज़ामिनेशन ऑफ़ एवरीडे फ़ंड्स ऑफ़ नॉलेज एंड डिसकोर्स. *रीडिंग रिसर्च क्वार्टरली*. 39 (1), पृष्ठ संख्या 38–70.

मोल, एल. सी., सी. अमंती, डी. नेफ और एन. गोंजालेज. 1992. फंड्स ऑफ़ नॉलेज फ़ॉर टीचिंग— यूज़िंग ए क्वालिटेटिव एप्रोच टू कनेक्ट होम्स एंड क्लासरूम्स. *क्लासरूम्स इंटू प्रैक्टिस*. 31 (2), पृष्ठ संख्या 132–141.

ली, सी. डी. 2006. 'एव्री गुड-बाय एंट गॉन'— एनालाइज़िंग द कल्चरल अंडरपिनिंग्स ऑफ़ क्लासरूम टॉक. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्वालिटेटिव स्टडीज़ इन एजुकेशन*. 19 (3), पृष्ठ संख्या 305–327.

सिलसेथ, के. और ओ. अर्सटाड. 2018. कनेक्टिंग टू द आउटसाइड— कल्चरल रिसोर्सेज टीचर्स यूज़ व्हेन कॉन्टेक्सटुअलाइज़िंग इंस्ट्रक्शन. *लर्निंग, कल्चर एंड सोशियल इंटरेक्शन*. 17, पृष्ठ संख्या 56–68.

सोयसल, वाई. 2019. इंडिकेटर्स ऑफ़ प्रोडक्टिव क्लासरूम टॉक एंड सपोर्टिंग डिसकोर्स मूव्स— ए सिस्टेमेटिक रिव्यू फ़ॉर इफ़ेक्टिव साइंस टीचिंग. *एकेडमिक जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल साइंसेस*. 3 (2), पृष्ठ संख्या 114–137.

विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम की बुनियाद
मातृभाषा

कीर्ति सिंह*
अखिलेश कुमार**

यह लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में शिक्षा के माध्यम पर की गई अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा करता है। शिक्षा का माध्यम एवं देश की उन्नति परस्पर अन्योन्याश्रित है। भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें विविध संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ विद्यमान हैं। राष्ट्र की धरोहर को सहजने एवं शिक्षण-अधिगम में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे केंद्र में रखते हुए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में शिक्षा का माध्यम किस भाषा में हो, पर विशेष ध्यान दिया गया है। परंतु किसी भी सफल नीति की अनिवार्य शर्त उसका सफल क्रियान्वयन है। हमारे देश में शिक्षा भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची (तीसरी सूची) का विषय है, जिस पर नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अत: 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी बड़ी भूमिका निभानी है। यह लेख विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम की बुनियाद अर्थात् शिक्षा के माध्यम— मातृभाषा की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के संदर्भ में एक समालोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

वैश्वीकरण, निजीकरण एवं औद्योगिकीकरण ने विश्व के शिक्षा सहित समस्त क्षेत्रों को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव जो शिक्षा पर पड़ा है, वह यह है कि अंग्रेज़ी एक वैश्विक भाषा के रूप में उभरकर सामने आ रही है और तदनुसार विभिन्न एशियाई देशों में इस प्रकार की शैक्षिक नीतियाँ निर्धारित की गई हैं जो विद्यार्थी के अंग्रेज़ी संभाषण की क्षमता को उन्नत बनाने का एक प्रयास हैं (हमीद और अन्य, 2013)। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है (अन्नामलई, 2006) और भारत में शिक्षा की बात भारतीय सामाजिक एवं भाषाई परिवेश पर चर्चा किए बिना अपूर्ण है (श्रीधर, 1996)।

भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न भाषाएँ एवं बोलियाँ प्रचलन में हैं और स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो इससे संबंधित कई समितियाँ बनीं, जिन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया। भाषायी विविधता के बीच हमारे देश में शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो यह विवाद किसी न किसी रूप में सदैव रहा है, चाहे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को लेकर रहा हो या हिंदी भाषी क्षेत्रों में

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021

अंग्रेज़ी को लेकर। शिक्षण की भाषा से संबंधित नीति के मुद्दे आज़ादी के बाद भारत के कई राज्यों में सामने आए और शिक्षा के उपयुक्त माध्यमों के संबंध में बहुत विवाद उत्पन्न हुए हैं (रामनाथन, 2005) एवं इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत में त्रि-भाषा-सूत्र को अपनाया गया (कंगरजा और अशरफ, 2013)। परंतु इस त्रि-भाषा सूत्र के बावजूद भारत में आज भी अनेक बच्चे हैं, जिन्हें मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं हैं (हॉर्नबर्गर और वैश, 2009)।

विभिन्न अनुसंधानों में यह देखा गया है कि प्रायः बच्चे, विशेषकर आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान, मातृभाषा में ज़्यादा सीखते हैं एवं मातृभाषा में प्रदत्त ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है (नम्बीसन, 1994)। क्योंकि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि विभिन्न भाषाएँ संस्कृति और जीवन मूल्यों की संवाहक भी हैं। सामान्य अर्थों में मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपने जीवन के आरंभिक काल में अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में सीखता है। परिवार एवं समुदाय में अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हुए एक भारतीय नागरिक को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण के लिए अन्य भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः 'बहुभाषावाद' भारत में शिक्षा के एक लक्ष्य के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत है (श्रीधर, 1991)।

भाषा और संस्कृति की बात की जाए तो भारत अपने आप में अनूठा देश है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की भाषाई विविधता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि भारत का संविधान आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारत की प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत की जनगणना, 2011 भारत में लगभग 1500 भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है, जिनमें प्रत्येक जनगणना में परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना होती है, क्योंकि भारत में प्रयोग की जाने वाली कई भाषाएँ विलुप्ति के कगार पर हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के विद्यालयों में लगभग 58 से 69 भाषाएँ या तो पढ़ाई जाती हैं या शिक्षण का माध्यम हैं।

शिक्षण की भाषा अथवा शिक्षा का माध्यम विषय पर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही चर्चा की जाती रही है और ऐसा नहीं है कि भाषा के माध्यम पर सिर्फ़ भारत में ही चर्चा की जाती रही है, बल्कि विश्व के कई राष्ट्रों के लिए शिक्षा के माध्यम को चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो भाषा-शिक्षा नीति या अधिग्रहण योजना के सभी मुख्य क्षेत्रों को अपनाती है। यह देखा गया है कि 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद, देश में औपनिवेशिक भाषा की भूमिका पर वृहत चर्चा शुरू हुई (रामनाथन, 2005)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* में भाषाओं के विकास के संबंध में, 1968 की नीति को और अधिक सार्थक बनाते हुए कार्यान्वित करने की बात स्वीकार की गई, परंतु भारत के समतावादी त्रि-भाषा सूत्र के बावजूद, कई भारतीय बच्चों को आज भी ऐसी भाषा में शिक्षित किया जा रहा है जो उनकी मातृभाषा नहीं है (हॉर्नबर्गर और वैश, 2009)। ऐसा पाया गया कि ग्रामीण विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रवृत नहीं हो पाते, इसका एक गंभीर कारण यह है कि आज भी शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी भाषा का प्रभुत्व कायम है। वर्तमान समय की यह माँग है कि शिक्षा के सभी स्तरों

पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए।

प्रत्येक भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा में विराट ज्ञान के तत्व समाहित होते हैं। भाषा व्यक्ति के अधिगम एवं उसके रचनात्मक चिंतन में प्रमुख भूमिका निभाती है। भाषा पर मज़बूत पकड़ के बिना व्यक्ति के ज्ञान की अभिव्यक्ति संभव नहीं, अत: यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* से पूर्व की समस्त समितियों एवं शिक्षा नीति ने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है और इसी कारण कोठारी कमीशन 1964–66 द्वारा 'त्रि-भाषा सूत्र' की अनुशंसा की गई, जिसे *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*, क्रियान्वयन की रूपरेखा 1992, *'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* एवं अद्यतन '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*' में भी अक्षुण्ण रखा गया है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के अनुसार बच्चों के ज्ञान निर्माण में भाषा के बुनियादी महत्व को समझते हुए त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने की बेहतर योजना बनाए जाने पर विचार किया गया एवं बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में स्थायी मान्यता देने और आवश्यकतानुसार उनमें आदिवासी भाषाएँ भी सम्मिलित करने पर बल दिया गया, परंतु इसमें अंग्रेज़ी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता को भी नकारा नहीं गया। साथ ही भारतीय समाज के 'बहु-भाषिक प्रकृति' को संसाधन के रूप में देखे जाने की बात भी कही गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह स्वीकार किया गया कि भारतीय भाषाओं और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त होगी। ऐसा माना गया कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियाँ विकसित एवं क्रियाशील नहीं होंगी, जनसाधारण तक ज्ञान नहीं पहुँच सकेगा और बुद्धिजीवियों तथा जनसाधारण के बीच की खाई कम नहीं होगी। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया था कि माध्यमिक कक्षाओं में राज्य सरकारों को त्रि-भाषा सूत्र लागू करना चाहिए अर्थात् माध्यमिक स्तर पर बच्चे कम से कम तीन भाषाएँ पढ़ें।

भारत में लगभग चार दशकों के पश्चात् *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जो 1968 में दिए गए कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। इस नीति ने लगभग 35 वर्षों तक भारतीय शिक्षा की दिशा तय की। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के तहत प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के तहत पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने की बात की गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार बच्चे की पहली भाषा, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही होनी चाहिए। उसी में अधिगम की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। दूसरी भाषा के रूप में देश की अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संभाषण की दक्षता और सहभागिता विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय-पूर्व स्टेज से बच्चों को तीन भाषाओं का

ज्ञान दिया जाएगा और ग्रेड 3 तक सभी तीन भाषाओं में लिपि को पहचानने और बुनियादी पाठ पढ़ने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। लेखन के संदर्भ में, मुख्य रूप से ग्रेड 3 तक अनुदेशन के माध्यम से विद्यार्थी लिखना शुरू करेंगे, जिसके बाद अतिरिक्त लिपि के साथ लेखन भी धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा। विद्यार्थी कक्षा 6 या 7 में पढ़ने वाली तीन भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक का चुनाव कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम मूल भाषा है, वे कक्षा 8 में विज्ञान को द्विभाषिक रूप से सीखना शुरू करेंगे, इससे वे वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में अधिक सोच सकेंगे और एक से अधिक भाषाओं में विज्ञान के बारे में बात करने में सक्षम बन सकेंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किए जाने; स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किए जाने के प्रावधान भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में किए गए हैं जो दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा को उन्नत बनाने में सहयोगी होंगे।

शिक्षा के माध्यम का शिक्षा के प्रत्येक स्तर और क्षेत्र में प्रभाव अलग-अलग होता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* यह मानती है कि किसी भी विषय विशेष में स्थानीय भाषा, राज्य की क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो सकती है। बच्चे की मातृभाषा उसकी घेरलू भाषा से अलग हो सकती है (यदि माता-पिता दोनों की मातृभाषा अलग है और वे समझाने के लिए किसी तीसरी भाषा का उपयोग करते हैं)। इस प्रकार कुछ बच्चों के लिए, इन चारों भाषाओं यथा स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और घर पर बोली जाने वाली भाषा भिन्न हो सकती है और इसलिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* मुख्य रूप से राज्य सरकारों को राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में शिक्षा का समर्थन करने की सिफ़ारिश करती है।

यदि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की बात की जाए तो इसमें त्रि-भाषा सूत्र को और अधिक स्पष्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* सतत विकास के लिए 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य इक्कीसवीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 'त्रि-भाषा सूत्र' पर बल देने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार त्रि-भाषा सूत्र में पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। आज़म एवं अन्य (2013) द्वारा किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता भारत में शैक्षिक प्राप्ति के साथ नाटकीय रूप से बढ़ रही है। लगभग 89 प्रतिशत व्यक्तियों, जिनके पास कम से कम स्नातक की डिग्री है, वे उन 56 प्रतिशत लोगों की तुलना में बेहतर अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ़ माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की है।

चूँकि भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ इस त्रि-भाषा सूत्र की आवश्यकता अधिक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त त्रि-भाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर-हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों में 'शिक्षा का माध्यम' के मुद्दे को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जिसके अनुसार कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। यह भी कहा गया है कि उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकों को आवश्यकतानुसार देशी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और श्रवणबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी पाठ्य सामग्री सांकेतिक भाषा में विकसित की जाएगी। देशी भाषा को ग्रेड 5–8 के बाद एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा; शास्त्रीय भाषाओं सहित भारत की भाषाओं के पाठ्यक्रम भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएँगे। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी एक विकल्प के रूप में एक विदेशी भाषा चुन सकते हैं; फिर भी, यह त्रि-भाषा सूत्र के स्थान पर नहीं होगा। त्रि-भाषा सूत्र को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की स्थिति को बढ़ाने के लिए लागू किया जाएगा। इसके पीछे बहुभाषी देश के लिए बहुभाषी संचार क्षमताओं को बढ़ावा देना उद्देश्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, खंड 4.11 के अनुसार, "जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर या स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे" (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ संख्या 19–20)। यह एक स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के विद्यालय कम से कम पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षण के प्रावधान की अनुपालना करेंगे। न केवल *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* मातृभाषा में शिक्षण पर केंद्रित है, बल्कि यह आश्वासन भी प्रदान करती है कि इस संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर किया जाएगा जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में उल्लिखित है, "विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं या मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएँगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षा के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्यसामग्री उपलब्ध नहीं है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ तक संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी" (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ संख्या 19–20)।

यदि इस संदर्भ में विचार किया जाए कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के बाद भी क्यों आज तक स्थानीय भाषाओं में शिक्षण का कार्य प्रभावी रूप से नहीं दिखाई देता है, तो इसकी जड़ों में जाने पर यह समझ में आता है कि इसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुपलब्ध

होना एवं स्थानीय भाषा में शिक्षण प्रदान करने वाले अध्यापकों की अनुपलब्धता है और यही वे प्रावधान हैं जो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* से श्रेष्ठ बनाते हैं।

फिर भी संस्कृत भाषा पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* ने भी ज़ोर दिया था एवं उसे त्रि-भाषा सूत्र में शामिल किया था। परंतु *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होती है, क्योंकि जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित है, संस्कृत को त्रि-भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, खंड 4.17, पृष्ठ संख्या 21)। इतना ही नहीं, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* से इतर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संस्कृत की ज्ञान प्रणाली की उपयोगिता के शिक्षण की बात भी करती है एवं संस्कृत भाषा को संस्कृत माध्यम से शिक्षण की बात भी करती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि भाषा विशेष के शिक्षण का माध्यम वह भाषा ही होती है यथा हिंदी को हिंदी माध्यम से, अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाए जाता है परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाए जाने की बजाए उसके शिक्षण का माध्यम अधिकांशतः अंग्रेज़ी अथवा हिंदी है और इस कारण विद्यार्थी संस्कृत भाषा में दक्ष नहीं हो पाते और न ही संस्कृत में उनकी गहन रुचि विकसित हो पाती है। ऐसे में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संस्कृत संबंधी प्रावधान कि यह उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो रुचिकर एवं अनुभवात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, खंड 4.17, पृष्ठ संख्या 21), संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने के एक सशक्त प्रयास का उदहारण है। इतना ही नहीं *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को रोचक भाषा में सरल मानक संस्कृत में लिखे जाने की बात भी करती है ताकि संस्कृत अध्ययन को आनंददायक बनाया जा सके। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* एवं *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के भाषा एवं शिक्षण के माध्यमों के प्रावधानों में बहुत अंतर नहीं है, परंतु वास्तव में दोनों शिक्षा नीतियों के प्रावधानों में व्यापक अंतर है और वह यह है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, बनाए गए प्रावधानों को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, बनाए गए प्रावधानों को लागू करने का तरीका क्या होगा, इस पर ज़्यादा ज़ोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भाग 4.16 भी अपने आप में अद्वितीय है जो इसे *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* से भिन्न दिखाता है। यह प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यार्थी 'द लैंग्वेज ऑफ़ इंडिया' पर एक रोचक परियोजना गतिविधि में भाग लेगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 4.16, पृष्ठ संख्या 21) ताकि विद्यार्थी भारत की बहुभाषी सभ्यता एवं बहु-आयामी संस्कृति से परिचित हो सकें। इस प्रकार के कार्यकलापों से विद्यार्थी न केवल अपनी भाषा एवं संस्कृति से परिचित हो सकेंगे और इनमें उनकी रुचि बढ़ेगी, बल्कि यह राष्ट्रीय एकीकरण एवं भारतीय नागरिक होने पर गर्व के भाव का संचार भी विद्यार्थियों में कर सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट करती है कि फिर भी, त्रि-भाषा के इस फ़ॉर्मूले में बहुत लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, खंड

4.13, पृष्ठ संख्या 19–20)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के ये शब्द बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आज तक विद्यालयों की भाषा पर विभिन्न राज्यों में विवाद का कारण हिंदी की अनिवार्यता रही है। किसी भी भाषा को किसी राज्य पर न थोपे जाने एवं राज्यों को उनकी भाषाई विविधता के अनुसार त्रि-भाषा फ़ॉर्मूला तय करने के अवसर प्रदान करने से राज्यों में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की स्वीकार्यता बढ़ेगी एवं भाषा से संबंधित विवादों का अवसर नहीं मिल सकेगा।

भारत की औपनिवेशिक विरासत और भाषाई विविधता के कारण अंग्रेज़ी की भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यह भूमिका वैश्वीकरण, निजीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण हाल के दशकों में विस्तारित हुई है (आज़म और अन्य, 2013)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के प्रावधानों से विद्यार्थी पूरी तरह से द्वि-भाषी बन सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ इस चुनौती से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुभाषी शिक्षा महँगी है। इसमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है जिन्हें द्वि-भाषी (दोनों भाषाओं में) ज्ञान हो। साथ ही वह द्वि-भाषी संसाधनों का प्रयोग करते हुए पढ़ाने में प्रशिक्षित हो। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* शैक्षिक अनुसंधानों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में बच्चों में भाषा अधिग्रहण, अधिगम पर भाषा का प्रभाव एवं शिक्षा के माध्यम पर बहुत सूक्ष्म विचार करने के उपरांत उसे अपनाया गया है। अधिगम एवं उस पर शिक्षण के माध्यम के प्रभावों पर किए गए अध्ययनों में यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चे प्रायः मातृभाषा में प्रभावी एवं अपेक्षाकृत स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि बच्चे अपने माता-पिता, अन्य वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से भाषा सीखते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधानों में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि एक बच्चे के लिए एक ही समय में दो या अधिक भाषाओं का अधिग्रहण करना बहुत आसान है, यदि वे उन भाषाओं के वक्ताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे हों। इन अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बच्चों द्वारा भाषा अधिग्रहण को प्रोन्नत करने के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं— पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 द्वारा अपनाए गए त्रि-भाषा सूत्र को जारी रखने की सिफ़ारिश की गई है एवं तीन भाषाओं के शिक्षण-अधिगम को प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया है और दूसरा कि तीन भाषाओं का विकल्प पूरी तरह से माता-पिता और विद्यार्थियों के चुनाव पर छोड़ दिया गया है।

शिक्षा के माध्यम और भाषा सीखने के बारे में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के प्रमुख घोषित लक्ष्यों में ग्रेड 5 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना भी है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे जिस भाषा को समझते हैं, उन्हें कम से कम छह साल तक की शिक्षा उस भाषा में देने की आवश्यकता है। आज कई विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग की जा रही भाषा को नहीं समझते हैं (भले ही वह क्षेत्रीय भाषा हो या अंग्रेज़ी) और इससे उनकी सीखने की क्षमता व्यापक स्तर पर प्रभावित होती है। यह बाधा उनके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि अध्यापक पहले

सीखने पर लगातार ज़ोर देते हैं। भाषा की यह कठिनाई उन्हें बाद तक परेशान करती है, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्राय: बच्चे अपनी बात को अन्य भाषा में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाते, जिसके चलते वे पिछड़ जाते हैं और वे न्यूनतम साक्षरता और संख्यात्मकता को भी नहीं सीख पाते हैं। अत: इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मातृभाषा या घरेलू भाषा में शिक्षण निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, ऐसी आशा की जा सकती है।

इस प्रकार, अब यह भार राज्य सरकार पर आता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के आधार पर हो और साथ ही यह सुनिश्चित हो कि स्कूलों में विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान से भी वंचित न किया जाए। यह लागू करना राज्य सरकारों के लिए वास्तव में एक कठिन परंतु सराहनीय कदम होगा। इस संदर्भ में राज्य सरकारों को निम्नांकित प्रयास करने की आवश्यकता होगी—

1. ***विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाओं के योग्य युवाओं का अध्यापक के रूप में चयन***— इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि राजस्थान जैसे राज्य में हाड़ोती, बृज, मारवाड़ी सहित कई अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ प्रचलन में हैं, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सीमित हैं। अतः भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उस भाषा विशेष में शिक्षण हेतु 'स्थानीय अध्यापक' नियुक्त किए जाएँ अर्थात् दूसरे शब्दों में अध्यापकों की नियुक्ति को विकेंद्रित किया जाए। अध्यापकों की नियुक्ति में स्थानीय भाषा का ज्ञान एवं उस स्थानीय क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य किया जाए। फिर भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को इस संदर्भ में बड़ी चुनौती का सामना करना होगा और यह चुनौती विशेषकर सरकारी स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर होगी, जो विद्यार्थियों की घरेलू भाषा भी बोल सकें और साथ ही उन्हें विषय-वस्तु का भी पूर्ण ज्ञान हो।
2. ***अध्यापकों के स्थानांतरण को न्यूनतम करना***— यहाँ एक और विचारणीय मुद्दा है कि वर्तमान समय में अध्यापकों को समय-समय पर स्थानांतरित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की बात करें तो यह समस्या ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि में अध्यापकों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के एक अध्यापक को किसी उत्तर-पूर्व राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब उसे वहाँ की स्थानीय भाषा में शिक्षण-अधिगम में परेशानी का सामना करना होता है तथा मातृभाषा में शिक्षण न हो पाने से विद्यार्थियों की समस्या यथावत रह जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियों में इस प्रकार के प्रावधान बनाए जा सकते हैं कि विद्यालय के अध्यापकों का 50 प्रतिशत या कोई अन्य प्रतिशत उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष के मूल निवासी एवं वहाँ की मूल भाषा बोलने वाले हैं। इस प्रकार के प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा भी बनाए जाएँ, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा भी अध्यापकों की भर्ती के बाद और

उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए राज्य भर के किसी भी स्कूल में तैनात किया जा सकता है। इस स्थानांतरण को न्यूनतम किया जाना, एक प्रभावी कदम हो सकता है।

3. ***अध्यापकों के स्थानांतरण की पारदर्शी नीति***— केंद्र अथवा राज्य दोनों ही स्तर पर अध्यापकों का स्थानांतरण प्रशासनिक और निजी दोनों कारणों से होता है। कई बार अध्यापक उन स्कूलों में भी स्थानांतरित कर दिए जाते हैं जहाँ विद्यार्थी की भाषा (जिसमें शिक्षण कार्य अपेक्षित होता है) एवं अध्यापक की भाषा में भिन्नता होती है। अध्यापक के इस प्रकार के स्थानांतरण से छोटे बच्चों को अपने अध्यापकों के साथ जुड़ने में और सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। इस परिस्थिति में राज्यों को अध्यापकों के स्थानांतरण की नीति पारदर्शी और दूरदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

4. ***ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान***—अधिकतर देखा गया है कि कई अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति पसंद नहीं करते और वे येन-केन-प्रकारेण उस विद्यालय में भी स्थानांतरित होने को तैयार रहते हैं, जो शहर के आस पास हो, भले ही उस क्षेत्र की मातृभाषा से अध्यापक परिचित हों या न हों। ऐसे में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अध्यापकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान भी एक प्रभावी कदम हो सकता है, ताकि योग्य अध्यापक ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तत्पर हों।

5. ***स्थानीय भाषाओं में अध्ययन सामाग्री की उपलब्धता***— स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षण की यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस परिस्थिति में स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन आदि को यह ज़िम्मेदारी दी जा सकती है कि मानकीकृत पाठ्य सामग्री को स्थानीय भाषा में अनुवादित किया जाए। इस कार्य में स्थानीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। राज्य सरकारों को इन संभावनाओं एवं तत्संबंधित प्रावधानों पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में, देश की भाषाई समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए शिक्षण-अधिगम में भाषा संबंधी दूरदर्शी सिफ़ारिशें की गई हैं। जिन्हें लागू करने में बहुत-सी चुनौतियाँ आ सकती हैं। बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति पर विचार किया गया है, जिसके अनुसार जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। जिसका पालन सार्वजनिक या सरकारी और निजी दोनों स्कूलों द्वारा किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संवादात्मक तरीकों का उपयोग करने का सुझाव देती है। भाषा और शिक्षा का माध्यम की दृष्टि से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा इस पर गहन मंथन किया गया है और इसकी सभी अनुशंसाएँ भारत जैसे देश

की विविध सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने की एक अनूठी पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के सुसंगत राज्य सरकारें अपने स्तर पर सार्थक क्रियान्वयन के प्रयास करें तो विद्यार्थियों का अधिगम प्रत्येक स्तर पर प्रभावी होगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में शिक्षण-अधिगम की भाषा पर दूरदर्शितापूर्ण सुझाव प्रदान किए गए हैं और इन सुझावों एवं प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन ही भारत की शिक्षा व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने भाषा को शिक्षा की बुनियाद बताते हुए सत्य ही लिखा है—

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।"

संदर्भ

अन्नामलाई, ई. 2006. इंडिया— लैंग्वज सिचुएशन. *इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स*. पृष्ठ संख्या 610–613. एल्सेविएर. 8 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1016/B0-08-044854-2/04611-3 से प्राप्त किया गया है.

कंगरजा, एस. और एच. अशरफ. 2013. मल्टीलिंगुअलिज़्म एंड एजुकेशन इन साउथ एशिया— रिज़ॉल्विंग पॉलिसी/प्रैक्टिस डिलेमा. *एनुअल रिव्यू ऑफ़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स*. 33, पृष्ठ संख्या 258–285. 8 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1017/S02671905130000688. से प्राप्त किया गया है।

नम्बीसन, जी. बी. 1994. लैंग्वेज एंड स्कूलिंग ऑफ़ ट्राइबल चिल्ड्रन-इश्यूज़ रिलेटेड टू मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*.

मानव संसाधान विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 5 अक्तूबर, 2020 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया है.

रामनाथन, वी. 2005. अंबिग्विटीज़ अबाउट इंग्लिश— आईडियोलॉजी एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस इन वर्नाक्यूलर-मीडियम कॉलेज क्लासरूम इन गुजरात, इंडिया. *जर्नल ऑफ़ लैंग्वेज आईडेंटिटी एंड एजुकेशन*. 4(1), पृष्ठ संख्या 45–65. https://doi.org/10.1207/s15327701jlie0401_3 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त किया गया है.

———. 1996. लैंग्वेज इन एजुकेशन— माइनॉरिटी इन मल्टीलिंगुअलिज़्म इन इंडिया. *इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ एजुकेशन*. 42(4), पृष्ठ संख्या 327–347. 5 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1007/BF00601095 से प्राप्त किया गया है.

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/languagebr.pdf 5 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त किया गया है

श्रीधर, के.के. 1991. बाइलिंगुअल एजुकेशन इन इंडिया. *इन फ़ोकस ऑन बाइलिंगुअल एजुकेशन*. पृष्ठ संख्या 89. जॉन बेंजामिन्स पब्लिशिंग कंपनी. 4 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1075/z. से प्राप्त किया गया है.

हामीद, एम.ओ., एच.टी.एम., न्गुयेन. और आर.बी. बाल्दौफ़. 2013. मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इन एशिया— कांटेक्स्ट, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स. *करंट इश्यूज़ इन लैंग्वेज प्लानिंग*. 14(1), पृष्ठ संख्या 1–15. 8 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1080/14664208.2013.792130 से प्राप्त किया गया है.

हॉर्नबर्गर, एन. और वी. वैश. 2009. मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज पॉलिसी एंड स्कूल लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस— ग्लोबलाइज़ेशन एंड इंग्लिश— लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, सिंगापुर एंड साउथ अफ्रीका. *कंपेयर— ए जर्नल ऑफ़ कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन*. 39(3), पृष्ठ संख्या 305–320. 1 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1080/03057920802469663 से प्राप्त किया गया है.

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में टेक्नालॉजी का सार्थक प्रयोग

रौमिला सोनी*

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के अनुसार हमें प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा देनी है। जिसमें टेक्नालॉजी का समुचित प्रयोग भी करना है। लेकिन टेक्नालॉजी के उपयोग के बारे में कई दुविधाएँ और संदेह हैं, अत: हमें उनका समाधान भी ढूँढ़ना है। ताकि प्रत्येक बच्चा लाभान्वित हो सके। समान्यत: कई शोध अध्ययन एवं रिपोर्ट्स बताती हैं कि छोटे बच्चे प्राय: अधिक समय स्क्रीन के सामने व्यतीत करते हैं। अधिकांश माता-पिता यह मानते हैं कि वे बच्चों के लिए स्क्रीन (स्मार्टफ़ोन, टी.वी., कंप्यूटर आदि) का प्रयोग ध्यान बँटाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए या बेबी सिटर की तरह करते हैं। जब माता-पिता अपना घरेलू या कार्यालय का काम करते हैं या किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तब ऐसी स्थिति में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल फ़ोन, लेपटाप, टी.वी. आदि का प्रयोग करना उन्हें अपेक्षाकृत आसान व सुरक्षित लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीन वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्क्रियात्मक टेक्नालॉजी शैक्षिक रूप से लाभप्रद भी हो सकती है। कोविड-19 महामारी की स्थिति में यह कुछ सीमा तक बच्चों की मदद भी कर रही है। बच्चों के कल्याण में लगे कई शैक्षिक एवं पेशेवर संगठन भी विशेष रूप से इस प्रश्न से जूझ रहे हैं कि क्या छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग लाभदायक हो सकती है? इन्हीं टेक्नालॉजी से जुड़े सरोकारों पर यह लेख चर्चा करता है।

टेक्नालॉजी का छोटी कक्षाओं में उपयोग करना, सभी बच्चों को महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकता है, लेकिन इस दिशा में हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। इस हेतु हमें शोध कार्यों की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यदि टेक्नालॉजी तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उचित रूप से डिज़ाइन की जाए और अध्यापक के मार्गदर्शन में प्रयोग की जाए तो वह प्रारंभिक विकास और शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। अधिकांश देशों द्वारा किए गए बच्चों के शोध अध्ययनों में पाया गया कि छोटे बच्चों पर मीडिया के प्रयोग के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जबकि कुछ शोध अध्ययन टेक्नालॉजी के प्रारूप, सामग्री और टेक्नालॉजी के उचित प्रयोग की ओर भी संकेत करते हैं। आज टेक्नालॉजी का प्रचलन हम सबके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करता है कि बचपन में डिजिटल मीडिया का सार्थक प्रयोग कब और कैसे किया जाए? ताकि बच्चे भी टेक्नालॉजी से लाभान्वित हो सकें।

छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नालॉजी के प्रयोग पर शिक्षाविद्, बाल

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली 110016

मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक व अभिभावक विस्मय में हैं कि छोटे बच्चों के विकास के लिए आधुनिक तकनीक का कब, कैसे और कितना उपयोग उचित है? बच्चों के कल्याण में लगे कई शैक्षिक एवं पेशेवर संगठन भी दबाव महसूस कर रहे हैं कि इस आपदा (कोविड-19 महामारी) में क्या छोटे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं? सभी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डिजिटल उपकरणों एवं मीडिया से असमान रूप से अवगत नहीं कराया जाना चाहिए। छोटे बच्चों के मानसिक विकास के लिए, उन्हें मुख्य रूप से (मुक्त रूप से खिलौनों आदि के साथ) खेल-खिलौना आधारित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसी के साथ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि तीन वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्क्रियात्मक टेक्नॉलाजी शैक्षिक रूप से लाभप्रद भी हो सकती है। कोविड-19 महामारी की स्थिति में यह अंतर्क्रियात्मक टेक्नॉलाजी कुछ सीमा तक बच्चों की मदद भी कर रही है। यह बच्चों के मानसिक विकास, सामाजिक कौशल, भाषा कौशल और संख्या ज्ञान के साथ-साथ स्कूली तैयारी (स्कूल रेडीनेस) के लिए भी बहुत लाभप्रद हो सकती है। टेक्नॉलाजी के गैर-अंतर्क्रियात्मक (नॉन इंटरेक्टिव और पैसिव) प्रयोग सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है, जिसमें किसी जानकार वयस्क व्यक्ति की उपस्थिति में ही इस टेक्नालॉजी का उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे प्रारंभिक शिक्षा व विकास के लिए तैयार हो सकें।

कुछ अभिभावकों की दुविधा यह है कि एक ओर जहाँ वे अपने छोटे बच्चों (4–6 वर्ष) के डिजिटल उपकरणों के प्रयोग, विशेषकर शैक्षिक प्रयोग, जैसे— पढ़ने के लिए, बच्चों के जुनून व दृढ़ता की प्रशंसा करते हैं, वहीं वे बच्चों में रचनात्मकता व सामाजिक कौशल की हानि के बारे में चिंतित हैं। दूसरी ओर कुछ अभिभावक जागरूक न होने के कारण बच्चों को असीमित समय के लिए डिजिटल उपकरण (मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि) खेल खेलने के लिए दे देते हैं। इस प्रकार टेक्नॉलाजी का प्राय: दुरुपयोग होता भी दिखाई देता है, जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।

वास्तव में, डिजिटल आविष्कारों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करना और बच्चों द्वारा उनका उपयोग कैसे किया जाए, यह कहना बहुत कठिन है। छोटे बच्चों पर बहुत कम शोध अध्ययन हुए हैं। फिर भी, गैर-अंतर्क्रियात्मक मीडिया पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि गैर-अंतर्क्रियात्मक मीडिया (पैसिव मीडिया) बच्चों में भाषा (बोलने) में देरी, मोटापा, सामाजिक दूरी, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और अनियमित नींद आदि जैसी परेशानियाँ उत्पन्न करता है। कुछ शोध अध्ययन टेक्नालॉजी के सीमित उपयोग के संभावित लाभों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसमें बताया गया है कि टेक्नालॉजी छोटे बच्चों के व्यावहारिक व क्रियाशील तरीके से सीखने-सिखाने में सहायता करती है। फिर भी, टेक्नालॉजी द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल के विकास का दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाना कठिन होगा।

आज हमें प्रत्येक पृष्ठभूमि के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा देने के लिए तैयार करना है और साथ ही इस स्तर पर टेक्नालॉजी से जुड़ी कई दुविधाओं और संदेहों का समाधान भी ढूँढ़ना है, जिससे प्रत्येक बच्चे को लाभ मिल सके। इस लेख में लेखिका ने बाल्यावस्था में बच्चों के विकास अनुरूप टेक्नालॉजी का पूर्व-प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। इस लेख में बताया गया है कि पूर्व-प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को टेक्नॉलाजी संबंधी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने तथा भविष्य में प्रयोग होने वाली टेक्नालॉजी का बच्चों के विकास के अनुरूप मूल्यांकन करने के बाद ही उसे बच्चों के लिए उपयोग करना चाहिए।

कुछ शोध अध्ययनों में पाया गया है कि, 'मीडिया बच्चों के व्यवहार व उनके एक-दूसरे से बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करता है। बच्चे कब, क्या और कैसे सीखते हैं? या क्या सीखना चाहते हैं? इन सब पर मीडिया का प्रभाव पड़ता है।'

बच्चों द्वारा टेक्नालॉजी के प्रयोग की सीमा

यह देखा गया है कि प्राय: छोटे बच्चे अपना अधिक समय स्क्रीन (स्मार्ट फ़ोन, कंप्यूटर, टी.वी. आदि) पर देखने और सुनने में व्यतीत करते हैं। इसमें मीडिया की मुख्य भूमिका होती है। उदाहरण के लिए—

- प्राय: बच्चे डिजिटल मीडिया पर औसतन पाँच-छह घंटे बिताते हैं। लेखिका ने अभिभावकों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करके यह पाया कि तीन साल से कम उम्र के बच्चे भी एक से दो घंटे डिजिटल मीडिया पर व्यतीत करते हैं।
- कुछ अभिभावकों का कहना था कि तीन से चार वर्ष की उम्र के बच्चे दिन में औसतन दो से तीन घंटे स्क्रीन देखने पर व्यतीत करते हैं। कुछ माता-पिता ने यह भी माना कि बच्चों के लिए यह समय सोने एवं अन्य गतिविधियों में व्यतीत किए जाने वाले समय से अधिक है।
- शहरों में प्राय: यह देखा गया कि तीन से आठ वर्ष की आयु के अधिकतर बच्चों के पास स्मार्ट फ़ोन, टैबलेट और इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं या वे अपने अभिभावकों के डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं।

बच्चों द्वारा टेक्नालॉजी का प्रयोग

लेखिका द्वारा अध्यापकों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि अब शहरों के कई स्कूलों में छोटे बच्चों को सीखने-सिखाने में डिजिटल कहानियों का भी प्रयोग किया जाता है। अध्यापकों का मानना था कि आजकल साक्षरता का मतलब यह भी है कि बच्चों में डिजिटल साक्षरता (टेक्नालॉजी संचालन कौशल) विकसित करना, जैसे— डिजिटल माध्यम से आयु अनुरूप सचित्र पुस्तकों को देखना, मुद्रण अवधारणा से अवगत होना आदि। डिजिटल टेक्नालॉजी का उपयोग शिक्षण-अधिगम कि विविधता के रूप में तथा एक विकल्प के रूप में समुचित उपयोग किया जाना उचित प्रतीत होता है। कुछ शोध अध्ययन बताते हैं कि—

- अधिकांश माता-पिता यह मानते हैं कि वे बच्चों के लिए स्क्रीन (स्मार्टफ़ोन, टी.वी.,

कंप्यूटर आदि) का प्रयोग ध्यान बँटाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए या बेबी सिटर की तरह करते हैं।

- शैक्षिक सामग्री उतनी ही मायने रखती है, जितना की उसका शैक्षिक प्रारूप। उदाहरण के लिए, अंतर्क्रियात्मक कार्यक्रम प्रारंभिक पठन कौशल को प्रोत्साहित करता है, जबकि ड्रिल और अभ्यास विधि यह कार्य नहीं करती है। इसलिए, अगर हम छोटे बच्चों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री के रूप में उनकी आयु एवं विकास के अनुरूप टेक्नॉलाजी का प्रयोग वयस्क व्यक्ति की निगरानी में करते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है।
- टेक्नालॉजी केवल तभी प्रभावी होती है, जब अध्यापक उसका प्रयोग बच्चों के विकास के अनुरूप करें साथ ही वे टेक्नालॉजी को प्रत्यक्ष सीखने के अनुभवों से जोड़ें, जैसे— शिक्षिका बच्चों को किसी कहानी को प्रत्यक्ष रूप से सुनने के पश्चात् वह उसी कहानी का एनिमेशन रूपांतर भी दिखा सकती है।

बच्चों पर टेक्नालॉजी संसाधनों के प्रभाव

पूर्व-प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों पर टेक्नालॉजी के प्रभाव से संबंधित शोध अध्ययन बताते हैं कि छोटे बच्चों पर मीडिया के प्रयोग के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जबकि कुछ शोध अध्ययन टेक्नालॉजी के प्रारूप, सामग्री और उचित प्रयोग की ओर भी संकेत करते हैं। इस लेख में टेक्नालॉजी के प्रयोग के नकारात्मक व सकारात्मक दोनों पहलुओं की चर्चा की गई है—

- पूर्व-प्राथमिक और स्कूल जाने वाले आयु वर्ग के बच्चों के लिए टेक्नालॉजी के नकारतमक प्रभावों के अंतर्गत उनमें शारीरिक, व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, जैसे— अक्रामक व्यवहार, सोने की आदतों में बदलाव और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आदि से जोड़ा गया है।
- जिन घरों में डिजिटल मीडिया का अधिक प्रयोग होता है, वहाँ बच्चे पढ़ाई-लिखाई पर कम ध्यान देते हैं, अपेक्षाकृत उन घरों के जहाँ डिजिटल मीडिया का प्रयोग सीमित या कम होता है।
- पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जितना अधिक समय डिजिटल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, उतना वे दूसरों से आपसी (माता-पिता, भाई-बहन, दोस्तों आदि) बातचीत पर कम समय व्यतीत करते हैं तथा वे बच्चे कम सृजनात्मक होते हैं। खेल खेलने में भी वे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से कम जुड़ाव कर पाते हैं।
- तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए डिजिटल मीडिया का प्रयोग उनके खेलने के समय को कम करता है तथा उनके खेलने में ध्यान को भी कम करता है। विशेषकर खेल द्वारा सीखने की प्रक्रिया में, उनका ध्यान कम होता है।
- सक्रिय एवं उपयुक्त (एक्टिव एंड एपरोप्रीएट) टेक्नालॉजी का प्रयोग, पारंपरिक शिक्षण-अधिगम सामग्री को मूल्यपरक एवं सामाजिक और संज्ञानात्मक रूप से अधिक विस्तारित कर सकता है। कंप्यूटर छोटे बच्चों को (गणित की) आकृतियों में जोड़-तोड़ करने की स्वतंत्रता देता है, जो वे हाथ से आसानी से नहीं कर सकते हैं। यह प्राय: बच्चों में सहयोगात्मक (सामाजिक) तरीके से समस्याएँ हल करने में सहायक होता है। प्रत्यक्ष रूप से खिलौने व सामग्री से खेल के

पश्चात् अगर बच्चे कंप्यूटर पर इस तरह की समस्या सुलझाने की गतिविधि करते हैं, तो उनकी समीक्षात्मक सोच का विकास होता है।

- टेक्नालॉजी उपकरणों के सकारात्मक परिणामों की पुष्टि के लिए बच्चों की भाषा व शब्दावली विकास, तार्किक-गणितीय समझ, समस्या सुलझाने के कौशल और सामाजिक कौशल के विकास पर अतिरिक्त शोध अध्ययन करने की आवश्यकता है।

दुनिया में डिजिटल टेक्नालॉजी का प्रचलन आज हमें यह सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि बचपन में डिजिटल मीडिया का उचित प्रयोग कब और कैसे किया जा सकता है? वयस्क व्यक्तियों को छोटे बच्चों के साथ टेक्नालॉजी के सही उपयोग के मूल्यांकन पर विचार करना चाहिए। जिससे बच्चे भी टेक्नालॉजी का लाभ उठा पाएँ और यह तभी संभव है, जब हम उन्हें उनकी आयु व विकास के अनुरूप टेक्नालॉजी संबंधित गतिविधियाँ एक भयमुक्त उद्दीप्त वातावारण में दे पाएँ।

गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षण-अधिगम में निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है—

- उपलब्ध शोध अध्ययनों के परिणामों को ध्यान में रखना।
- सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता हो।
- वयस्क व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका।
- टेक्नालॉजी के उपयुक्त प्रयोग और प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के बीच आवश्यक संतुलन।
- अध्यापकों को यह ध्यान देना होगा कि छोटे बच्चों के साथ डिजिटल टेक्नालॉजी का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है? इसके अतिरिक्त उनके विकास के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टेक्नालॉजी के उपयोग में वयस्क व्यक्तियों की भूमिका व ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए और किस स्तर की टेक्नॉलाजी को उपयोग में लाना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना होगा।

हम जानते हैं कि देश में डिजिटल टेक्नालॉजी की कक्षा की पहुँच बहुत सीमित है। फिर भी, हमें इस टेक्नॉलॉजी का उपयोग बच्चों की स्कूली तैयारी (स्कूल रेडीनेस) के लिए करना होगा।

विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यदि डिजिटल टेक्नालॉजी तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उचित रूप से डिज़ाइन की जाए तथा अध्यापक के मार्गदर्शन में प्रयोग की जाए, तो वह बच्चों के प्रारंभिक विकास और शिक्षा में बढ़ावा दे सकती है। डिजिटल टेक्नालॉजी को प्रभावी शिक्षण-अधिगम के रूप में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों व विचारों का प्रयोग करना आवश्यक है—

- कक्षा में डिजिटल टेक्नालॉजी का प्रयोग एक अतिरिक्त विकल्प है, न की आवश्यकता। आज हमें टेक्नालॉजी के बारे में पता होना, उसका अनुकूल और उपयुक्त रूप से प्रयोग करना आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा मुख्य रूप से अन्य लोगों के साथ बातचीत, वस्तुओं, घटनाओं और विचारों के माध्यम से होती है, जिसमें डिजिटल टेक्नॉलाजी संभवत: काम आएगी।
- डिजिटल टेक्नालॉजी कई आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसका प्रयोग छोटे बच्चे खेल-खेल में विचारों को आगे बढ़ाने, ज्ञान व

कौशल का विकास करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए कर सकते हैं।

- डिजिटल टेक्नालॉजी का उपयोग केवल कौशल वृद्धि करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली वास्तविक सामग्री जो शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक अनुभव देती है, को बदलने में।
- डिजिटल टेक्नालॉजी अंतर्क्रियात्मक व बिना किसी निर्धारित सीमा की होनी चाहिए, जो खोज कर सीखने को बढ़ावा दे। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए सॉफ़्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो रचनात्मकता, समस्या का समाधान और सोच-विचार जैसे कौशल को बढ़ावा दे।
- डिजिटल टेक्नालॉजी को सामाजिक संपर्क के लिए उत्प्रेरक का काम करना चाहिए। इसके द्वारा बच्चों को उपकरणों व कार्यक्रमों को एक साथ उपयोग करने, (बड़ों के साहित्य में) टिप्पणियों और खोज को साझा करने और एक-दूसरे की सहायता करने की अनुमति देनी चाहिए।
- जब बच्चे डिजिटल टेक्नालॉजी का उपयोग करते हैं, तब वयस्क व्यक्तियों को उनके साथ सहभागी के रूप में बातचीत करना व उनके साथ खेलों में शामिल होना चाहिए।
- ऐसे उपकरणों का चुनाव करना चाहिए, जो बच्चों के लिए सुरक्षित और मज़बूत हों, जिसे बच्चे अपनी आयु व विकास के अनुरूप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। क्योंकि यदि उपकरण की लागत या क्षति के बारे में चिंताएँ रहेंगी तो यह बच्चों द्वारा टेक्नालॉजी के उपयोग को प्रतिबंधित व संभावित लाभों को सीमित कर देगा।
- वर्तमान समय में डिजिटल टेक्नालॉजी का निरंतर विकास हो रहा है। इसलिए छोटे बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास के लिए टेक्नालॉजी की उपयुक्तता का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाना बहुत आवश्यक है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा स्तर पर उपयुक्त शिक्षण-अधिगम विधियाँ तथा टेक्नालॉजी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यद्यपि टेक्नालॉजी के उपयोग पर बहुत बल दिया गया है। परंतु पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में इसका उपयोग करने के लिए अध्यापकों, अभिभावकों तथा विद्यालयों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में स्पष्ट रूप से लिखा है कि, "ई.सी.सी.ई. में मुख्य रूप से लचीली, बहु-आयामी, बहु-स्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया जाना है। अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, आंतरिक तथा बाह्य खेल, तार्किक सोच, शिल्प, नाटक, अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए बच्चों के शारीरिक व भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक-नैतिक विकास, समग्र विकास आदि के सभी पहलुओं पर ध्यान देना है।"

इसके अलावा, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए बच्चों को स्वयं करके सीखने (हैंड्स ऑन लर्निंग), बदलाव करने (मैनीप्युलेटिव) के साथ खेल और अन्य प्रत्यक्ष रूप से कराई जाने वाली मनोरंजक गतिविधियाँ तथा आपस में बातचीत, विचार-विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टेक्नालॉजी का

छोटी कक्षाओं में सम्मिलित होना सभी बच्चों को महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से उन परिवारों को जिनकी कम आय है या किन्हीं अन्य कारणों से उनकी टेक्नालॉजी तक सीमित पहुँच है। कोविड-19 महामारी के दौरान हम यह भली-भाँति जानते हैं कि हमारे देश में डिजिटल विभाजन के कारण पिछड़े वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, जिनके घर पर बच्चों को टेक्नालॉजी के उपयोग का आवश्यकता से अधिक अवसर मिलता है।

कक्षा में गतिविधियाँ करने के लिए पुराने डिजिटल उपकरणों का उपयोग

हम प्राय: पाते हैं कि छोटे बच्चे खेल-खेल में (अभिनयकरण) ब्लॉक या पेंसिल बॉक्स को फ़ोन की तरह उपयोग करते हैं, जिसे हम सांकेतिक खेल का नाम देते हैं। यहाँ पर यह समझना बहुत आवश्यक है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिया जाए। हम बच्चों के घर-घर खेलने के दौरान उन्हें खाना बनाने का नाटक करने पर खिलौना स्टोव देते हैं। उसी प्रकार अन्य खेलों एवं गतिविधियों में छोटे बच्चों को पुराने मोबाइल फ़ोन, कैमरा आदि खेलने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चे बाहरी दुनिया के जुड़ाव को महसूस करते हैं और वे अन्य खिलौनों के साथ इन्हें पाकर बहुत आनंदित होते हैं।

अंत में, कुछ कार्यनीतियाँ या विधियाँ यह बताती हैं कि बच्चों द्वारा टेक्नालॉजी के प्रयोग में अध्यापक किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? अध्यापक इन इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल उपकरणों का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, अध्यापक अपने मोबाइल फ़ोन में काम के समय की तसवीरें ले सकते हैं और बाद में बच्चों को दिखाकर पुनरावृत्ति करा सकते हैं। अध्यापक द्वारा बच्चों की फ़ील्ड ट्रिप के दौरान की गई रिकॉर्डिंग भी सभी बच्चों के साथ साझा कर, बच्चों के अनुभवों को याद करने और उन्हें आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। अध्यापक इसी प्रकार के कई अन्य शिक्षण अनुभव अपनी कार्यक्रम योजना में निहित करते हुए टेक्नालॉजी का सही उपयोग कर सकते हैं और बच्चों को भी टेक्नालॉजी से स्वाभाविक रूप से परिचित करा सकते हैं।

शिक्षण-अधिगम कार्यनीतियाँ

शिक्षण-अधिगम के लिए उपयुक्त डिजिटल टेक्नालॉजी का चयन करने और छोटे बच्चों द्वारा इसके प्रयोग को मध्यस्थ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों का प्रयोग किया जा सकता है—

- **टेक्नालॉजी का सुरक्षित और सावधानीपूर्वक प्रयोग**— अध्यापक छोटे बच्चों को टेक्नालॉजी का उपयोग करना सीखने में सहायता करें, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और उपकरण भी खराब न हो तथा इसी तरह की देखभाल कक्षा के अन्य उपकरणों की भी हो। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बच्चे किसी भी प्रकार का दबाव महसूस करें। ध्यान रहे कि यह एक अतिरिक्त शिक्षण-अधिगम या माध्यम है।
- **बच्चों के अनुकूल हार्डवेयर का चुनाव**— तेज़ी से हो रही नई खोजों से, बच्चों के लिए डिजिटल टेक्नालॉजी का प्रयोग करना, जैसे— स्मार्ट फ़ोन में गेम खेलना, कंप्यूटर या लैपटॉप में कॉर्टून देखना आदि निरंतर आसान होता जा रहा है। अत: अध्यापक ऐसे उपकरण चुनें जो

छोटे बच्चों की अवधारणात्मक और शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए उपयुक्त हों, साथ ही उनकी आयु और विकास के अनुरूप भी हों। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि हार्डवेयर एक भौतिक वस्तु है जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसे हम छू व देख सकते हैं।

- **उचित प्रोग्राम और एप्लीकेशंस का चयन करें**— अध्यापक अंतर्क्रियात्मक और ओपन लर्निंग पर ज़ोर दें, न कि ड्रिल और अनावश्यक अभ्यास पर। पूरी कक्षा को प्रोग्राम या एप्लीकेशन उपलब्ध कराने से पहले, कुछ बच्चों या एक छोटे समूह पर प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, बच्चों के छोटे समूह द्वारा कंप्यूटर पर काम करते समय फूल व तितली बनाने के लिए कलर प्रोग्राम (पेंट और ब्रश) का प्रयोग करना और उसका प्रिंट-आउट लेना।
- **डिजिटल उपकरणों का सुविधाजनक उपयोग**— यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों व उनके साथ खेल रहे वयस्क व्यक्तियों (अध्यापक या अभिभावक) को इतना अवसर दें कि वे डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर सकें। कक्षा में उपयोग की जाने वाली टेक्नालॉजी, जैसे— स्मार्ट बोर्ड आदि सभी बच्चों को आसानी से हर तरफ से दिखाई देनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा घूमते हुए भी, उसे देखकर उस क्रिया में सम्मिलित हो सके और अध्यापक की निगरानी भी रहे।
- **बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टेक्नालॉजी से जुड़ी समस्याओं के हल बता सकें**— बच्चों को उन्हीं के द्वारा दिए गए समाधानों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें (जैसे— इसकी आवाज़ कैसे बढ़ सकती है, इस डिजिटल पहेली के टुकड़े को कैसे फ़िट कर सकते हैं, इस 'कमल फूल' को 'क' अक्षर पर कैसे ड्रेग और ड्रॉप किया जा सकता है, इस ड्राइंग को कैसे मिटाकर नई ड्राइंग बना सकते हैं आदि)। अध्यापक या अभिभावक बच्चों द्वारा समस्या सुलझाने के दौरान उनके पास उपलब्ध रहें ताकि किसी समस्या का सामना करने पर बच्चे निराश न हों। समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करें।

छोटे बच्चों के साथ उनकी आयु व विकास के अनुरूप टेक्नालॉजी का उपयोग पूर्व-प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में कई अवसर प्रदान करता है। हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, जिससे निरंतर हो रहे शोध कार्यों के आधार पर हम सही विकल्प का चुनाव कर सकें। हम विभिन्न प्रकार के अंतर्क्रियात्मक मीडिया और शिक्षण-अधिगम कार्यनीतियों की खोज कर रहे हैं, जो पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए भी होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि छोटे बच्चे सबसे अच्छी तरह तभी सीखते हैं, जब वह अपने साथियों एवं लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद व चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से खेल-सामग्री के साथ खेलते हैं, स्वयं खिलौनों को चुनते हैं, उन्हें छूते हैं, मिट्टी से विविध आकार बनाते हैं आदि। इस तरह की अनेक गतिविधियाँ उन्हें प्रेरित करती हैं। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में टेक्नालॉजी का उपयोग एक नवीनतम और वैकल्पिक व्यवस्था है। इसका उपयोग रचनात्मक व संतुलित तरीके से करना चाहिए।

संदर्भ

ज़ैक, ई. ए. 2010. *इन्फ़ेंट ट्रांसफ़र ऑफ़ लर्निंग एक्रॉस 2 डी/ 3 डी डाइमेंशंस— ए टच स्क्रीन पैराडिग्म*. जार्जटाउन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डी. सी.

डेनिम, एस. और नेमी, एल.एल. 2015. इन्फ़ेंट लर्न बेबी साइंस फ्रॉम वीडियो. *चाइल्ड डेव.* 86 (3), पृष्ठ संख्या 800–811.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रिचर्ट, आर.ए., एम.बी. फ़ेंडर, रॉब. और ई .जे. जी. वार्टेला. 2010. वर्ड लर्निंग फ़्रॉम बेबी वीडियोज़. *आर्काइव्स ऑफ़ पेडिएट्रिक्स एंड एडोलसेंस मेडिसिन.* 164 (5), पृष्ठ संख्या 432–437. रिसर्च गेट.

लॉरिसेला ए. आर., बार, आर. और केलवर्ट एस. एल. 2014. पेरेंट चाइल्ड इंटरएक्शंस ड्यूरिंग ट्रेडिशनल एंड कंप्यूटर स्टोरी बुक रीडिंग फ़ॉर चिल्ड्रन्स कॉम्प्रीहेंशन— इम्प्लीकेशंस फ़ॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरी बुक डिज़ाइन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ जे चाइल्ड – कंप्यूटर इंटरएक्ट.* 2 (1). पृष्ठ संख्या 17–25.

हिल, डेविड, नौशिन अमीनुद्दीन और अन्य. 2016. मीडिया एंड यंग माइंड्स. *पेडिएट्रिक्स*. 138 (5) : e 2016 2 591 ए.ए.पी. काउंसिल ऑन कम्यूनीकेशंस एंड मीडिया.

सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में स्थानीय हुनरों का समावेशन

राहुल मिश्रा*
राज कुमार श्रीवास्तव**

देश को समृद्ध एवं सुदृढ़ बनाने के लिए नागरिकों की सृजनात्मक अंत: शक्ति की पहचान करना और उसका विकास करना आवश्यक है। क्योंकि सृजनात्मकता एक दुर्लभ प्रतिभा है, जो प्राय: सभी लोगों में होती है। आज सृजनात्मकता के प्रति हमारी समझ व्यापक हुई है। जो कुछ विशेष लोगों— कलाकार, वैज्ञानिक, कवि, आविष्कारक तक ही सीमित नहीं है। यह एक साधारण व्यक्ति में भी होती है, जैसे— व्यक्ति मिट्टी के बरतन बनाता है, बढ़ई का कार्य करता है या सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता है; वह अपने कौशलों (हुनरों) के द्वारा अपने उत्पादों में गुणवत्ता लाता है। यह सब सृजनात्मकता के जीवंत उदाहरण हैं। इसी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भी हस्त एवं लोक कला को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने और उनसे संबंधित गतिविधियों को कक्षा में प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया गया है। इस लेख में वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा में उपयोग की जा रही सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण-अधिगम में सृजनात्मक जीवन कौशलों की पहचान तथा उसको बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत, इतिहास (हमारे अतीत) की पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु में उपयुक्त हुनरों की खोज कर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अध्यापक इन उदाहरणों से कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय-वस्तु में हुनरों की पहचान कर विद्यार्थियों को पहचाने गए हुनरों से जुड़े कौशलों एवं उनका सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक महत्व समझाएँगे। साथ ही, इस प्रक्रिया में विभिन्न हुनरों से जुड़े स्थानीय लोगों को विद्यालय में आमंत्रित कर विद्यार्थियों के बीच चर्चा कराएँगे। इस प्रकार अध्यापक विद्यार्थियों के बीच हुनरों पर चर्चा, प्रदर्शन, कार्यशाला एवं फ़ील्ड विज़िट आदि के द्वारा व्यापक दृष्टि व रोचकता प्रदान कर सकेंगे।

प्रत्येक मनुष्य में सृजन क्षमता होती है और उस क्षमता को वह स्वयं विकसित करता है। विद्यालय एवं अध्यापकों की यह ज़िम्मेदारी है कि वह विद्यार्थियों में उपयुक्त तरीकों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा इस सृजन क्षमता को पहचाने एवं भाषाएँ विकसित करने के अवसर प्रदान करें। भारत कला, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें देश के प्रत्येक भाग में लोक एवं शास्त्रीय गायन, नृत्य, बोली एवं भाषाएँ, संगीत, हस्तकला, शिल्पकला आदि सृजनात्मक गतिविधियाँ एवं कार्य किए जाते हैं। इन सृजनात्मक एवं हस्तकला से जुड़े कार्यों एवं गतिविधियों के अध्ययन से हमारे युवा विद्यार्थी स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।

**प्रवक्ता*, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर-पूर्व, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110 095
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, पाठ्यक्रम एवं शिक्षणशास्त्र विभाग, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर-पूर्व, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110 095

सृजनशीलता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, इसलिए वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मक कार्यों से जुड़ा होता है। भाषा का विकास भी सृजनशीलता का ही विस्तार है। मध्यप्रदेश की भीमबेटका की गुफ़ाओं में पत्थरों पर उकेरी गई चित्रकारी इस बात का प्रमाण है कि भाषा न होने पर भी व्यक्ति स्वयं को सृजनशीलता के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुभाषी देश में लोक कलाओं, लोकगीतों और स्थानीय हुनरों (कौशलों) का विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रदेश अपनी बहुरंगीय विविध लोक कलाओं से अपनी स्पष्ट पहचान बनाए हुए है। शिक्षा पर भी इस वैविध्यता का प्रभाव पड़ता है।

शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक बच्चा सृजनात्मक होता है। अत: बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा में निखार लाने के लिए उन्हें हुनरमंद लोगों के पास लाना होगा। हस्तशिल्प एक हुनर आधारित उत्पादन प्रक्रिया है। इसमें उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री स्थानीय एवं पर्यावरण के अनुकूल होती है। स्थानीय हुनर, एक जीवंत कौशल है, जो कला और कार्य दोनों पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए समृद्ध व आवश्यक संसाधन है। जो हाथ से काम करने, सामग्री व तकनीकी का उपयोग करने, प्रक्रियाओं को समझने तथा संसाधन संपन्न होने में पहल करता है। ये अनुभव बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अध्यापकों द्वारा स्थानीय हुनर को विषय-वस्तु से जोड़कर विद्यार्थियों को सृजनात्मक तथा सौंदर्यबोध की गतिविधि के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा में रंगमंच सीखने की एक शक्तिशाली विधा है, जिसे विषय-वस्तु का रंगमंचन कर सिखाया जा सकता है। यह अनुभव बच्चों की क्षमताओं एवं कौशल पहचानने के लिए उपयोगी है। इसलिए कला और शिल्प को शिक्षा से जोड़ा गया है।

साधारणतः सामाजिक विज्ञान या हिंदी के पाठ लोक कहानी, लोक कला या स्थानीय कामकाज से जुड़ी कहानियों से प्रेरित होते हैं। पाठ के अंतर्गत मिट्टी के बरतन बनाना, लकड़ी पर नक्काशी करना, मूर्ति कला आदि की शिक्षा दी जाती है, जो सामान्यत: जन जीवन से जुड़े कौशलों पर आधारित होती है। ऐसे पाठों में दिए गए कार्यों के प्रति हुनर की पहचान कराने के लिए अध्यापक कक्षा में चर्चा कर सकते हैं, जिससे उस कार्य के प्रति विद्यार्थियों में रोचकता के साथ समझ पैदा होगी।

पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण देश की वैविध्यता तथा विद्यार्थियों को मानवीय एवं कुशल नागरिक बनने की क्षमताओं व कौशलों में सक्षम बनाने हेतु उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार किया जाता है। जिसमें स्थानीय हुनरों को भी शामिल किया जाता है। इसी क्रम में इस लेख में उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की विषय-वस्तु को स्थानीय हुनर से समाकलित कर प्रस्तुत किया गया है। जिससे इतिहास की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी स्थानीय हस्त कौशल, ज्ञान, स्थानीय विशेषज्ञता आदि से विद्यार्थियों को परिचित कराने की अनुशंसा की गई है। जो इस प्रकार है —

- स्कूलों या स्कूल कॉम्प्लेक्स को विद्यार्थियों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान

और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों में पारम्परिक, स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय, जहाँ स्थानीय विशेषज्ञता उपलब्ध है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रअध्यापक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- कृषि शिक्षा से संबंधित विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। कृषि शिक्षा की प्रक्रिया को ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों के विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा जो स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और उभरती हुई तकनीकों को समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें तथा इसके साथ-साथ महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे— भूमि की गिरती उत्पादन शक्ति, जलवायु परिवर्तन, हमारी जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता आदि को लेकर जागरूक हों।
- उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रअध्यापक के रूप में स्कूल से जोड़ना तथा पाठ्यचर्या, मानविकी, विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेश करना, जब भी ऐसा करना प्रासांगिक हो। उच्चतर शिक्षा की पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन प्रदान कर अपने लिए कार्य का चुनाव करने का अधिक अवसर देना।
- स्थानीय संगीत, कला, भावों एवं हस्त शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी जहाँ अध्ययन कर रहे हों, वहाँ की संस्कृति और स्थानीय ज्ञान को जान सकें। उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्तशिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कलाकार उसी संस्थान के कॉम्प्लेक्स में संग्रहालय का विकास करें, जिससे कि विद्यार्थी कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। आवासीय शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पाठ्यक्रम की स्थिति को दूर करना, इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान, जैसे— स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें। प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से परिचित हो। ऐसा करने से वह श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं एवं कारीगरी सहित अन्य हुनर व कौशलों के प्रति जागरूक होगा और विभिन्न व्यवसाय के महत्व से परिचित होगा। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस लेख में सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास (*हमारे अतीत*) की विषय-वस्तु को स्थानीय हुनरों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में स्थानीय हुनरों को कैसे सीखा जाए? इस हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं—

- सर्वप्रथम हुनर की पहचान आवश्यक है।
- हुनर वह कार्य है, जो परंपरागत ढंग से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं।

- हुनर अपने आप में परिपूर्ण और अभिव्यक्ति का श्रेष्ठतम माध्यम है।
- हुनर में लगे श्रम की पहचान करना तथा श्रम के प्रति आदर और सम्मान का भाव पैदा करना।
- वर्तमान में वैज्ञानिक तरीके से होने वाले उत्पादन भी हुनर से जुड़े हुए हैं, को समझाना।
- पाठ की विषय-वस्तु को आसपास होने वाले हुनर से जुड़े व्यवसायों एवं कौशलों से जोड़ना तथा उसकी उपयोगिता समझाना।
- पाठों में दिए गए हुनरों के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्यमशील बनने के लिए प्रेरित करना तथा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना।

उच्च प्राथमिक स्तर के इतिहास की विषय-वस्तु के साथ स्थानीय हुनरों का समेकन— कुछ उदाहरण

इसी संदर्भ में अध्यापकों के लिए कुछ कार्यकलाप सुझाए गए हैं, जैसे—

- पाठ पढ़ाते समय बच्चों को सक्रिय रूप से सहभागिता करने के लिए प्रेरित करना।
- विद्यार्थियों में खोज एवं चिंतन क्षमता विकसित करने के लिए अधूरी सूचना को पूरी करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उनके कलात्मक विचारों का आदर करना।
- विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा के दौरान चित्रकारी, कल्पनात्मक कथाओं आदि के माध्यम से जैसा भी संदर्भ हो, विस्तारपूर्वक बताने के लिए कहना।
- दूसरों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को नए संदर्भ में पुनर्गठित करने, पुनः संजोने और देखने के लिए कहना।
- कक्षा में पाठगत समस्याएँ उत्पन्न करना और उनके समाधान के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करना।
- विषय वस्तु को वर्तमान दैनिक जीवन से जोड़ना।

कक्षा 6 में 'आरंभिक मानव की खोज' पाठ के अंतर्गत मानव के विकास क्रम को दर्शाया गया है। जिसमें बताया गया है कि आज की विकसित अवस्था में मानव कैसे पहुँचा? प्रारंभिक मानव ने रहने के लिए गुफ़ाओं का उपयोग किया और खाने-पीने के लिए पशु-पक्षियों का शिकार किया था। आग की खोज के बाद भोजन भूनकर खाने लगे। शिकार के लिए वह लंबी यात्रा भी करते थे। भीमबेटका (मध्य प्रदेश) की गुफ़ाओं में मिले चित्रकारी के प्रमाण, उनकी भाषाई अभिव्यक्ति का एक माध्यम हैं, साथ ही आरंभिक मानव के मनोरंजन का साधन भी हैं। यहाँ पर हुनर क्रियाकलाप के अंतर्गत विद्यार्थियों को चित्रकारी के बारे में बताया जा सकता है कि चित्रकारी एक संचार का माध्यम भी है। आरंभिक मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औज़ार या मिट्टी के बरतन आदि की उपयोगिता तथा उन्हें बनाने की विधियाँ आदि हुनर सीखने में सहायक हो सकती हैं।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (कला के माध्यम से सीखना)

विद्यार्थियों को मिट्टी से जुड़े हुनर सीखने के लिए मिट्टी के बरतन आदि बनाने का कार्य कक्षा में कराया जा सकता है। विद्यार्थी मिट्टी के बरतन बनाएँ और उनकी जीवन में उपयोगिता के बारे में लिखें। इस क्रियाकलाप से विद्यार्थियों में इस हुनर के प्रति संवेदना उत्पन्न होगी, साथ ही वे स्वयं की आरंभिक मानव से तुलना कर सकेंगे। लोहे के औज़ार बनाने की कला लोहार द्वारा अच्छे से समझाई जा सकती है। साथ ही, विद्यार्थियों को यह समझाना कि किस तरह पत्थर के औज़ारों से आज हम विभिन्न तरह के लोहे के औज़ारों तक पहुँचे हैं? इससे जुड़ी गतिविधि

के रूप में विद्यार्थी घर में पाए जाने वाले लोहे के औज़ारों की एक सूची तैयार करके उनकी उपयोगिता को लिख सकते हैं।

'खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर' नामक पाठ भी सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 6 की विषय-वस्तु है। पाठ की शुरुआत लोहे की खोज से शुरू होती है। 2500 साल पहले लोहे की खोज ने कृषि व्यवस्था में एक क्रांति ला दी थी। धान की रोपाई ने कृषि उत्पादन को बढ़ा दिया था। लोहे के औज़ारों से कुएँ, जलाशय, नहरों का निर्माण हुआ और लोहे के फाल ने गहराई तक जुताई करके कृषि को उपजाऊ बना दिया। वहीं लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल काटकर खेत बनाए जाने लगे। शिल्पकारी के उद्भव ने नगरों को विस्तार दिया और नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र बने, जिसमें मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र बना। साथ ही, बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (कला अध्ययन)

अध्यापक द्वारा इस विषय-वस्तु से विद्यार्थियों को यह बताने का प्रयास किया जा सकता है कि कुछ विशेष वस्तुओं की खोज से, जैसे— लोहे के आविष्कार ने शहरों के विकास में किस तरह योगदान दिया और लोहे की खोज से पूर्व जीवन निर्वाह के साधन कैसे थे? इसके साथ ही विद्यार्थियों को स्थानीय लोहारगरी के द्वारा लोहे से बने सामानों की पहचान करवाएँ और उसकी उपयोगिता भी बताएँ। साथ ही, इन सामानों को प्राचीन काल में बने लोहे के सामानों से तुलना करने का प्रयास करें।

पाठ से संबंधित हुनर सिर्फ़ कारीगिरी, बुनाई गिरी, लोहारगरी, मूर्तिकारी आदि एक कला ही नहीं हैं, बल्कि नगरों की विकास यात्रा से जुड़े हैं, इस पर भी अध्यापक एवं विद्यार्थी चर्चा करें। इस विकास यात्रा में लोहे और रोपाई की विधि ने कैसे गाँव को नगरों में परिवर्तित कर दिया। अध्यापक, शिल्पकार या लोहारगरी की कार्यशाला विद्यालय में आयोजित कर विद्यार्थियों को इस शिल्प की विशेषताएँ तथा श्रम के महत्व से अवगत करा सकते हैं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को मूर्तिकला से संबंधित क्षेत्रों और शहरों से परिचित कराना तथा उन क्षेत्रों में मिलने वाले पत्थरों की उपलब्धता ने इस कला को कैसे जन्म दिया? यह बताना। विद्यार्थियों को शिल्पकला और लोहारगरी की विकास यात्रा समझाना। विद्यार्थी इन कलाओं की सूची बनाकर वर्तमान युग में उनके महत्व और उपयोगिता पर चर्चा कर सकते हैं। अध्यापक विद्यालय में अपने स्थानीय क्षेत्र से जुड़े हुनर या लोक कला पर कार्यशाला कराएँ, जिससे विद्यार्थियों में कलाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी और जिससे उनमें इन व्यवसायों को अपने जीवन-निर्वाह का साधन बनाने की समझ विकसित होगी।

कक्षा 7 के पाठ 'मध्यकालीन भारत में इस्लाम' में, भारत में प्रौद्योगिकी के आगमन से आए परिवर्तन की चर्चा की गई है, जैसे— सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होने लगा, भाषा में अनेक बदलाव आए, भवन निर्माण कला में बदलाव आया और इतिहास लेखन की कला विकसित हुई। तुर्कों की सत्ता स्थापित होने के बाद भारत में नई तकनीक, जैसे— तकली से सूत कातना, घोड़े की लोहे की नाल, इतिहास लेखन की प्रक्रिया आदि शुरू हुई।

कक्षा 7 के 'नए राजा और उनके राज्य' पाठ में चोल मंदिर के आसपास विकसित हुई बस्तियों पर चर्चा की गई है। यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों

द्वारा दान में दी गई भूमि से ही संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज से मंदिर के लिए जो काम करते थे, जैसे— पुरोहित, मालाकार, संगीतकार इत्यादि पर खर्च किया जाता था। मंदिर सिर्फ़ पूजा, आराधना के स्थान ही नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में कांस्य प्रतिमाएँ बनाने का काम सबसे विशिष्ट था।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (कांस्य कला)

अध्यापक कक्षा में कांस्य प्रतिमा से जुड़े कारीगर और कच्चे माल की चर्चा करें तथा अभी किन क्षेत्रों में कांस्य प्रतिमा बनाने का कार्य होता है, उन्हें मानचित्र में दर्शाएँ। दक्षिण भारत में मंदिरों के आस-पास स्थित होने वाले गाँव की योजना पर भी चर्चा करें।

कक्षा 8 के 'कैसे, कब और कहाँ' पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत फ़ोटोग्राफ़, नक्शे, विज्ञापन, चित्र, अभिलेखगार के फ़ोटो और मानचित्रण ऐसी सहायक सामग्रियाँ हैं, जो ब्रिटिश कालीन इतिहास लेखन में अहम भूमिका अदा करती हैं। वर्तमान, भूतकाल में हुए अभ्यास पर आधारित होता है। कोई भी कार्य जो आज मशीनों के द्वारा कम मूल्य और कम समय में आसानी से हो जाता है, यदि उन कार्यों की शुरुआत देखें तो कुछ हुनरमंद लोगों द्वारा सीमित साधनों के द्वारा कड़ी मेहनत से किया जाता था।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (खुशनवीसी और चित्रकारी)

अध्यापकों द्वारा कक्षा में हुनरों, जैसे— खुशनवीसी, चित्रकारी एवं विज्ञापन की चर्चा विषय-वस्तु से जोड़कर करना तथा कक्षा में खुशनवीसी और चित्रकारी की कार्यशाला भी आयोजित करना। इस प्रकार विद्यार्थियों को हुनर में लगे श्रम के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अध्यापक विद्यालय के आस-पास जहाँ पर लकड़ी या पत्थरों पर खुशनवीसी के काम हो रहे हों, उन्हें विद्यार्थियों को दिखाएँ और उन शिल्पकारों को विद्यालय में बुलाकर कार्यशाला आयोजित करें।

कक्षा 8 में 'आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना' नामक पाठ में एक चित्र में महिलाएँ पंडानु की पत्तियाँ इकट्ठा कर रही हैं, जिससे पत्तल बनाई जाती है। पत्तल बनाना एक हुनर है, अत: इस हुनर का परिचय विद्यार्थियों को कराना। आदिवासी लोग व्यावसायिक गतिविधि के रूप में पत्तल बनाने का काम करते थे तथा वे इलाज के लिए जड़ी-बूटियों को इकट्ठा करना और बाज़ार में बेचने का कार्य करते थे। इसके अलावा जंगली खाद्य पदार्थ, जैसे— शहद, कुसुम और पलाश को रंगाई के लिए बेचने का काम करते थे। इस पाठ में दिए गए विभिन्न चित्रों में आदिवासी समुदाय द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दर्शाया गया है, जिसमें लकड़ी इकट्ठा करना, लट्ठ से घर बनाना, चटाई बुनना आदि दिया गया है, जो अलग-अलग हुनरों को दर्शाता है।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (स्थानीय हुनर)

अध्यापक, पाठ में दिए गए स्थानीय हुनरों को विद्यार्थियों के साथ साझा करें। चित्रों के आधार पर जनजातियों के हुनरों पर बात करें और कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को इन हुनरों से प्रशिक्षित करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को चटाई की बुनाई से परिचित कराएँ, क्योंकि चटाई, टोकरी, चारपाई आदि बनाना एक पारंपरिक हुनर है। ऐसे पारंपरिक

हुनरों को विद्यालय में कार्यानुभव के द्वारा सिखाया जा सकता है।

निष्कर्ष

विद्यार्थियों की सृजन क्षमता को पहचानने एवं विकसित करने में विद्यालय एक सर्वोत्तम इकाई है। अध्यापक विद्यार्थियों की सृजन क्षमता में और विकास करने के लिए विभिन्न विषयों की पाठ्यवस्तु से हुनरों की पहचान कर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हुनर स्वयं की प्रतिभा है, जो सामान्यत: औपचारिक शिक्षा पर निर्भर नहीं है। फिर भी, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, सुनार, हलवाई आदि के व्यवसाय के प्रति सम्मान पैदा कराना भी शिक्षा और अध्यापक का कर्तव्य है। इस लेख में उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के शिक्षण-अधिगम में हुनरों की पहचान कर कक्षा में पढ़ाना और दैनिक जीवन से जोड़ना आदि से जुड़े कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों से इतिहास शिक्षण को रोचक बनाने के साथ-साथ परंपरागत हस्तकला एवं हस्तशिल्पों के प्रति विद्यार्थियों की समझ विकसित की जा सकती है। जिसे वे भविष्य में अपनी आजीविका का साधन भी बना सकते हैं। यह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *हमारे अतीत*, 1, कक्षा 6. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. *हमारे अतीत, 2*, कक्षा 7. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. *हमारे अतीत, 3*, कक्षा 8. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* 2005. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

विद्यालयी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम
बदलाव की एक पहल

दीपमाला*

कोविड-19 ने पूरे विश्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इसके प्रकोप से अछूता नहीं रहा। बच्चों की शिक्षा को निरंतर जारी रखना एक चुनौती थी। ऐसे में शिक्षा में डिजिटल तकनीकी का उपयोग एवं ऑनलाइन शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि कारोना महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के व्यावहारिक उपयोग का जो विकास हुआ वह सामान्य समय में भविष्य में संभवतः दस वर्ष के बाद संभव हो पाता। महामारी ने हमें अनेक प्रकार से नुकसान पहुँचाया, किंतु इसी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों ने भविष्य के डिजिटल भारत के अभियान को आगे बढ़ाया। हम जानते हैं कि शिक्षा में की गई प्रत्येक पहल एवं परिवर्तन के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। इस लेख में विद्यालयी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण पर किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयासों तथा सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया है।।

कोरोना वायरस से फैली महामारी ने भारत समेत संपूर्ण विश्व में जीने के मायने और तरीके ही बदल दिए हैं। अब हम सभी अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित और अधिक सचेत हो गए हैं। कोरोना ने यूँ तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया, परंतु पूरे विश्व में शिक्षा और उसे प्राप्त करने वाले विद्यालयी विद्यार्थियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। कोविड-19 के कारण विश्व के अधिकतर देशों में लॉकडाउन की स्थिति आई तथा स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। विद्यार्थियों की शिक्षा को निरंतर जारी रखने तथा उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रौद्योगिकी ही एकमात्र विकल्प थी, जिसे समस्त विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के शैक्षिक संस्थानों ने अपनाया। यह पद्धति एक मददगार एवं सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आई, जिसमें विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ घर पर ही अध्यापकों के मार्गदर्शन से शिक्षा से जुड़े रहे। इसमें अध्यापकों की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ अधिक बढ़ गईं। संभवत: इस पद्धति से अध्यापकों की युवा पीढ़ी को कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, किंतु हमारे प्रौढ़ अध्यापकों को इस तकनीकी शिक्षा एवं अधिगम के साथ तालमेल बैठाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी, सभी अध्यापकों ने समाज के प्रत्येक

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय, देवनगर, नयी दिल्ली 110 005

बच्चे तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी के माध्यम से शिक्षण को स्वीकारा एवं सफलता से प्रयोग करना प्रारंभ किया है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलें भी सार्थक योगदान दे रही हैं। इस कड़ी में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा अध्यापकों, शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम और गतिविधियाँ (ऑनलाइन शिक्षा), जैसे— *निष्ठा, दीक्षा, कक्षा वार पीएम ई-विद्या* चैनलों पर 24×7 प्रसारण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

ऑनलाइन शिक्षा का अभिप्राय

"डिजिटल शिक्षा एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम का उपयोग करके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है।... यह वास्तविक समय में सीखने-सिखाने का वह तरीका है जहाँ एक ही समय में ऑनलाइन विद्यार्थियों के एक समूह के साथ सहयोगात्मक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने में शामिल किया जाता है और अकसर एक अध्यापक अथवा त्वरित प्रतिपुष्टि के किसी तरीके से तत्काल प्रतिपुष्टि दी जाती है।... यह कभी भी कहीं भी सीखने की पद्धति है जिसमें उदाहरण के लिए इंटरनेट, ई-मेल, एस.एम.एस., एम.एम.एस., दीक्षा पर ई-सामग्री सर्फ़िंग, रेडियो, पॉडकास्ट सुनना, टी.वी. चैनल आदि देखकर सीखा जाता है।" (*प्रज्ञाता,* भारत सरकार) इसके माध्यम से बच्चे बिना विद्यालय आए अपने घर या अन्य स्थान पर रहकर अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, टेबलेट, लैपटॉप पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि बच्चे कहीं भी और कभी भी अपने अध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा मात्र तकनीकी ही नहीं, बल्कि सामाजीकरण की नई प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शिक्षा से जुड़े सभी हितधारी आपस में संवाद कर सकते हैं। अध्यापक अपनी सुविधानुसार विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं। विश्व के कई देश अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को पहले से ही लागू कर विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा रहे हैं। लेकिन भारत इस क्षेत्र में अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। कोविड-19 के दौरान इसके व्यावहारिक पक्ष के बारे में अधिक समझ और उपयोग में वृद्धि हुई है।

चूँकि भारत एक विकासशील एवं प्रगतिशील राष्ट्र है। फिर भी, देश के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ मौजूद हैं जिनमें गरीबी, अधिक जनसंख्या और निरक्षरता प्रमुख है। देश में शिक्षा व्यवस्था को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने का प्रयास सरकारों द्वारा विभिनन स्तर पर किया जा रहा है। इनमें शासकीय विद्यालयों का संचालन प्रमुख है। उन विद्यालयों में सामान्यत: इन परिवारों की मूल ज़रूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती हैं, ऐसे में इन परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करना एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने हेतु सरकारी प्रयासों के साथ-साथ समुदाय द्वारा भी पहलें की गईं, जिनमें-सामुदायिक भवन में कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए टेलीविज़न पर लाइव कक्षाएँ आयोजित करना, सामुदायिक रेडियो, अध्यापकों द्वारा बच्चों एवं उनके माता-पिता को घर पर जाकर मार्गदर्शन देना आदि द्वारा सीमित संसाधनों में शिक्षण-अधिगम

प्रक्रिया को जारी रखा गया। कुछ अध्यापकों ने अपने घर को ही कक्षा में बदल लिया तथा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण में स्कूल जैसा परिवेश प्रदान करने का प्रयास कर कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखा व बढ़ाया। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम के साधन नहीं थे, उन्हें अध्यापकों ने उनके घर जाकर अभ्यास कार्य एवं वर्कशीट प्रदान की और आकलन हेतु वापिस लेने की व्यवस्थाएँ कीं। ताकि बच्चे सीखने की प्रक्रिया से खुद को जोड़ सकें। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए अध्यापकों ने अपने विद्यार्थियों के लिए पूरी लगन और समर्पण से कोरोना योद्धाओं की तरह अपने शिक्षण कार्य को पूरी ईमानदारी से संचालित किया। ऑनलाइन कक्षाएँ कोविड-19 के दौर में शिक्षा का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी हैं, जो नि:संदेह भविष्य में एक उज्ज्वल शिक्षण मार्ग का निर्माण करने में सहायक हो सकती हैं।

आधुनिक युग ऑनलाइन युग है, जिसे हमारी युवा पीढ़ी सहजता से स्वीकार करती है। अतः कोविड-19 के दौरान विकसित हुई ऑनलाइन शिक्षा पद्धति हमारे युवाओं में उसी तरह से सहज रही है, जिस तरह से उनका ऑनलाइन शॉपिंग से सहज होना। हमारा आज का युवा इंटरनेट आधारित ई-सेवाओं का भरपूर उपयोग करता है, जैसे— बैंकिंग सेवाएँ, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया आदि। उनके लिए अब उनका विद्यालय और कॉलेज भी ई-प्लेटफ़ॉर्म स्थान बन चुका है। इस प्रकार, ऑनलाइन शिक्षा अब इन युवाओं के लिए अधिक सरल, सहज एवं सुगम उपाय बन गया है। अत: आधुनिक विद्यार्थियों के उत्साह एवं रुचि को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि हमारे अध्यापक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अर्थात् डिजिटल माध्यम से अपने विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या आधारित विषय-वस्तु सिखाएँ। गूगलमीट, ज़ूम, क्लासरूम, स्काइप आदि ऐप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के डिजिटल माध्यम बन चुके हैं। विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना या बनाए रखना प्रत्येक अध्यापक के लिए एक चुनौती है, ऑनलाइन शिक्षा में इस पर ध्यान देना और भी ज़रूरी व अनिवार्य हो गया है।

कोविड-19 के दौरान अध्यापकों को अब सभी कार्य ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। यह कार्य एक नवीन अनुभव के साथ-साथ समय-समय पर बोझिल भी होता जा रहा है। यह भी सत्य है कि कोई भी ऑनलाइन कक्षा वास्तव में अपने विद्यार्थियों के साथ उनके अध्यापक की भौतिक उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सकती और न ही अध्यापक को उसके विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति का अनुभव करवा सकती है। फिर भी, यह आज के समय एवं आधुनिक भारत की माँग है जिसे हम सभी को स्वीकार कर अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है। यहाँ पर यह जानना भी ज़रूरी है कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति किस तरह से बच्चों एवं युवाओं को प्रभावित कर रही है। इस पद्धति में समय की बचत होती है, जिसमें अध्यापक एवं विद्यार्थी घर पर ही शिक्षण-अधिगम करते हैं। इस प्रकार बचे हुए समय का उपयोग अध्यापक अपनी पेशेवर दक्षता की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार, यह बहुत ही सरल एवं सुगम पद्धति है।

इस पद्धति में बच्चे अपने माता-पिता के मार्गदर्शन एवं निगरानी में पढ़ते हैं। जिससे बच्चों को नई-नई डिजिटल तकनीकों को सीखने का अवसर मिला। चूँकि शिक्षण-अधिगम सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने और घर पर रहकर पढ़ने से विद्यार्थियों के समय, ऊर्जा एवं धन की भी बचत होती है। समान्यत: ऑनलाइन शिक्षा बच्चों में हमेशा कुछ नया सीखने की ललक पैदा करती है। जिससे विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करते हुए कई विविध एवं कौशल आधारित कोर्स करने लगे हैं। साथ ही, अध्यापकों ने भी ऑनलाइन वेबिनार, पेशेवर संवर्धन कार्यक्रमों आदि में भाग लेकर और इन्हें आयोजित करके समय का सदुपयोग कर खुद की पेशेवर दक्षता को बढ़ाया है। साथ ही, अपने विद्यार्थियों को भी रोज़गारपरक ऑनलाइन कोर्स करने के लिए प्रेरित किया है। अध्यापक सदैव ही अपने ज्ञान एवं दक्षता को बढ़ाने और विद्यार्थियों के लिए कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा और बच्चे

विभिन्न शोध अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया से जहाँ शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव पाए गए, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी दिखाई दिए। इन पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला प्रभाव बच्चों को उनके स्कूल या कॉलेज का माहौल या भौतिक वातावरण न मिल पाना है, जिसके कारण बच्चों में अवसाद की समस्याएँ पाई जाने लगी हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर लगातार ध्यान दें तथा उन्हें निरंतर मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करें। जिसमें अभिभावक और अध्यापक मिलकर भी यह कार्य प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। दूसरा नकारात्मक प्रभाव था, इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा मिलने से बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त अधिकतर समय विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों में व्यतीत करने लगे। ऐसे में बच्चे एकाकी जीवन जीने लगे तथा चिड़चिड़ापन स्वभाव व्यक्त करने लगे। इसके अलावा, उनका मित्रों के साथ खेलना-कूदना बंद हो गया था। इसलिए, बच्चों के इस एकाकीपन को दूर करने के लिए, अभिभावक एवं परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

बच्चों को स्कूल या कॉलेज का माहौल न मिलने के कारण उनका आकलन करना भी कठिन हो गया। ऐसे में परीक्षाओं में भी ओपन बुक एग्ज़ाम एवं अन्य मार्कशीट या प्रोजेक्ट आदि द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किया जाने लगा। लेकिन यह समझना बहुत ही कठिन हो गया कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा? आकलन एवं मूल्यांकन में विद्यार्थियों के साथ-साथ अध्यापकों को भी कठिनाई उत्पन्न होने लगी। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों की भावना में कमी पाई गई। पूरे दिन घर में बंद रहने के कारण बच्चों में निराशा उत्पन्न होने लगी, अत: वे क्रोध करने लगे। इसके अलावा, अभिभावकों को उनके साथ ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित होने तथा गृहकार्य करने के प्रति अधिक सख्त होने से उनका स्वभाव विद्रोही होने लगा। बच्चों द्वारा इंटरनेट और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से उनकी आँखों, सिर तथा शरीर में दर्द होने लगा। उन्हें ठीक से नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, अनियमितता, उदासीनता, एकाग्रता में कमी जैसी अनेक परेशानियाँ सामने आने लगीं।

ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलें

देश में कई ऐसे सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पास मूलभूत एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में, डिजिटल भारत की नींव को मज़बूत करना एक विशेष चुनौतीपूर्ण कार्य है। किंतु फिर भी केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इन समस्याओं के हल हेतु कई अथक प्रयास किए गए हैं। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विद्यालयी शिक्षा को सतत जारी रखने हेतु कई विकल्प प्रस्तुत किए गए जिनमें सीखने के प्रतिफल पर आधारित आठ सप्ताह का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया गया। "यह शुरुआती कैलेंडर है जिसे आठ सप्ताह के लिए तैयार किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस कैलेंडर में प्रकरणों या थीमों को संबंधित कक्षाओं के पाठ्य विवरण से चयनित किया गया है तथा सीखने के प्रतिफल से जोड़ा गया है। इन सीखने के प्रतिफल के आधार पर रोचक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं" (*वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर, 2021–22*, रा.शै.अ.प्र.प.)

इस कैलेंडर के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह हेतु विभिन रोचक, मनोरंजक एवं प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। ये सभी गतिविधियाँ पाठ्यपुस्तकों पर आधारित हैं। इनकी सहायता से अध्यापकों सहित अभिभावकों को भी विद्यार्थी के अधिगम प्रगति के मूल्यांकन में मदद मिलेगी। इन गतिविधियों में शारीरिक अभ्यास, योग साधना, व्यावसायिक कौशल, कला आधारित शिक्षा आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तथा संस्कृत चार भाषाओं में कक्षा एवं विषयवार गतिविधियाँ तैयार की गई हैं। यह कैलेंडर इंटरनेट, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, ट्विटर, गूगल इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध न होने की स्थिति में अध्यापकों का मार्गदर्शन करेगा। इसके माध्यम से अध्यापक यह जान पाएँगे कि कम एवं इंटरनेट रहित सामग्री के साथ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा हेतु दीक्षा पोर्टल एवं एन.आर.ओ.ई.आर. पर विविध प्रकार की शिक्षण-अधिगम सामग्री उपलब्ध है। जिसका उपयोग अध्यापक, विद्यार्थी तथा अभिभावक आसानी से कर सकते हैं। *स्वयंप्रभा* चैनल संख्या 19 से 22 द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। *पीएम ई-विद्या* चैनल द्वारा कक्षा 1 से 12 तक कक्षाएँ नियमित संचालित की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य के विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए *दूरदर्शन* के माध्यम से अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान एवं कक्षा 11 तथा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, अंग्रेज़ी तथा जीव विज्ञान की कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। रा.शै.अ.प्र.प. तथा सीमैट द्वारा वर्चुअल बैठकों के माध्यम से अध्यापकों तथा विद्यालय प्रमुखों को विविध शैक्षिक गतिविधियों से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा हेतु *प्रज्ञाता* नाम से मागदर्शिका विकसित की गई है। *प्रज्ञाता* में ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा के महत्व, लागू करने के तरीके, अध्यापक, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के उत्तरदायित्व व कर्तव्य तथा केंद्र एवं राज्य सरकार

के द्वारा डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु अद्यतन उपायों पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जिनमें *पीएम ई-विद्या* कार्यक्रम, *दीक्षा*, टीवी चैनल— *स्वयंप्रभा, स्वयं*, रेडियो और सामुदायिक रेडियो, नेत्रहीन एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑनलाइन कोचिंग महत्वपूर्ण है। इस मार्गदर्शिका में डिजिटल शिक्षा के नियोजन तथा क्रियान्वयन हेतु विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें समाज के उन विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनके पास इंटरनेट, मोबाइल तथा अन्य किसी भी प्रकार की डिजिटल सामग्री नहीं है।

निष्कर्ष

ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई औपचारिक या फ़ेस-टू-फ़ेस शिक्षा के विकल्प के रूप में एक बेहतर एवं सार्थक उपाय सिद्ध हुई है। साथ ही सरकार एवं समाज द्वारा समय पर की गई पहलें तथा देश के सभी शैक्षिक संस्थानों, जैसे— रा.शै.अ.प्र.प., नीपा, सी.बी.एस.ई., एन.आई. ओ. एस., इग्नू आदि द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने शिक्षार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने का प्रयास किया। कोविड-19 महामारी के इस कठिन दौर का हम सभी ने डटकर तथा समझदारी के साथ सतर्क रहते हुए सामना किया है। हमने स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा को भी गुणवत्तापरक बनाने का प्रयास किया है। जिसमें ऑनलाइन शिक्षा सभी हितधारकों के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण का विकल्प सिद्ध हुई है। शिक्षा मंत्रालय एवं रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा ऑनलाइन दक्षता निर्माण कार्यक्रम विशेषकर अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों को शिक्षण-अधिगम पद्धति तथा अन्य शैक्षिक सरोकारों से क्षमता का संवर्धन किया जा रहा है। अत: इस प्रकार की अभूतपूर्व पहलों से संभवतः भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि यह बदलाव इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी निम्न एवं मध्यवर्ग के रूप में जीवनयापन कर रही है। कई परिवार ऐसे हैं जो अभी भी तकनीक की इस क्रांति से अनभिज्ञ हैं।

सुझाव

- सरकार द्वारा देश में डिजिटल क्रांति लाने के लिए तथा पिछड़े वंचित एवं गरीब परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु एक सामान्य एंड्रोइड फ़ोन उपलब्ध करना चाहिए।
- मोबाइल फ़ोन का उपयोग केवल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया हेतु किया जा सके, इस हेतु उचित सॉफ़्टवेयर बनाकर उसमें अपलोड करना चाहिए।
- भविष्य में कोविड-19 महामारी के समाप्त होने के पश्चात् विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा निरंतर जारी रखी जाए तथा विद्यालयों को आधुनिक बनाया जाए।
- विद्यालयी संसाधनों को तकनीक के अनुरूप ढालने के लिए विद्यालयों में विभिन्न डिजिटल उपकरणों को स्थापित करते हुए प्रत्येक विद्यालय में एक तकनीकी विभाग भी बनाया जाए, जो अध्यापकों एवं शिक्षार्थियों को तकनीक की जानकारी के साथ-साथ उनकी समस्याओं एवं अधिगम प्रक्रिया में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान कर सके।
- अध्यापकों की डिजिटल शिक्षा से संबंधित क्षमता निर्माण हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- विद्यार्थियों से विभिन्न डिजिटल प्रोजेक्ट करवाएँ, जिसमें अभिभावक भी शामिल हों।

संदर्भ

द *वायर* में ऑनलाइन शिक्षा पर प्रकाशित लेख. 10 जून, 2021 को http://https://m.thewirehindi.com/article/covid-19-lockdown-onlineclasseshighereducation/122150/amp#aoh=16126986173080&referrer=https%3A%2F%2F से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2021. *प्रज्ञाता— डिजिटल शिक्षा के लिए मार्गदर्शिका*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली. 12 जून, 2021 को https://ncert.nic.in/pdf/announcement/PRAGYATA_Guidelines_hindi.pdf से प्राप्त किया गया है.

———. 2021. *आठ सप्ताह हेतु वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर— प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए*. रा.शै.अ.प्र.प. दिल्ली. 13 जून, 2021 को https://ncert.nic.in/pdf/Hindi_AAC_Eight_Week_Primary_Stage.pdf से प्राप्त किया गया है.

सिन्हा, श्वेता और शालिनी, लांबा. *उच्च शिक्षा में आईसीटी की भूमिका*. 12 जून, 2021 को https://m-hindi.indiawaterportal.org/content?slug=ucaca-saikasaa-maen-aisaitai-kai-bhauumaikaa-role-ict-higher-education&type=content-type-page&id=57834&amp=1 से प्राप्त किया गया है.

विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण का ऑनलाइन मॉडल चुनौतियाँ एवं सुझाव

मनीष*

विश्व का कोई भी भाग कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अछूता नहीं है। इस महामारी का असर समाज एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों को बंद किया गया है। वैश्विक स्तर पर, विद्यालय जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी पर किसी न किसी प्रकार से इस महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विद्यालय में दाखिले से लेकर परीक्षा तक की सभी प्रक्रियाएँ प्रभावित हुई हैं। परिणामस्वरूप, शिक्षा के स्वरूप में नए परिवर्तन हुए हैं। ई-लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा और अन्य विभिन्न डिजिटल माध्यमों की सहायता ली गई है, ताकि बच्चों की शिक्षा को जारी रखा जा सके। लेकिन शिक्षा के इस नए स्वरूप को स्वीकार करना तथा इसकी शर्तों एवं ज़रूरतों के अनुरूप ढल जाना, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस शोध पत्र में शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल की चुनौतियों को शिक्षण और उससे जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया गया है। शोध अध्ययन में यह पाया गया कि शिक्षण की विधियों और तरीकों; पाठ-योजनाओं; कक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे— चर्चा, समूह कार्य, गतिविधियों आदि से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें नेटवर्क कनेक्टिविटी, समय का सही उपयोग, बच्चों की सहभागिता, लोकतांत्रिकता, बेहतर शिक्षण-अधिगम आदि प्रमुख हैं। इस शोध पत्र के अंतिम भाग में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।

शिक्षा जगत में, विद्यालय को एक संगठन के रूप में सुचारू रूप से चलाने और विद्यार्थियों के लिए प्रभावी अधिगम के लिए अध्यापक की अहम भूमिका होती है। अध्यापक के पास अकादमिक ज़िम्मेदारियों में कक्षा को पढ़ाना, पाठ योजनाएँ तैयार करना, गतिविधियों को तैयार करना व कक्षा में उनका प्रयोग करना, प्रत्येक विद्यार्थी के आकलन के रिकॉर्ड रखना और समय व आवश्यकता के अनुसार उनका विश्लेषण करना इत्यादि कार्य होते हैं। अध्यापक के कार्यों को परिभाषित करने वाला यह पक्ष उस आदर्श स्थिति को दर्शाता है, जिसे हर प्रगतिशील समाज अपनी शिक्षा व्यवस्था में देखना चाहता है। विभिन्न नीतियों व आयोगों की सिफ़ारिशों और शिक्षा से जुड़े दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी शिक्षा की प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास करती है। आज की भारतीय शिक्षा व्यवस्था, कक्षा के उस स्वरूप की पक्षधर है जिसमें अध्यापक इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थी उनकी कक्षा में सक्रिय रूप से सहभागी बने। विद्यार्थी प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर चर्चा

* *शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 110 007

करें तथा सहपाठियों के साथ मिलकर सीखने में जुड़े। शिक्षा का यह स्वरूप बाल-केंद्रित है, जो बच्चे की आवश्यकताओं और हितों के अनुसार सीखने पर ज़ोर देता है। 'प्रगतिशील शिक्षा' शिक्षा का ही एक दृष्टिकोण है जो 'कर के सीखने' की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। डीवी (1938) ने प्रगतिशील शिक्षा को 'पारंपरिक शिक्षा में असंतोष के कारण निर्मित उत्पाद' के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि पारंपरिक शिक्षा विद्यार्थियों पर वयस्क मानकों, विषय-वस्तु और शिक्षण के तरीकों को थोपती है।

विद्यालय में सीखने के लिए विद्यार्थियों को ध्यान देना, निरीक्षण करना, याद रखना, समझना, लक्ष्य निर्धारित करना और अपने स्वयं के सीखने की ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। ये संज्ञानात्मक गतिविधियाँ विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता और जुड़ाव के बिना संभव नहीं हैं। अध्यापकों को नई अवधारणाओं को समझाने में, विद्यार्थियों को तलाशने की उनकी स्वाभाविक इच्छा का निर्माण करके उन्हें सक्रिय और लक्ष्योन्मुख बनने में सहायता करनी चाहिए (एलमोर, पीटरसन और मैकार्थी, 1996)।

शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में तकनीकी के विस्तार की बात की गई है। इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि विद्यालयी और उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी के विस्तार के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा।

समकालीन शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन कार्यक्रमों का विकास विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, धारणाओं और सीखने के प्रतिफलों के संबंध में हो रहा है। ऐसे में शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल की प्रभावशीलता की जाँच करना आवश्यक हो जाता है। यह शोध अध्ययन ऑनलाइन मॉडल के प्रमुख मुद्दों और सीखने की प्रभावशीलता के प्रमुख आयामों की पड़ताल करने का प्रयत्न करता है।

शोध के उद्देश्य

शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

1. ऑनलाइन कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझना।
2. ऑनलाइन कक्षा के विभिन्न शिक्षणशास्त्रीय तरीकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना।
3. ऑनलाइन शिक्षण में आने वाली संभावित चुनौतियों की जाँच करना।

शोध-प्रविधि

इस शोध अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक थी। इस शोध में न्यादर्श के रूप में दो विद्यालयों का चयन किया गया था, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाने की समस्त व्यवस्था मौजूद थी। यह शोध अध्ययन पश्चिमी दिल्ली के दो विद्यालयों, केशव पब्लिक स्कूल और आर्य पब्लिक स्कूल में संपन्न किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण आँकड़े एकत्र करने के लिए अध्यापकों से फ़ोन पर ही साक्षात्कार लिया गया। सभी साक्षात्कार वर्ष 2020 के अक्तूबर और नवंबर माह में किए गए थे। इसके अलावा, विद्यालय प्रबंधन से इन चयनित अध्यापकों की कक्षाओं का अवलोकन करने की अनुमति लेकर अक्तूबर व नवंबर माह में अवलोकन भी किया गया। दोनों विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक की हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित की कक्षाओं का अवलोकन किया गया। अवलोकित कक्षाओं की संख्याओं का विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1— कक्षा एवं विषयवार अवलोकन की गई कक्षाओं का विवरण

केशव पब्लिक स्कूल				आर्य पब्लिक स्कूल				
कक्षा/विषय	छठीं	सातवीं	आठवीं	कक्षा/विषय	छठीं	सातवीं	आठवीं	कुल
हिंदी		2	2	हिंदी	2	2	2	12
सामाजिक विज्ञान	2	2	2	सामाजिक विज्ञान	2	2	2	12
गणित	2	2	2	गणित	2	2	2	12
कुल	6	6	6		6	6	6	36

तालिका 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय की दो कक्षाओं का अवलोकन किया गया। इस प्रकार, एक विद्यालय में विभिन्न विषयों की 18 और दोनों विद्यालयों में कुल 36 कक्षाओं का अवलोकन किया गया। दोनों विद्यालयों के कुल छह अध्यापकों से साक्षात्कार लिया गया। यह साक्षात्कार अध्यापकों की संख्या और उनका चयन, अध्यापकों के पास समय, उनकी उपलब्धता और विद्यालय की अनुमति के आधार पर किया गया। साक्षात्कार के लिए तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूची में कक्षा के विभिन्न पहलुओं से जुड़े प्रश्न शामिल थे। सभी प्रश्न खुले प्रश्न थे। अवलोकन और साक्षात्कारों से प्राप्त आँकड़ों का सैद्धांतिक आधार पर विश्लेषण किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण

साक्षात्कार और अवलोकन के पश्चात् विभिन्न सैद्धांतिक आधारों पर आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। संकलित आँकड़ों को उद्देश्यों और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं व मुद्दों के रूप में चिह्नित किया गया। जिनकी व्याख्या इस प्रकार है—

शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, "शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि उसे ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो रुचिकर हो और उसके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ी भी हो।" इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक को अपनी शिक्षण विधियों में नवाचार करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन इस शोध अध्ययन के दौरान अध्यापकों के विचार कुछ अलग थे। अध्यापक ऑनलाइन मॉडल में भी 'पारंपरिक' संसाधनों का ही उपयोग कर रहे थे, संसाधनों के रूप में कलम, कागज़ या सफ़ेद बोर्ड, मार्कर को ही प्राथमिकता दी गई थी। कुछ अध्यापकों के अनुसार यह सामग्री उपयोग करने में सुविधाजनक है। वहीं कुछ अन्य अध्यापकों का मानना था कि उनमें तकनीकी कौशल की कमी है और वे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन संसाधन को विकसित करने में असमर्थ हैं। इससे अलग, कुछ अध्यापकों का मानना था कि वीडियो, पॉवर पॉइंट प्रस्तुतियाँ और अन्य ऑनलाइन सामग्री बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। क्योंकि इन संसाधनों के माध्यम से

अवधारणाओं को समझाना कठिन है, इसलिए वे 'पारंपरिक' शिक्षण विधि को सबसे अच्छा मानते हैं और उसी पर ध्यान देते हैं। गणित के अध्यापकों का मानना था कि ऑनलाइन मॉडल में गणित पढ़ाने के लिए कागज़ और कलम के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है।

कुछ अध्यापकों ने पाया कि ऑनलाइन संसाधनों में पाठ्यक्रम की दृष्टि से अधिक व अतिरिक्त सामग्री होती है, इसलिए वे ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि इसके लिए उन्हें संसाधन खोजने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इससे अलग यदि वे पाठ्यक्रम में दी गई विषय-वस्तु को ही पढ़ाते हैं तो बहुत से संसाधन उन्हें ऑनलाइन तैयार मिल जाते हैं, जिससे उन्हें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती।

ऑनलाइन संसाधनों का सीमित होना, अध्यापकों के लिए चुनौती है। यदि कोई अध्यापक स्वयं कोई डिजिटल सामग्री बनाना चाहता है तो उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं और न ही किसी प्रकार का प्रशिक्षण। परिणामस्वरूप, वह अपनी कक्षा में ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर एक-दो वीडियो लिंक या कोई वर्कशीट जो पहले से ऑनलाइन मौजूद है, उसी का लिंक भेजते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा में, श्यामपट्ट और चाक से, कैमरा ऑन करके पढ़ाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में कक्षा में, शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना असंभव हो जाता है। यह भी सत्य है कि बिना रुचि के विद्यार्थियों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना एक कठिन कार्य है।

बच्चों का पूर्वज्ञान

शिक्षा का मनोवैज्ञानिक पक्ष इस मत का पक्षधर है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान उसे नई अवधारणाओं को सिखाने में सहायक सिद्ध होता है। इस शोध अध्ययन में भी, साक्षात्कार के दौरान यह पाया गया कि अध्यापक मानते हैं कि यदि कक्षा में बच्चों को उनके अनुभव साझा करने का समय नहीं दिया जाए तो इसका कक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार यह ज्ञान उन्हें नई अवधारणाओं को समझाने में सहायता करता है। हालाँकि, भाषा के कुछ अध्यापक इस कथन से सहमत नहीं थे। जबकि गणित के अध्यापकों के अनुसार उनकी कक्षा के लिए पूर्व ज्ञान काफी महत्वपूर्ण है। भाषा के अध्यापकों के अनुसार अवधारणाएँ (व्याकरण भाग) समय-समय पर बदल रही हैं और किसी भी उप-विषय को पढ़ाने के लिए हमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गणित के अध्यापकों का मानना है कि पूर्व में पढ़ाई गई अवधारणाओं की वैचारिक समझ, नई अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। बच्चे अपने आस-पास की दुनिया से जो ज्ञान लेते हैं, उन्हें आधार बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की (1978) के अनुसार, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे उस समुदाय के सदस्यों की गतिविधियों, आदतों, शब्दावली और विचारों को आंतरिक रूप से सीखते हैं। उनके सीखने को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को बच्चों के पूर्वज्ञान को कक्षा में स्थान देना अनिवार्य हो जाता है।

साक्षात्कार के दौरान अध्यापकों ने इस संदर्भ में जो जवाब दिए, वे कक्षा के अवलोकन के दौरान विपरीत पाए गए। कक्षा, उपस्थिति दर्ज करने से प्रारंभ होती, जिसके बाद अध्यापक सीधे पुस्तक या अपनी पी.पी.टी. से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसे वे पारंपरिक तरीके से पढ़ाते हुए 40 मिनट में समाप्त कर देते हैं। हर ऑनलाइन कक्षा की समयावधि 40 मिनट है, जिसका तकनीकी एवं वित्तीय आधार है, क्योंकि 'ज़ूम' ऐप पर इतने समय तक का सेशन नि:शुल्क मिलता है जो विद्यालय के लिए वित्तीय संदर्भ में लाभकारी है। कक्षा अवलोकन के दौरान पाया गया कि कक्षा का तय समय, अध्यापक द्वारा किसी भी प्रकार की चर्चा, गतिविधि या बातचीत के लिए एक अवरोधक है। अध्यापक तय समय में पढ़ाने, गृहकार्य देने, पुस्तक पढ़वाने के ही कार्य करवाते हैं।

ब्रान्स्फोर्ड व अन्य (1999) बताते हैं कि किए जाने वाले कार्य को समझने के लिए कुछ पूर्व ज्ञान आवश्यक है। लेकिन केवल पूर्व ज्ञान होना परिणाम या प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों को अपने पूर्व ज्ञान को समझने और सीखने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए सक्रिय होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने का दायित्व अध्यापक का ही है।

कक्षा के अवलोकन में पाया गया कि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता, उनके पूर्व अनुभवों को सुनना और समझना, शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल में कठिन है। इसके लिए अध्यापक को अपनी ऑनलाइन मॉडल की पाठ-योजना में नवाचार और सृजनात्मकता लानी होगी। साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण बना रहे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता तय हो सके।

बच्चों की सहभागिता

छह में से तीन अध्यापक (50 प्रतिशत) अनिवार्य रूप से मानते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता काफी महत्वपूर्ण है। इन अध्यापकों के अनुसार, विद्यार्थी की सहभागिता सीखने-सिखाने और आकलन में सहायक होती है। उनका मानना है कि कक्षा में सीखने वाले की प्रतिक्रिया, सीखने के स्तर और गुणवत्ता की समझ विकसित करने में अध्यापकों की सहायता करती है। बाकी 50 प्रतिशत अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थी की प्रतिक्रिया कभी-कभी महत्वपूर्ण होती है और कभी-कभी महत्वपूर्ण नहीं होती है। इनके अनुसार कक्षा में, विद्यार्थियों को बात करने या चर्चा करने का अवसर देना अकसर कक्षा में अनुशासनहीनता का कारण बनता है। इनका मानना है कि विद्यार्थियों की सहभागिता पूर्णत: अध्यापक के विवेक पर आधारित होनी चाहिए।

ऑनलाइन मॉडल में यह भी पाया गया कि अधिकतर अध्यापक इस बात का अधिकार केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं कि विद्यार्थी कक्षा में कब और कितना बोल सकते हैं, उनके द्वारा म्यूट करके विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखा जाना बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। ऑनलाइन मॉडल में यह विकल्प विद्यार्थियों को चुप कराने में बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ है। लेकिन इसके अनेक नकारात्मक पहलू भी हैं। कक्षा का अनिवार्य तत्व 'लोकतंत्र' समाप्त हो जाता है, अध्यापक का एकाधिकार होता है, विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय भागीदार नहीं बन पाते और

कक्षा बहुत ही यांत्रिक प्रतीत होती है। मनोवैज्ञानिक गार्डनर (1993) के अनुसार, तार्किक और भाषाई कौशल के अलावा मानव बुद्धि के कई आयाम हैं, जिन्हें आमतौर पर अधिकांश विद्यालयी वातावरण में महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि अधिगम के प्रत्येक स्वरूप को महत्व देना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी अपने पसंदीदा विषय को अपना सकें।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि एक समय के बाद विद्यार्थियों में सीखने के उत्साह में कमी होने लगती है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का ऑफ़लाइन मॉडल से ऑनलाइन मॉडल में स्थानांतरित होने के कारण कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता का स्तर भी कम हुआ है। जिसका कारण अध्यापकों का ऑनलाइन कक्षा में लगाया गया नियंत्रण भी है। लेकिन अब यह नियंत्रण एक प्रभावी कक्षा और शिक्षण के लिए चुनौती बन रहा है।

आकलन व मूल्यांकन

अध्यापकों का मानना है कि आकलन व मूल्यांकन परीक्षा और परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें अधिकतर पुस्तक में दी गई तथ्यात्मक जानकारी शामिल होती है। इन अध्यापकों के अनुसार, विद्यार्थियों के सही उत्तर शिक्षणशास्त्र की प्रभावशीलता को भी दर्शाते हैं। अधिकांश अध्यापकों ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मूल्यांकन करना कठिन होता है।

आकलन से जुड़ी कई चुनौतियों में, अध्यापकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है— अभिभावकों का हस्तक्षेप। सामान्य कक्षा हो या परीक्षा, विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा उनकी आवश्यकता से अधिक सहायता, आकलन के लिए समस्या उत्पन्न करती है। अध्यापकों के अनुसार, अगर माता-पिता विद्यार्थियों को परीक्षा में ऐसे ही सहायता करते हैं; तो विद्यार्थियों को 'सीखने' में मदद नहीं मिलेगी। इसके अलावा, ऑनलाइन मॉडल में परीक्षा का स्वरूप भी सृजनात्मक नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक पद्धति पर ही आधारित है।

अध्यापकों द्वारा एक प्रश्न पत्र साझा कर दिया जाता है। जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न तथ्यात्मक जानकारियों पर आधारित होते हैं। एक निश्चित समय के लिए विद्यार्थियों को अपना कैमरा ऑन करके पूछे गए प्रश्नों को हल करना होता है, फिर उसकी फ़ोटो या पी.डी.एफ़. फ़ाइल अपलोड कर संबंधित अध्यापक को भेजनी होती है। अगली समस्या, उत्तरों को जाँचने और परिणाम से जुड़ी है, चूँकि यह लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है जिससे अध्यापकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा साझा की गई फ़ाइल, अलग-अलग ऐप और सॉफ़्टवेयर की माँग करती है।

इन सब में, परीक्षा का प्रगतिशील विचार बहुत पीछे छूट जाता है, जिसमें इस बात का आकलन किया जा सके कि विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, उनके व्यावहारिक जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। हम जानते हैं कि इस प्रकार के परीक्षण और सवाल अध्यापक द्वारा अधिक समय और सृजनात्मकता की माँग करते हैं, जिसे कर पाना अध्यापक को असंभव प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, आकलन व मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों के अन्य कौशलों और व्यवहारों को जाँच पाना भी संभव नहीं हो पाता, जो अधिगम के आकलन के क्षेत्र को अत्यधिक सीमित बना देता है।

कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता

ऑनलाइन कक्षाओं को विद्यार्थियों के लिए एक लोकतांत्रिक स्थान बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह उद्देश्य कक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों को पर्याप्त अवसर देकर प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि शोध अध्ययन में पाया गया कि ऑनलाइन शिक्षण माध्यम में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कक्षा का सीमित समय और अध्यापकों की एकाधिकार आदि कई समस्याएँ हैं जो इस उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को म्यूट और अनम्यूट करने का नियंत्रण अध्यापक के पास होता है। गतिविधियों को चुनने और कक्षा के स्वरूप के अनुसार नियम बनाने का अधिकार भी अध्यापक के पास ही है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कक्षाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है। जबकि शिक्षणशास्त्र तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय रूप से जुड़ पाएँ और इसलिए कक्षा में लोकतंत्र की भावना होना एक अनिवार्य शर्त है।

साक्षात्कार में अध्यापकों ने बताया कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार के निर्णय लेने और अपनी राय देने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उनका मानना था कि विद्यार्थियों को छूट देने से कक्षा के कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए उन्हें लगता है कि इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न निर्णय लेने का अधिकार केवल अध्यापक के पास ही होना चाहिए।

कक्षाओं के अवलोकन के दौरान अन्य कई बिंदु सामने आए, जैसे— अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं को नज़रअंदाज़ करना सामान्य सी बात थी। यदि कोई विद्यार्थी चैट बॉक्स में अपनी बात रखता है, तो उसका भी जवाब नहीं दिया जाता है। गृहकार्य और परीक्षाओं का स्वरूप केवल अध्यापक ही तय करता है। विद्यार्थियों को आपस में चर्चा या बातचीत का भी समय नहीं दिया जाता है।

कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सीखने के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में विद्यार्थी द्वारा 'प्रश्न पूछने' पर ज़ोर देती है। इस दस्तावेज़ का मानना है कि विद्यार्थी परिवेश को समझने में सक्षम होना चाहिए और जहाँ भी आवश्यकता हो, सवाल उठाने में सक्षम होना चाहिए। अध्यापकों को यह नहीं लगता है कि प्रश्न पूछना सीखने का एक अहम हिस्सा है। उनके अनुसार विद्यार्थी अनावश्यक प्रश्न करते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि वे कक्षा का समय बर्बाद करना चाहते हैं अथवा अध्यापक का ध्यान अन्य दिशा में ले जाना चाहते हैं। उनके अनुसार विद्यार्थियों को केवल विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए।

कक्षाओं के अवलोकन के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता केवल अध्यापक के हाथ में ही होती है।

सहपाठी (पीयर) अधिगम

ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के बीच बहुत कम और न्यूनतम बातचीत होती है। अध्यापक उन सभी को म्यूट करते हैं और कई बार चैट बॉक्स को निष्क्रिय कर देते हैं ताकि विद्यार्थी कक्षा के बीच में बातचीत न कर सकें। अध्यापकों के अनुसार विद्यार्थियों का आपस में बात करना कक्षा के लिए एक समस्या है। इससे कक्षा का समय भी बर्बाद होता है। एक अध्यापक ने साझा किया कि बच्चों द्वारा

किसी भी प्रकार के अवरोध का परिणाम लंबे समय तक बना रहता है, हमारे पास पाठ्यक्रम को पूरा करने का एक तय समय होता है, जिससे बाहर जाने पर हमें प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापकों को जवाब देना पड़ता है, इससे अभिभावक भी परेशान होते हैं। लेकिन अधिगम का स्वरूप यदि सामाजिक होगा तो विद्यार्थियों को सीखने में आसानी होगी और वे इसमें सहभागिता भी करेंगे। डीवी (1938) द्वारा वर्णित प्रगतिशील शिक्षा में सामाजिक रूप से ही सीखने के अनुभव शामिल होने चाहिए जो छोटे बच्चों के लिए विकास की दृष्टि से उपयुक्त हों।

अध्यापकों का मानना था की ऑनलाइन माध्यम पर समूह कार्य करवाने की संभावना बहुत कम या लगभग शून्य है। इसलिए हम इस प्रकार का कार्य विद्यार्थियों को नहीं देते हैं। लेकिन प्रभावी शिक्षा मुख्य रूप से सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से भी आती है और विद्यालय जो कि एक सामाजिक संस्था है, उसमें बातचीत और संवाद के अवसर खोजे जाने चाहिए। (फ्लिंडर्स और थॉर्नटन, 2013)

ऑनलाइन मॉडल में कक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश

ऑनलाइन मॉडल में शिक्षण की एक अनिवार्य शर्त है— स्पष्ट निर्देश। अध्यापकों का मानना था कि विद्यार्थी कितना निर्देशों को समझ पाते हैं, यही कक्षा के स्वरूप को तय करता है। हमारा अधिकतर समय विद्यार्थियों को यह समझाने में निकल जाता है कि किसी भी कार्य या गतिविधि को पूरा करने में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है? अकसर तकनीकी गड़बड़ियाँ इस स्थिति को और भी जटिल बना देती हैं। इस परिदृश्य में, किसी भी ऑनलाइन कक्षा के लिए स्पष्ट और उचित निर्देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

कक्षाओं के अवलोकन में भी इस विषय से जुड़ी समस्याएँ देखने को मिलीं, यह स्वाभाविक है कि विद्यार्थी कई बार अध्यापकों के स्पष्ट निर्देश के बाद भी सही ढंग से समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना है? और यदि बच्चा अध्यापक को निर्देश दोहराने के लिए कहता है तो वे उन्हें कक्षा में चौकस रहने के लिए कहते हैं। शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बार इनमें अस्पष्टता अध्यापक के लिए चुनौती बन जाती है।

ऑनलाइन कक्षा के लिए पाठ योजना

शिक्षण में पाठ योजना की अवधारणा काफी पुरानी और महत्वपूर्ण है। अध्यापकों के अनुसार, नियोजन ऑफ़लाइन कक्षाओं के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में अधिक आवश्यक है, क्योंकि इन कक्षाओं के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके अनुसार कक्षा में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के बारे में अधिक जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि ऑनलाइन मॉडल में प्रभावी कक्षा काफी हद तक शिक्षण सामग्रियों पर निर्भर होती है। विभिन्न कारणों में से एक कारण यह भी है कि इन कक्षाओं में माता-पिता अधिक सक्रिय रहते हैं। अध्यापकों की ऑनलाइन कक्षाएँ निगरानी में रहती हैं। कुछ अध्यापकों को यह भी लगता है कि योजना बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे समान विषयों और उप-विषयों को कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। कक्षाओं के अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि अध्यापक बिना किसी तैयारी और बिना पाठ-योजना के ही पढ़ाते हैं। हालाँकि, इन ऑनलाइन कक्षाओं को अधिक रुचिकर बनाने और कक्षा को आत्मविश्वास के साथ पूरा करने के लिए पाठ योजना आवश्यक होती है।

ऑनलाइन मॉडल में शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित सुझाव

इस शोध अध्ययन में अध्यापकों के साक्षात्कार और कक्षाओं के अवलोकन के दौरान प्राप्त आँकड़ों के आधार पर शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल में शिक्षण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को चिह्नित किया गया। इन्हीं समस्याओं के आधार पर शोधार्थी द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो इन समस्याओं के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं—

1. शिक्षा का ऑनलाइन मॉडल शिक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए तकनीकी स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता की ओर सूचित करता है। विद्यालय द्वारा ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जहाँ अध्यापक, विद्यार्थियों और अभिभावकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
2. ऑनलाइन मॉडल में शिक्षण की प्रक्रियाओं को बेहतर करने के लिए अध्यापक को अपने विषय से जुड़ी शिक्षण सामग्री और संसाधनों की पूर्ति करनी होगी, जो रुचिकर तथा आकर्षक हो। ऑनलाइन कक्षाओं का स्वरूप बिलकुल भिन्न है। ऑनलाइन मॉडल में ऐसे संसाधनों की ज़रूरत है जिनके उपयोग के बाद चर्चा और संवाद हो सके। अध्यापक को संसाधन तैयार करने की ज़िम्मेदारी भी स्वयं लेनी होगी, ऑनलाइन उपलब्ध संसाधन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक नहीं हो सकते। विद्यार्थियों की रुचि, पसंद, पढ़ाए जाने वाली सामग्री और ऑनलाइन शिक्षण को ध्यान में रखकर इन शिक्षण सामग्रियों और संसाधनों का चयन किया जाना चाहिए। अध्यापकों को ऑनलाइन मॉडल के लिए उपयुक्त संसाधन विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
3. कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में भी कक्षा में लोकतांत्रिक भावना और सहभागिता बनाए रखे जाने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। कक्षा का ऐसा परिवेश विद्यार्थियों के बीच चर्चा, समूह कार्यों, संवाद व बातचीत के लिए आवश्यक है।
4. अध्यापक को ऑनलाइन मॉडल में आकलन के पारंपरिक तरीकों से हटकर नये व सृजनात्मक तरीकों के बारे सोचना होगा।
   - अध्यापक आकर्षक व सृजनात्मक तरीके से वर्क-शीट बना सकते हैं जिसमें गेम, चित्रों और पहेलियों के माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
   - विषय या उप-विषय से जुड़े किसी वीडियो या समाचार पर लेख लिखने के लिए कह सकते हैं।
   - आकलन के लिए इंटरनेट की सहायता से अनेक टूल (उपकरण) व सॉफ़्टवेयर खोज सकते हैं जिनका उपयोग विभिन्न ऑनलाइन टूल या गेम विकसित करने में किया जा सकता है।
   - विद्यार्थियों से किसी विषय पर वीडियो या ऑडियो संसाधन बनाने के लिए कह सकते हैं।
   - तथ्यात्मक प्रश्नों के बजाय अनुभव आधारित प्रश्नों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
   - समूह कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं।
   - विद्यार्थियों का स्व-रचित रचनाओं के आधार पर भी आकलन कर सकते हैं।

इन विभिन्न तरीकों का लक्ष्य विद्यार्थियों के आकलन और मूल्यांकन के अनुभव को बेहतर और

रोचक बनाना होना चाहिए। विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर मौजूद भय को आकलन के निम्नलिखित सृजनात्मक तरीकों के उपयोग से समाप्त किया जा सकता है।

- अध्यापक को ऑनलाइन मॉडल में भी पाठ-योजना का प्रयोग करना चाहिए।
- कक्षा में विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के लिए दिए जाने वाले निर्देशों में स्पष्टता होनी चाहिए, यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या भी आए तो उसकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।
- अध्यापक व अभिभावकों के बीच निश्चित समय अंतराल पर संवाद के अवसर खोजे जाने चाहिए। ऐसे संवाद विद्यार्थियों के अधिगम के लिए सहायक हो सकते हैं।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल में प्रभावी शिक्षण के लिए कौन-सी चुनौतियाँ हैं? साक्षात्कार और अवलोकन के माध्यम से आँकड़े एकत्र किए गए और विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में पाया गया कि अध्यापक उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्तर पर बहुत अलग है। शिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं के अवलोकन द्वारा प्राप्त आँकड़े, अध्यापकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनेक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। जिनका समाधान आवश्यक है।

कुछ अध्यापक बहुत हद तक प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक मूल्यों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन कक्षा में विद्यार्थियों के बीच उन मूल्यों को अपनी ही कक्षा में समावेशित नहीं कर पाते। 'विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणशास्त्र' का अर्थ है शिक्षार्थियों के अनुभव, उनकी आवाज़ और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रधानता देना। लेकिन शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल में इनकी कमी साफ़ दिखाई दी। कक्षाओं के अवलोकन के दौरान यह देखा गया कि अध्यापक बिना किसी पाठ-योजना और बिना किसी पूर्व तैयारी के कक्षा में आते हैं। जबकि एक प्रभावी शिक्षणशास्त्र के लिए पाठ-योजना बनाना महत्वपूर्ण है, जो शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक स्तर तथा आयु को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है।

शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल में, प्रगतिशील शिक्षा के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत 'करके सीखना' की कमी को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जा सकता है। जहाँ प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता को अत्यंत महत्व देती है, वहीं इस शोध अध्ययन में पाया गया कि अध्यापक इस सिद्धांत को कक्षा में क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं। यह भी पाया गया कि अभिभावक और अध्यापक को एक सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ अध्यापक के मन में एक भय घर कर गया है, जो लगातार अभिभावकों की निगरानी से उत्पन्न हुआ है। ऐसे में अध्यापक की भूमिका और उसकी अस्मिता एक अलग प्रकार के द्वंद्व में प्रस्तुत होती है।

शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल में शिक्षण और इससे जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध अध्ययन में पाया गया कि शिक्षण विधियों और तरीकों, पाठ-योजनाओं, कक्षा की विभिन्न शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, जैसे— चर्चा, समूह कार्य, गतिविधियों

आदि के क्रियान्वयन पाठ्यचर्या में भी कई चुनौतियाँ आईं। जिनमें नेटवर्क कनेक्टिविटी, समय का सही उपयोग, बच्चों की सहभागिता, लोकतांत्रिकता, बेहतर शिक्षण-अधिगम आदि से जुड़ी समस्याएँ सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, विद्यार्थी अपने आस-पास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। ये विद्यार्थी अच्छे अवलोकनकर्ता भी हैं, जो अपनी आस-पास की दुनिया का अवलोकन करके अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न धारणाओं तक पहुँचते हैं। इसलिए एक सफल अधिगम के लिए शिक्षणशास्त्र की विभिन्न गतिविधियों में बच्चों के अनुभवों को शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है और यह विद्यार्थी-केंद्रित अधिगम की एक शर्त भी है।

ऑनलाइन मॉडल में शिक्षण से जुड़े विभिन्न आयाम प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 महामारी की विशेष परिस्थितियों में, शिक्षा के कुछ ऑनलाइन विकल्पों की आवश्यकता पड़ी, जिसे बड़े स्तर पर अपनाया गया। भविष्य में शिक्षा का यह स्वरूप मुख्य भूमिका में भी हो सकता है। इसलिए अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय, अभिभावक, नीतिकारों और शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों में एक विशेष तैयारी और उत्साह अनिवार्य होना चाहिए, ताकि ऑनलाइन शिक्षण की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

शैक्षिक निहितार्थ

कोविड-19 के कारण बड़े स्तर पर शिक्षा के व्यावहारिक स्वरूप में परिवर्तन के प्रयास हुए हैं। ऑनलाइन मॉडल को एक विकल्प के रूप में चुना गया और विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों की सहायता से विद्यार्थियों तक पहुँचने का प्रयत्न किया गया। लेकिन इस परिवर्तन के कारण विद्यालयी शिक्षा को केवल इंटरनेट (तकनीकी) पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता। विद्यालयी शिक्षा में प्रभावी शिक्षण-अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर कार्य करना आवश्यक है।

संदर्भ

एलमोर, आर. एफ़., पी.एल. पीटरसन और एस.जे. मैकार्थी. 1996. *रीस्ट्रक्चरिंग इन द क्लासरूम— टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल ऑर्गनाइज़ेशन*. सैन फ्रांसिस्को, सीए.

गार्डनर, एच. 1993. *मल्टीपल इंटेलिजेंस— थ्योरी इन प्रैक्टिस*. बेसिक बुक्स, न्यूयॉर्क.

डीवी, जे. 1938. *एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन*. मैकमिलन, न्यूयॉर्क.

फ्लिंडर्स, डी. और एस. थॉर्नटन. 2013. *द करिकुलम स्टडीज़ रीडर* (चौथा संस्करण). रूटलेज, न्यूयॉर्क.

ब्रैंसफोर्ड, टी.डी.; ब्राउन ए.एल. और आर.आर. कॉकिंग. 1999. *हाउ पीपल लर्न— ब्रेन, माइंड, एक्सपीरियंस एंड स्कूल*. नेशनल एकेडमी प्रेस, वाशिंगटन, डी सी.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

वायगोत्स्की, एल.एस. 1978. *माइंड इन सोसाइटी— द डेवलपमेंट ऑफ़ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेज़*. एमए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं हेतु अकादमिक प्रयासों का अध्ययन

अशोक कुमार नेगी*

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव से भारत में 22 मार्च, 2020 से स्कूल आंशिक रूप से बंद हैं। इस समयावधि में हमारे विद्यालय अनेक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, मूलत: अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया मुख्यधारा से विलग हो रही है। इस शोध पत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न आयामों से संबंधित अध्ययन के परिणामों को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें विद्यालयी शिक्षा की वस्तुस्थिति, ऑनलाइन माध्यम का महत्व, अकादमिक गतिविधियों के संचालन के आयाम, अकादमिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा इस माध्यम से होने वाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएँ और कठिनाइयाँ शामिल हैं। इस हेतु शोधार्थी द्वारा यादृच्छिक न्यादर्श विधि से खंडवा ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 25 बच्चों, अध्यापकों तथा अभिभावकों से दूरभाष पर एवं फ़ील्ड में जाकर स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से प्रदत्त संकलित किए गए। इस अध्ययन में पाया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण परिवहन व्यवस्था बंद होने से दूरस्थ अंचल, वन ग्राम व ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की अकादमिक गतिविधियाँ नगण्य हो गईं। वर्तमान में शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों के लेखन कौशल की गतिविधियाँ चिंताजनक हैं। इसी तरह की स्थिति प्राथमिक कक्षाओं में भाषाई कौशलों, भाषा ज्ञान तथा गणित की मूलभूत दक्षताओं के विकास में भी निर्मित हो रही है, जो भविष्य के लिए चिंताजनक है।

आज कोविड-19 महामारी ने बच्चों की खुशहाल और आनंद से भरी ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से बच्चों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की नियमित शिक्षा प्रभावित हुई है, बच्चे पढ़ाई कैसे करें? इस हेतु मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल, समस्त सरकारी और अनेक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपने-अपने स्तर पर सभी बच्चों के लिए विभिन्न अकादमिक गतिविधियाँ विकसित कर रहा है। साथ ही, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों द्वारा समस्त विद्यार्थी स्वयं को पढ़ाई-लिखाई से जोड़ सकें। इन

* *व्याख्याता*, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खंडवा, मध्य प्रदेश 450 001

प्रयासों का बच्चों पर प्रभाव भी देखा जा रहा है। यह शोध पत्र ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की शिक्षा हेतु हो रहे प्रयासों की ओर ध्यान दिलाता है।

कोरोना महामारी की प्रारंभिक लहर में महानगरों या शहर के लोग इसके संक्रमण से ग्रसित होकर अनेक तरह की पाबंदियों के साथ जीवनयापन कर रहे थे। यह संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं फैला था। परंतु दूसरी लहर में यह संक्रमण गाँव और वन अंचल, शहर और महानगर, सभी क्षेत्रों में फैल गया। सभी क्षेत्र इस वायरस का दंश झेल रहे हैं। जो प्रकृति के बीच बसे अंचल सुखी और आनन्दित जीवनयापन कर रहे थे, उनमें भी अब संक्रमण का भय व्याप्त हो गया है। आज हमारे देश में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर समस्त व्यवस्थाओं की तैयारी ज़ोरों पर है। बहरहाल, विश्व के साथ हमारे देश में भी, इस दौर में विद्यालयी बच्चों के लिए विभिन्न अकादमिक गतिविधियाँ एवं कौशल विकसित करने के मार्ग में अनेक समस्याएँ खड़ी हैं। इसलिए इन समस्याओं का शत-प्रतिशत निदान किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

सर्वप्रथम अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा की धारा से जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का शैक्षिक गतिविधियों से निरंतर जुड़ाव रखने के लिए शिक्षा के समस्त हितधारकों, अभिभावकों एवं अध्यापकों को कोविड-19 सुरक्षा के निर्देशों, सावधानियों एवं सुझावों के अनुसार इन सभी से मोबाइल फ़ोन, व्यक्तिग्त संपर्क आदि के माध्यम से संपर्क में रहना, अत्यंत आवश्यक है। जिससे इस महामारी काल में अकादमिक गतिविधियों का संचालन निरंतर एवं नियमित हो सके और बच्चे अकादमिक स्तर उन्नयन में न पिछड़ें। चूँकि, शैक्षणिक संस्थान और विद्यालय आज भी नियमित रूप से नहीं खुल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए ऑनलाइन माध्यम को विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है।

ऑनलाइन माध्यम

यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा एक या एक से अधिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इंटरनेट की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है, इससे न केवल पढ़ाई, अपितु असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, विभिन्न टेस्ट व परीक्षाएँ भी अलग-अलग एप्लिकेशन, ज़ूम, गूगल मीट, वेबेक्स इत्यादि माध्यमों द्वारा संचालित की जा रही हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से घर पर ही अपनी पाठ्य सामग्री का अध्ययन कर सीखना ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम कहलाता है। इसमें ऑनलाइन ही पुस्तकों, नोट्स, ऑडियो-वीडियो, पी.पी.टी., वर्कशीट आदि का उपयोग करके अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है।

ऑनलाइन सामग्री के कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हैं। ऑनलाइन शिक्षा में इंटरनेट सुविधा का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा सकती है। विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सिर्फ़ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि अपने आप में विषय-वस्तु भी है। आज ज्ञान के निर्माण के साथ-साथ ज्ञान सामग्री का वितरण भी आवश्यक है। अत: अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन सामग्रियों की पहचान कर बच्चों को उपलब्ध कराएँ।

अल्बेरिनी (2006) के अनुसार, टेक्नालॉजी का शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करना, अध्यापक के टेक्नालॉजी के प्रति नज़रिए पर निर्भर करता है।

क्लूवर, लाम, हॉफ़मैन, ग्रीन और स्वेरनजिस (1994) के अनुसार, कक्षा में टेक्नालॉजी का सफलतापूर्वक उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि टेक्नोलॉजी टूल्स के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा है।

ऑनलाइन माध्यम और अकादमिक गतिविधियाँ

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के निर्देशानुसार कोविड-19 के दौरान बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) हेतु अकादमिक गतिविधियों के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं, जो इस प्रकार हैं—

- दक्षता समूहों का निर्माण— प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 3–5) में अकादमिक सत्र (2019–20) अनुसार दो समूह अंकुर एवं तरुण तथा माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6–8) में अकादमिक सत्र (2019–20) के अनुसार तीन समूह अंकुर, तरुण एवं उमंग बनाए गए। इन समूहों का गठन सत्र की शुरुआत में बच्चों के बेसलाइन टेस्ट के परिणामों के आधार पर निर्धारित किया गया।
- व्हाट्सएप समूह निर्माण— अध्यापकों द्वारा अपने स्कूल के व्हाट्सएप समूह का निर्माण एवं सभी विद्यार्थियों हेतु मेंटर की पहचान।
- व्हाट्सएप समूह निर्माण— अध्यापकों द्वारा अपनी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु व्हाट्सएप समूह का निर्माण किया गया।
- डीजीलेप (DigiLEP) के अंतर्गत की जा रही गतिविधियाँ संचालित की गईं।
- रेडियो कार्यक्रम प्रसारण के अंतर्गत की जा रही गतिविधियाँ की गईं।
- विद्यार्थियों से वर्कबुक (अभ्यास पुस्तिका) पर कार्य करवाना एवं उसकी जाँच कर उन्हें फ़ीडबैक दिया गया।
- हमारा घर, हमारा विद्यालय या मोहल्ला कक्षा का आयोजन (प्रातः10 बजे से दोपहर 1 बजे तक) किया गया।
- गृहकार्य या कक्षाकार्य—अवलोकन या प्रोजेक्ट वर्क अथवा हिंदी-अंग्रेज़ी पाठ, एक पृष्ठ या पैराग्राफ़ की नकल प्रतिदिन कराई गई।
- व्हाट्सएप आधारित आकलन के अंतर्गत विद्यार्थियों की स्थिति का प्रति सप्ताह अवलोकन (हिंदी एवं गणित विषय) में किया गया।
- विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से मोबाइल पर प्रतिदिन चर्चा या संपर्क कर अकादमिक गतिविधियों पर बातचीत करना (संबंधित अध्यापकों द्वारा पाँच अभिभावकों से मोबाइल पर प्रतिदिन संपर्क) किया गया।
- बच्चों की अकादमिक प्रगति का अवलोकन करने के लिए ट्रैकर शीट का प्रयोग किया गया।
- निष्ठा प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप से सहभागिता की गई।
- फ़ीडबैक एवं समर्थन फ़ॉर्म भरे गए तथा इनकी यादृच्छिक रूप से रेंडमली क्रॉस चेकिंग या ऑनलाइन मॉनिटरिंग की गई।
- शैक्षिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हितधारकों को अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

- कक्षा 1 व 2 की अध्ययन गतिविधियों के लिए अध्यापकों द्वारा पालकों के सहयोग से अतिरिक्त प्रयास किए गए।

हमारा घर, हमारा विद्यालय 6 जुलाई, 2020 से प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत अनेक अध्यापकों द्वारा नियमित रूप से अध्यापक डायरी बनाई गई। जिसमें विद्यालय का नाम, अपना नाम, यूनिकोड, दिनांक कार्यवाही, विवरण, विषय, बच्चों के नाम जिनके संपर्क लिए गए, कक्षा, मोबाइल नंबर, चर्चा के बिंदु, विशेष गृह संपर्क इत्यादि करते हुए अपनी नियमित अकादमिक गतिविधियों को अभिलेखित किया गया।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग

अकादमिक गतिविधियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग यादृच्छिक रूप से आवंटित विद्यालयों के जनअध्यापक, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक सदस्यों द्वारा निर्देशानुसार नियत दिवस पर दिए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड की गई।

आयुक्त लोकशिक्षण एवं राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा जारी निर्देश

(1 अप्रैल से 15 अप्रैल हेतु निर्देशिका के अनुसार)

- कक्षा पहली से आठवीं तक बच्चों का आकलन, उन्हें दिए गए प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर किया जाए।
- व्हाट्सएप समूह पर 9–10 बजे सुबह सामग्री भेजना, दिन भर कभी भी बच्चे अपनी सुविधानुसार सामग्री का अवलोकन करें एवं अगले दिन अध्यापक द्वारा उसका आकलन करना। इस सामग्री में सृजनात्मक गतिविधियाँ हैं, जिन्हें बच्चे पढ़ कर छोटी-छोटी गतिविधियाँ कर पाएँगे।
- रेडियो स्कूल कार्यक्रम— इसका प्रातः 10 से 11 बजे एवं शाम को 5 से 5:30 बजे तक नियमित प्रसारण किया जाए।
- अभिभावकों से निवेदन— कक्षा 1 व 2 के लिए पाठ्यपुस्तक आधारित कार्यक्रम है तथा कक्षा 3 से 8 के लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम व ज्वॉयफुल लर्निंग की गतिविधियाँ हैं, जो बच्चे आनंदपूर्वक कर सकेंगे।
- क्लासरूम कार्यक्रम— दूरदर्शन पर क्लासरूम कार्यक्रम का प्रसारण कक्षा 6 से 8 के लिए दोपहर 12 से 1:30 बजे तक गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षाओं के लिए।
- जीवन कौशल कार्यक्रम उमंग— रविवार को जीवन कौशल कार्यक्रम उमंग सभी बच्चों के लिए प्रसारित किया जाता है।
- बच्चों को संदेश— घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
- राज्यस्तरीय अध्यापक सम्मान समारोह— 6 अप्रैल, 2021 को अध्यापकों के उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए वर्चुअल माध्यम से राज्यस्तरीय अध्यापक सम्मान समारोह भी रखा गया था।

ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों के संचालन के लाभ

- समय और स्थान की बाध्यता नहीं, अपनी सुविधानुसार शिक्षण-अधिगम करना।
- प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापन के पूर्व पाठ को पूर्ण विधिवत तैयार कर प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
- सामान्य स्थिति में सभी के लिए वहन करने योग्य; वर्क फ्रॉम होम से परिवहन खर्च की बचत होती है।
- पेपरलेस गतिविधियों को बढ़ावा पर्यावरण के लिए लाभदायक है।

- भविष्य की विद्यालयी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक।
- पढ़ाए जा रहे पाठों को रिकॉर्ड करने की सुविधा एवं उनका पुनः उपयोग, विश्लेषण, शिक्षण में सुधार की सुविधा।
- ऑनलाइन शिक्षा से समय और धन की बचत होती है।

ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों के संचालन में समस्याएँ

- ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षित न होना या प्रशिक्षण में कमी होना।
- नगरीय और ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों के अनेक विद्यालयों में तकनीकी बाधाएँ और शिक्षण संस्थाओं में उपयुक्त आवश्यक भौतिक संसाधन, कक्षों की कमी।
- इंटरनेट कनेक्शन की कमी या न होना।
- निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खर्चीला माध्यम होना।
- सोशल मीडिया के प्रति व्याकुलता।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, लगातार मोबाइल स्क्रीन देखने, अधिक समय तक ऑनलाइन जुड़ने, एक ही स्थान पर लगातार बैठने से स्वास्थ्य, आँखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की समस्या।
- सामाजिक जुड़ाव से विलग होना, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच भावात्मक जुड़ाव न हो पाना।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

- वर्तमान कोविड-19 काल में विद्यालयी शिक्षा की वस्तुस्थिति से अवगत होना।
- वर्तमान कोविड-19 काल में ऑनलाइन माध्यम के महत्व को जानना।
- ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों के संचालन की वस्तुस्थिति से अवगत होना।
- ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों में विद्यार्थी की सहभागिता ज्ञात करना।
- ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों के संचालन में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन करना व उपयुक्त सुझाव देना।

शोध प्रविधि

यह शोध अध्ययन खंडवा ज़िले में संचालित कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाई कर रहे बच्चों से वर्तमान कोविड-19 काल को देखते हुए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर दूरभाष द्वारा किया गया। शोध अध्ययन हेतु कक्षा 3 से 8 तक के कुल 25 बच्चों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया।

शोध अध्ययन में खंडवा ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हिंदी माध्यम के शासकीय विद्यालयों को लिया गया था। इस क्रियात्मक शोध अध्ययन के लिए प्रदत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया था जिसके आधार पर बच्चों से दूरभाष पर चर्चा की गई। वर्तमान कोविड-19 काल में ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों संबंधी समाचारों, इंटरनेट सामग्री, अवलोकन, अभिमत आदि से भी जानकारी लेकर विश्लेषण किया गया।

मुख्य संप्राप्तियाँ

दूरभाष चर्चा से प्राप्त बच्चों का अभिमत

- प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का अभिमत है कि किसी भी बच्चे के पास स्वयं के उपयोग हेतु एंड्राइड मोबाइल फ़ोन नहीं है। वे पालकों के मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं।
- वहीं 88 प्रतिशत बच्चों का अभिमत है कि उन्हें लॉकडाउन से पहले घर का एंड्राइड मोबाइल

चलाना नहीं आता था। उन सभी बच्चों को एंड्राइड मोबाइल फ़ोन चलाकर या देखकर अच्छा लग रहा है।

- सभी बच्चों को इस तरह मोबाइल फ़ोन से पढ़ने की अपेक्षा स्कूल में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है।
- उन्हें घर से पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन पर्याप्त समय के लिए नहीं मिल पाता है।
- शत-प्रतिशत बच्चों का अभिमत है कि पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन लगातार देखने से आँख, सिर, हाथ, एक ही जगह बैठने पर दर्द होता है, कठिनाई होती है।
- सभी बच्चों का अभिमत है कि किसी भी विषय में कठिनाई होती है तो अगले संपर्क दिवस पर व्हाट्सएप पर अपने अध्यापक से उसका समाधान करते हैं।
- शत-प्रतिशत बच्चों का अभिमत है कि मोबाइल फ़ोन से अध्ययन करने के लिए उनके घर पर पढ़ने का कमरा या शांत एवं उचित स्थान नहीं है। बच्चों का कहना है कि वे आँगन, खलिहान, बरामदे में पढ़ाई-लिखाई करते हैं।
- बच्चों के अभिमतानुसार मात्र 20 प्रतिशत ही रेडियो के शैक्षिक कार्यक्रम नियमित सुनते हैं। कुछ अध्यापकों ने स्वयं के प्रयास से रेडियो क्रय कर बच्चों के लिए ज़रूरतमंद पालकों को वितरित किए।
- बच्चों के अभिमतानुसार मात्र 30 प्रतिशत बच्चे ही टी.वी. के शैक्षिक कार्यक्रम नियमित देखते हैं।
- साठ प्रतिशत बच्चों का अभिमत है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के लिए इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। कभी-कभी देर से इंटरनेट नेटवर्क मिलता है या फिर इंटरनेट नेटवर्क के लिए उचित स्थान पर जाना पड़ता है।
- सभी बच्चों का अभिमत है कि इंटरनेट डेटा पैक पर खर्च अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। जिसके कारण नियमित इंटरनेट डेटा पैक रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं।
- सभी बच्चों का अभिमत है कि स्कूल की और दूसरी गतिविधियाँ (खेल-कूद, लेखन, चित्रकला प्रदर्शनी, भाषण, दोस्तों के साथ खेलना इत्यादि) रुक गई हैं।
- शत-प्रतिशत बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में जुड़ने से बच्चों का मिलना-जुलना, बातचीत करना, एक-दूसरे से हँसी-मज़ाक, परेशानियों को साझा करना इत्यादि गतिविधियाँ रुक जाने से उनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। उन्हें एकाकीपन, एकरसता, चिढ़चिढ़ापन, गुमसुम होना, भविष्य के प्रति एक अनजान परिणाम से भयग्रस्त होना जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान कोविड-19 काल में ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों संबंधी बच्चों के अवलोकन के अभिमत

- बयानवें प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नियमित कक्षाओं को बेहतर मानते हैं।
- इकतालीस प्रतिशत बच्चों को समझने में कठिनाई, 30 प्रतिशत बच्चों को ऊबाऊपन एवं 41 प्रतिशत बच्चों ने बताया की हम प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं।
- बावन प्रतिशत बच्चों ने अपने दोस्तों को, 30 प्रतिशत ने खेलकूद, छह प्रतिशत ने पुस्तकालय कालखंड एवं 30 प्रतिशत बच्चों ने वार्षिकोत्सव के छूटने का दु:ख जताया।

अध्यापकों का अभिमत

- सतानवें प्रतिशत अध्यापक मानते हैं कि विद्यालय में होने वाली पढ़ाई से ऑनलाइन पढ़ाई में आत्मविश्वास ज़्यादा दिखाई दिया।
- चालीस प्रतिशत अध्यापक मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान वास्तविक कक्षा जैसा वातावरण नहीं लगा।
- पंद्रह प्रतिशत अध्यापकों का अभिमत है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान सही मूल्यांकन नहीं हो पाया।
- चालीस प्रतिशत अध्यापक मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल समझाने में परेशानी हुई।
- पच्चीस प्रतिशत अध्यापकों का अभिमत है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान तकनीकी समस्या से जूझना पड़ा।
- ऑनलाइन कक्षाओं से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई हेतु बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या उससे सही शिक्षा ले रहे हैं? इन बातों से वो अनजान रहते हैं। बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त उसमें गेम खेलने लगते हैं या अन्य सामग्री देखने लगते हैं, जो कि उनके लिए घातक है।
- अधिकतर अध्यापकों ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की अकादमिक गतिविधियों का संचालन ऑनलाइन और व्हाट्सएप आधारित समूह में सामग्री या लिंक्स साझा किया गया।
- अध्यापकों का अभिमत था कि इस दौरान बच्चों का स्कूल न लगने, पढ़ाई नियमित न होने एवं अधिकांशतः पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु में पूरी तरह से समझ बनने में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं। परंतु सभी अध्यापक अपने अनुभव और साझा-समझ से इन समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, जैसे— कक्षा पहली में प्रवेशित बच्चों का गिनती के चार्ट, भाषा ज्ञान हेतु अक्षर-वर्णमाला का वितरण करना एवं अगली कक्षा में उन्नत किए गए बच्चों से प्रत्यक्ष संपर्क कर पालकों के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की समझ विकसित करना।
- अध्यापकों ने बताया कि कठिन विषय-वस्तु की अवधारणात्मक समझ के लिए हमें नियमित कक्षा-कक्ष जैसे ब्लैकबोर्ड की ज़रूरत होती है। वह ऑनलाइन या ओटला या मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से हितधारकों की सहभागिता से उपलब्ध कराई गई।

अभिभावकों की पहल

ग्राम, मालगांव एवं जोगिबेड़ा (खालवा); ग्राम, मिनावा माल (किल्लोद); ग्राम, घाटाखेडी (पंधाना) एवं ग्राम, टीठीया जोशी (खंडवा), धनगाँव आदि ग्रामों के पालकों ने अध्यापकों का सहयोग करते हुए उनके घर के आँगन में या मोहल्ला स्कूल में संचालित की गई।

अभिभावकों का अभिमत

- तिरानवे प्रतिशत पालकों का अभिमत है कि वे ऑनलाइन कक्षाओं के मुकाबले विद्यालय की वास्तविक पढ़ाई को बेहतर मानते हैं।
- चालीस प्रतिशत पालक मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चे को समझने में कठिनाई हुई।
- पंद्रह प्रतिशत पालक मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों की फ़िज़िकल फ़िटनेस कम हुई।

ऑनलाइन शिक्षा पर अभिभावकों के मत

- ऑनलाइन शिक्षा में नियमित पढ़ाई के लिए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की अतिरिक्त व्यवस्था, डेटा, निर्बाध इंटरनेट कवरेज, इंटरनेट स्पीड, बैटरी चार्जिंग के लिए बिजली की आवश्यकता आदि समस्याओं तथा घर में पढ़ने के लिए नियमित रूप से सुरक्षित शांत जगह की व्यवस्था न होने का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष

- वर्तमान कोविड-19 काल में विद्यालयी शिक्षा की वस्तुस्थिति के बारे में दूरभाष चर्चा से प्राप्त बच्चों, पालकों एवं अध्यापकों का अभिमत तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त अवलोकन बताते हैं कि वर्तमान स्थिति में अध्यापकों द्वारा अभिभावकों एवं बच्चों से समन्वय कर कोविड-19 के दिशानिर्देशानुसार पढ़ाई को जारी रखा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण परिवहन के साधन बंद होने से दूरस्थ अंचल, वन ग्राम व ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की अकादमिक गतिविधियाँ नगण्य हैं।
- वर्तमान कोविड-19 काल में ऑनलाइन माध्यम के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इससे बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़े रखने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा, उत्तराखंड से प्रकाशित *बालप्रहरी* त्रैमासिक पत्रिका द्वारा आयोजित परिचर्चा में देश के विभिन्न राज्यों के अधिकतर बच्चों ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ऑनलाइन शिक्षा को एक ज़रूरी विकल्प बताया है।
- ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों के संचालन हेतु शासन स्तर पर अनेक प्रयास किए गए। अध्यापकों एवं शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले पालकों ने भी उसमें निरंतर सहयोग प्रदान किया। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी सकारात्मक पहल की गई।
- ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता औसतन से कम हुई है। वास्तविक नियमित कक्षाओं की पढ़ाई से मार्गदर्शन प्राप्त न हो पाने से केवल औपचारिक स्थिति बन गई है, विशेषकर कक्षा पहली व दूसरी के बच्चों की लेखन कौशल गतिविधियाँ चिंताजनक हैं। इसी तरह प्राथमिक कक्षाओं में भाषाई कौशलों एवं गणित की मूलभूत दक्षताओं के विकास की स्थिति भी चिंताजनक है।
- वर्तमान कोविड-19 काल में ऑनलाइन माध्यम से अकादमिक गतिविधियों के संचालन में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं। जिनमें अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ प्रमुख हैं। पालकों को आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। बच्चों की शैक्षिक के अलावा सहशैक्षिक गतिविधियाँ बंद होने से वे भी परेशान हैं।
- निष्कर्षतः कोविड-19 काल से उत्पन्न हुई कठिनाइयों का सामना करने के लिए विद्यालयों एवं अध्यापकों को तैयार रहना होगा। शिक्षा नीतिकारों को भी अब विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तरीके से सोचना होगा। बच्चों के स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी अध्यापकों के साथ-साथ, परिवार और समाज की भी है।

सुझाव

- शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का कोरोना वायरस प्रतिरोधी टीकाकरण शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित

किया जाए। कोविड-19 का दौर जब तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो जाता, तब तक समस्त अकादमिक गतिविधियों से संबंधित क्रियाकलापों हेतु निर्देशत कोविड-19 नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

- बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के पूर्व, के दौरान एवं के बाद चिकित्सक की सलाह अनिवार्य कर देनी चाहिए तथा इसकी उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
- प्रधानाचार्य या प्रशासन द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने पर ज़ोर न देकर केवल महत्वपूर्ण विषय-वस्तु के अध्ययन या अध्यापन पर ज़ोर देना चाहिए।
- विद्यालय बंद होने से विद्यार्थी नियमित एवं वास्तविक कक्षाओं की पढ़ाई से दूर हो गए हैं। साथ ही, बच्चे अगली कक्षाओं में प्रोन्नत भी किए जा रहे हैं। इसलिए उन पर अगली कक्षाओं का दबाव भी बढ़ जाएगा।
- विद्यालय के फ़ेस-टू-फ़ेस अधिगम का कोई विकल्प नहीं है। कोरोना-19 महामारी से हालात सुधरने पर अगली कक्षाओं के लिए तीन-तीन महीने के ब्रीज कोर्स कराए जाएँ।
- आज लगभग सभी परिवारों के पास एक फ़ोन आवश्यक है, भले ही वह स्मार्टफ़ोन न हो। जिन लोगों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, उन बच्चों से संपर्क करने के लिए हम वॉइस कॉल द्वारा विभिन्न आसान सुझाव तथा टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कक्षा कार्य के बारे में बता सकते हैं।
- सरकार बच्चों को मुफ़्त डेटा पैक प्रदान कर सकती है, क्योंकि गरीब परिवार के लोग नियमित रूप से महंगे डेटा पैक नहीं खरीद सकते हैं। यह हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कई बच्चों से संपर्क करने में मदद करेगा।
- कोविड-19 संकट में सभी अध्यापक, अभिभावक व विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार *पीएम ई-विद्या चैनल, दीक्षा पोर्टल, ई-पाठशाला, निष्ठा*, एन.आर.ओ.ई.आर. की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-संसाधन तथा रा.शै.अ.प्र.प., राज्य शिक्षा केंद्र आदि संस्थानों द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपलोड ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
- कोविड-19 काल के चलते खंडवा ज़िले में स्थानीय स्तर पर अध्यापकों के साथ मिलकर उच्च शिक्षित लड़कियों द्वारा बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा हेतु सकारात्मक पहल, खालवा विकासखंड में न्यू एजुकेशन ग्रुप (एन.ई.जी.) द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भाषा की मूलभूत दक्षता गतिविधि करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह गैर-शासकीय संस्थाओं या संगठनों को अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाना चाहिए।

संदर्भ

अकादमिक गतिविधियाँ मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के निर्देश. राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया सर्कुलर . (http://www.educationportal.mp.gov.in/portal)

अप्रैल से 15 अप्रेल हेतु निर्देशिका. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मध्य प्रदेश केंद्र.

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल कोविड-19 सुरक्षा के निर्देश. राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया सर्कुलर (https://www.educationportal.mp.gov.in/portal)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार "द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ॉर नॉलेज शेयरिंग" (दीक्षा)17 रा.शै.अ.प्र.प. संस्थान द्वारा अपलोड ऑनलाइन सामग्री https://ncert.nic.in/

विद्यार्थियों की नज़र से — ज्ञान विज्ञान बुलेटिन. "ऑनलाइन पढ़ाई पर बच्चों के विचार" पर 9 अक्तूबर 2020 को *बालप्रहरी* पत्रिका द्वारा आयोजित परिचर्चा. अल्मोड़ा, उत्तराखंड.

साइको-लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया. 2014. *साइको-लिंग्वा*. 44(1), पृष्ठ संख्या 5–9.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय एक प्रयास

गौरव सिंह*
प्रवीण कुमार तिवारी**

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में प्रत्येक स्तर की अध्यापक शिक्षा को उच्च शिक्षा के अंतर्गत रखना एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत में अध्यापक की उपलब्धता और उसका गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अध्यापक शिक्षा में वर्तमान से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उनके सार्थक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। नीति के इन्हीं उपायों को क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा इसके लिए अध्यापक शिक्षा में समग्रतापूर्ण परिवर्तन करने होंगे। इस लेख में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ उपायों की चर्चा की गई है, जिससे भारत के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापक तैयार किए जा सकेंगे।

एक लंबे इंतज़ार के बाद देश के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसके विविध पहलुओं में एक महत्वपूर्ण पहलू, अध्यापक और अध्यापक-शिक्षा है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में जहाँ अध्यापक से जुड़े पंचम अध्याय को विद्यालयी शिक्षा के खंड में रखा गया है, वहीं अध्यापक शिक्षा को उच्च शिक्षा खंड के पंद्रहवें अध्याय में रखा गया है। भले ही देखने में प्रथम दृष्टया ये थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु पहली बार पूरी तरह से प्रत्येक स्तर की अध्यापक शिक्षा को उच्च शिक्षा के अंतर्गत रखना एक महत्वपूर्ण पहल है।

भारत में अध्यापक की उपलब्धता और उसका गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। *शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009* के ये दो लक्ष्य आज भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्तमान की प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों, जैसे— बहुत कम संस्थाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों की नियुक्ति होना, निजी स्वामित्व वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों की खराब गुणवत्ता (जो बहुतायत में हैं), विद्यालयों में अत्यधिक रिक्तियाँ और अधिक विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात, स्थानीय भाषा बोलने और पढ़ाने वाले अध्यापकों की कमी, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों का अभाव, पेशेवर (वृत्तिक) विकास के अवसरों का अभाव तथा वेतन, पदोन्नति आदि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कोई औपचारिक और पारदर्शक व्यवस्था न होना, की चर्चा की गई है। परंतु ये मुद्दे कोई नए नहीं

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 110 068
** *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उत्तर प्रदेश) 243 001

हैं, पहले आ चुके शिक्षा आयोगों, शिक्षा नीतियों और समितियों ने भी इस तरह के मुद्दे रेखांकित किए थे। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि मुद्दों के उल्लेख कर देने मात्र से समाधान नहीं निकलते और यही *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का अनुपालन सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं और सरकार की चुनौती है कि कैसे वे इन मुद्दों के सुझाए समाधानों को लागू कर पाती हैं। समाधान के रूप में जिस चार-वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है, उसकी अपनी बड़ी चुनौतियाँ हैं। अध्यापक योग्यता परीक्षा को सुदृढ़ बनाना और सतत पेशेवर (वृत्तिक) विकास हेतु पाठ्यक्रम निर्माण भी लंबे समय से अपेक्षित कदम था। अध्यापकों को चुनाव संबंधी कार्यों, मध्याह्न-भोजन पकाने की देखभाल से विरत करना आदि स्वागत योग्य कदम हैं। परंतु इसके लिए सभी राज्य सरकारों को भी पहल करनी होगी।

सतत पेशेवर (वृत्तिक) विकास के लिए विद्यालय अध्यापकों या प्रधानाचार्यों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का पाठ्यक्रम अनिवार्य करना एक सराहनीय पहल है, पर इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों, विशेष रूप से ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) का सुदृढ़ीकरण तथा साथ ही ऑनलाइन कोर्स, जैसे— मूक (MOOC) आधारित मॉड्यूलर कार्यक्रम निर्माण को प्रोत्साहन देना होगा; प्रत्येक विद्यालय तक सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के मूलभूत उपकरणों एवं ई-संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित करनी होगी। इन कार्यक्रमों को पूरा करने वाले अध्यापकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि प्रकार के प्रोत्साहनों से जोड़ना होगा। केंद्र और राज्य स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई राज्यों ने तात्कालिक राजनैतिक और आर्थिक लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर जो अप्रशिक्षित अध्यापकों की 'पैरा-अध्यापकों' के रूप में नियुक्ति की है, जिन्हें प्रशिक्षित करना या नियमित करना एक गंभीर चुनौती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाकर केवल स्थायी नियुक्तियों का सुझाव दिया गया है।

इस नीति में एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि सभी विद्यालयों में विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात कम से कम 1:30 सुनिश्चित किया जाए। परंतु इसका नुकसान सबसे अधिक ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों को उठाना पड़ रहा है, जहाँ विद्यार्थियों को नामांकन कम होने के कारण विद्यालय में 1 से 3 तक की संख्या में विद्यमान अध्यापक पाँचों कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिससे या तो दो या अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है या कई बार अध्यापक के अनुपस्थित होने पर कोई शिक्षण नहीं हो पाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु अब विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात (पी.टी.आर.) के स्थान पर विषय-अध्यापक अनुपात (एस.टी.आर.) या कक्षा-अध्यापक अनुपात (सी.टी.आर.) पर चिंतन करने की आवश्यकता है। कम से कम दो भाषाएँ, गणित और विज्ञान के अध्यापक की उपलब्धता प्रत्येक विद्यालय में सुनिश्चित की जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, इसे क्रियान्वित करने के लिए आकलन और समयबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा से जुड़े मुद्दों की चर्चा अध्याय 5 और 15 में की गई है, जहाँ अध्याय 5 में चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया गया है और 2030 तक इसे अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं स्नातक योग्यता रखने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम की बात भी कही गई है। यह सर्वविदित है कि अध्यापक शिक्षा की वर्तमान दशा का सबसे बड़ा दोषी यदि कोई है, तो वे नियामक संस्थाएँ हैं। न्यायाधीश वर्मा आयोग (2012) के अनुसार, 10,000 से अधिक एकल संस्थाओं ने अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के स्थान पर ऊँचे दामों पर उपाधियाँ बेचने का काम किया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भी इसके लिए नियामक संस्थाओं की असफलता की ओर इंगित करती है, जिसमें कहा गया है कि, "इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो भ्रष्टाचार रोक पाए हैं और न ही गुणवत्ता के मानक स्थापित कर पाए हैं। जिसका नकारात्मक प्रभाव इस क्षेत्र के उत्कृष्टता और नवाचारों पर पड़ा है।" (पृष्ठ संख्या 68)

अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालय व्यवस्था का हिस्सा बनाना एक अच्छा लक्ष्य है और इसे प्राप्त किया जाना चाहिए; परंतु सभी बहु-विषयक महाविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा प्रारंभ करना और लगभग 10,000 महाविद्यालयों को बंद करना या उनमें अपेक्षित सुधार लाना एक गंभीर चुनौती है। भले ही *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 15.3 (पृष्ठ 68) में इसके लिए प्रावधानों को रखा गया है।

जहाँ तक चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रश्न है, उसकी अवधारणा से आपत्तियाँ कम हैं। 1960 के दशक में यह प्रयोग पहले कुरुक्षेत्र में प्रारंभ हुआ (दिबाकर, 2016) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की सफलता ने इसे पूरे देश में लागू करने के लिए प्रेरित किया है। अत: इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए व्यापक चिंतन और बहस की आवश्यकता है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम और मूक (MOOCs) पाठ्यक्रम निश्चित ही भविष्य में सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण आधार होंगे। जो अध्यापकों में नए-नए कौशलों के विकास में सहायक हो सकते हैं, परंतु इस दिशा में उचित चिंतन एवं दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अवलोकन और अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के पश्चात् इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिए गए हैं—

अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सुधार

- हमारी पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के बारे में जागरूकता लाने, उन पर अनुसंधान करने और उन्हें आधुनिक तकनीकों और प्रचलित प्रविधियों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम पश्चिमी दर्शन (आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद आदि) एवं शिक्षणशास्त्र (व्यवहारवाद, रचनावाद, ब्लूम का वर्गीकरण आदि) के प्रतिमानों और प्रविधियों से बहुत अधिक आच्छादित है।
- न केवल विद्यालयी शिक्षा में, वरन् अध्यापक शिक्षा में भी पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों के

भारतीयकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय शिक्षा के सत्व को विभिन्न स्तरों के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा।

- भारत में शिक्षा के इतिहास की सामग्री और पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन की आवश्यकता है, क्योंकि यह पश्चिमी दुनिया से अत्यधिक प्रभावित है। पश्चिमी दर्शन को प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए कुछ चयनित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है।
- भारतीयता, भारतीय परंपरा, जीवन मूल्य आदि पाठ्यक्रम और प्रणालियों का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार, विद्यार्थियों को समय के साथ और विश्व की गति के साथ और सटीक ढंग से आगे ले जाने हेतु रचनात्मक सोच आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार के उच्च स्तरीय मानसिक संकायों का पोषण, भारत के पारंपरिक ज्ञान आधार, जैसे— वैदिक ज्ञान, विज्ञान, गणित आदि का शिक्षण-प्रशिक्षण, अध्यापक शिक्षा प्रणाली की सहायता से किया जा सकता है। साथ ही, वैदिक गणित से संबंधित विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवा-पूर्व और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ नियोजित किए जाएँ।
- देश भर में चार साल के एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में कई समस्याएँ, मुद्दे और भ्रम हैं। यहाँ तक कि ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करने वाले संस्थानों को नियामक या शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों (दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, इंदिरा गाँधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक आदि) के विद्यार्थियों को विगत वर्षों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इन चार-वर्षीय पाठ्यक्रमों में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, निकास-विकल्प और एकीकरण की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
- *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ़.)* और अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ़.टी.ई.) का निर्धारण करते समय, अध्यापक शिक्षा में बदलाव के बारे में अनुभव और साक्ष्य-आधारित आगत को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम और विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम के बीच सामंजस्य और समन्वय होना चाहिए।
- नए पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में अनुभव आधारित शिक्षण, खेल एवं कला समेकित शिक्षण, खिलौना आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, समस्या आधारित शिक्षण, खोज दृष्टिकोण, अंतरनिर्देश और अन्वेषण प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इक्कीसवीं सदी में शिक्षा का एक रचनात्मक प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए जो विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक एवं उद्यमशील बनाने के अवसर प्रदान करें।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विद्यालयी शिक्षा के चार स्तरों (बुनियादी, तैयारी, मध्य और माध्यमिक) की अनुशंसा की गई। चारों स्तरों के लिए भिन्न प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों

की आवश्यकता होगी और इन्हें प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाएँ, उच्च शिक्षा का अंग होंगी। परंतु यदि कोई अध्यापक एक स्तर से दूसरे स्तर में पदोन्नति का प्रयास करे तो उसके लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर बनाने होंगे, जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं।

- अध्यापक शिक्षा की एक विशिष्ट पहचान के साथ एक अलग संकाय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बी.एड. का 'अध्यापक शिक्षा के स्नातक' (B.T.ED.) तथा एम.एड. का 'अध्यापक शिक्षा के परास्नातक' (M.T.ED.) के रूप में नाम बदला जाना चाहिए और अध्यापक-प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए।

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का समावेशन

- शिक्षा प्रणाली को मज़बूत करने, ज्ञान का प्रसार करने, सूचना तक पहुँच को सुगम बनाने, गुणवत्ता एवं प्रभावी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा सेवाओं को और अधिक कुशलता से उपलब्ध कराने के लिए नवाचार एवं आईसीटी का दोहन किया जाना चाहिए। आईसीटी सामान्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु केवल उपकरण मात्र नहीं है; बल्कि यह बदलते शिक्षणशास्त्र के शक्तिशाली उपागम भी प्रदान करती है।
- ऑनलाइन शिक्षा को न केवल सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के अवसर के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बल्कि सेवा-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के लिए भी मिश्रित तरीके से लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस हेतु नियामक बाधाओं और संस्थागत जड़ता को हटाने हेतु सुगम प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को मिश्रित तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आगे आना चाहिए तथा साथ ही सेवारत अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए ऑनलाइन मोड में कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
- पीएच.डी. के लिए पाठ्यक्रम को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों या अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा ऑनलाइन और मिश्रित तरीके से विकसित किया जा सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षणशास्त्र के साथ इसके समावेशन के लिए भी तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए।
- दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेषीकृत सहायक प्रौद्योगिकी प्रदान की जानी चाहिए और अध्यापकों को इसके प्रयोग का सार्थक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

नियामक या प्रशासनिक सुधार

- अध्यापक शिक्षा के लिए नियामक निकाय अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगभग कमज़ोर रहा है। क्योंकि एक नियामक निकाय होने के बाद भी देश भर के मानकहीन अध्यापक शिक्षा संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि का इसने सदैव समर्थन किया है। इसे भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अंतर्गत स्थापित होने वाले चार अंगों में एक सामान्य शिक्षा परिषद् (जी.ई.सी.) के मानक निर्धारक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाना प्रस्तावित है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ संख्या 76–77)। साथ ही अधिमानतः अध्यापक शिक्षा से जुड़े शिक्षाविदों को इस संस्था को चलाने और अकादमिक

उत्कृष्टता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए।

- अध्यापक शिक्षा में सामंजस्य का अभाव अभूतपूर्व अंतराल को जन्म दे रहा है। इस तरह के अंतराल को समाप्त करते हुए अध्यापक शिक्षा और अन्य हितधारकों से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन की अनुशंसा की है; अब पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की औपचारिक संरचना का आधार होगी। इसलिए पूर्व-प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण को संरचित और मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में पहले से ही बड़ी संख्या में आँगनबाड़ी या बालबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बाल-केंद्रित अध्यापक-प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जिसे व्यापक प्रशिक्षण के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यबल के सेवा-पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा आवश्यक है।
- केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी प्राथमिक विद्यालयों को दी गई है। बुनियादी ढाँचे और अध्यापक प्रशिक्षण पर उचित निवेश के साथ आँगनबाड़ी को प्रारंभिक विद्यालय के रूप में उन्नयन किया जा सकता है। इसके लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को पाठ्यक्रम निर्माण की ज़िम्मेदारी सौंपी है तथा इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों के निकायों की है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के अध्यापक प्रशिक्षण के लिए दो नियामक निकायों, एन.सी.टी.ई. और आर.सी.आई. द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित करने के कारण नियमों में अनेक विसंगतियाँ हैं। इसमें नामकरण, मानदंड और संरचना आदि एकसमान नहीं हैं। प्रत्येक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की प्रकृति समावेशी होना आवश्यक है। विशिष्ट शिक्षा के लिए अलग से पाठ्यक्रमों के स्थान पर एक ही प्रकार के समावेशी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्मित होने चाहिए।
- स्व-वित्तपोषी संस्थानों को बंद करने वाला सुझाव एक व्यावहारिक विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बल्कि इसके स्थान पर गुणवत्ता मानकों को मज़बूत किया जाना चाहिए और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

शैक्षणिक अभ्यास

- अध्यापक प्रअध्यापकों द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण अभ्यास (इंटर्नशिप) की योजना, अवलोकन, निगरानी और आकलन जैसे प्रयासों को मज़बूत करने और पाठ्यक्रम में अधिक लचीलापन लाने की आवश्यकता है। अनुसंधान आधारित शिक्षण अनुभव प्रदान करने के प्रयासों की आवश्यकता है, जो नवाचार, रचनात्मकता, रिफ़्लेक्टिव चिंतन एवं उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापकों का निर्माण करने में सहायक होगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम में उद्यमिता कौशल, समुदाय आधारित सामाजिक सक्रियता के साथ सामुदायिक शिक्षण केंद्रों का समावेश होना आवश्यक है।

- अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में व्यवहार संबंधी पहलुओं पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों को नैतिकता, मूल्यों और अपनी परंपरा पर गर्व के साथ-साथ अपेक्षित व्यवहार सीखने की आवश्यकता है।
- अध्यापक शिक्षा में संस्कृत को अन्य भाषाओं के साथ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए।
- 'अध्यापक के नेतृत्व वाली शिक्षा' से 'विद्यार्थी के नेतृत्व वाली शिक्षा' की ओर प्रयास करने की आवश्यकता है।

अनुसंधान और नवाचार

- अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, अध्यापक शिक्षा में संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है। अनुसंधान में प्रयोगों पर अधिक प्रोत्साहन एवं स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। नवाचारी शिक्षा प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, प्रयोग करने और सभी हितधारकों के अधिक लाभ के लिए इसके प्रचार एवं प्रसार करने की आवश्यकता है।
- सेवारत अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल (ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अथवा मिश्रित) विकसित करने के लिए मॉड्यूलर कार्यक्रम निर्माण में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले संस्थानों, जैसे— इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान आदि को कार्य सौंपा जा सकता है।
- कौशल उन्मुखीकरण या अभिक्षमता अभिवृद्धि के लिए लघु अवधि के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और ऐसे पाठ्यक्रम, कार्यक्रम विशिष्ट या सेमेस्टर विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ पारंपरिक बंधन से मुक्त होने चाहिए।

संस्थागत या आधारभूत ढाँचे का सुदृढ़ीकरण

- निजीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थानों को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सार्वजनिक संस्थानों में लंबे समय से लंबित भर्तियाँ तथा अवसंरचनात्मक विकास करने से एकसमान, गुणवत्तापूर्ण और मितव्ययी अध्यापक शिक्षा सुनिश्चित होगी।
- डाइट्स की स्थिति के बारे में भ्रम है, क्योंकि डाइट स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और एस.सी.ई.आर.टी. से संबद्ध हैं। उनका भविष्य क्या होगा? इस पर विचार और मंथन करने की आवश्यकता है। अगर उच्च शिक्षा के संस्थानों के रूप में डाइट को सेवाकालीन और सेवा-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मज़बूत और उन्नत बनाया जाए तो प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। साथ ही सार्वजनिक व्यय पर निर्मित इस विशाल बुनियादी ढाँचे का उपयोग सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है।
- प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करना अभी भी लंबित है, अभी केवल पाँच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ही रा.शै.अ.प्र.प. के अंतर्गत देश में कार्यरत हैं। इस तरह के सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थान नवाचार, प्रयोग और अन्य अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए एक प्रतिमान (मॉडल) हो सकते हैं, क्योंकि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी बहु-विषयक योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

संदर्भ

दिबाकर, एस. 2016. *बैकग्राउंड ऑफ़ द स्टडी*. http://dspace.hmlibrary.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1697/9/09_Chapter%202.pdf

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2012. *विजन ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया — क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, रिपार्ट ऑफ़ द हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कंस्टीट्यूटिड बाय द ओनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया*. भारत सरकार नयी दिल्ली, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/JVC%20Vol%201.pdf

———. 2019. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में स्कूली अध्यापकों की चुनौतियों का विश्लेषण तथा सार्थक सुझाव

जगदीश सिंह*
बी.पी. भारद्वाज**

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में स्कूली अध्यापकों पर दिए गए प्रमुख बिंदुओं— अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार; सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार; अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति; अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास तथा स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। साथ ही, इन बिंदुओं का विश्लेषण, भारत सरकार की विद्यालयी शिक्षा में केंद्र प्रायोजित महत्वपूर्ण योजना 'समग्र शिक्षा' की एक पहल 'विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार हेतु आकलन— परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर किया गया है। इस प्रकार यह लेख स्कूली अध्यापकों की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करने के साथ-साथ सार्थक सुधार हेतु समुचित सुझाव भी प्रस्तुत करता है। जो संभवत: स्कूली अध्यापकों से जुड़े समस्त हितधारकों को मार्गदर्शित करने में सहायक होगा।

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक की बहुत अहम भूमिका होती है। भारत की पूर्व की शिक्षा नीतियों 1968 और 1986 व 1992 की नीति कार्ययोजना तथा हाल ही में लाई गई *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अध्यापकों एवं अध्यापक शिक्षा को बहुत अहम स्थान मिला है। इस लेख में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में की गई अनुशंसाओं से संदर्भित भारतवर्ष में स्कूली अध्यापकों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियों व समस्याओं को उजागर करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में स्कूली अध्यापक विषय पर सुझाए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—

- अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार।
- सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार।
- अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति।
- अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास।
- स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता।

* *उप-सचिव*, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, जीवन तारा भवन, 5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नयी दिल्ली 110 001
** *प्रोफ़ेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली 110 016

यदि इन बिंदुओं पर विषयवार चर्चा करें तो हमें आज देश में स्कूली अध्यापकों की भर्ती, तैनाती, सेवा, परिवेश उनके सतत पेशेवर विकास व अन्य क्षेत्रों की वस्तुस्थिति जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही, वर्तमान स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को समझते हुए आगे का रास्ता निकाल सकेंगे।

स्कूली अध्यापकों से जुड़े क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियाँ एवं समस्याएँ

'अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार' के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना 'समग्र शिक्षा' की पहल परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पी.जी.आई) 2018–19 के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा पी.जी.आई. के विभिन्न संकेतकों में अर्जित किए गए स्कोर के आधार पर एक सूचकांक प्रदान किया जाता है। पी.जी.आई. का मुख्य उद्देश्य कम सूचकांक अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने कम अर्जित स्कोर वाले क्षेत्रों को मज़बूत करते हुए अग्रिम पंक्ति के अर्जित सूचकांक वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आने के लिए प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित करना है, जिससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सके। इसमें कुल 70 संकेतक (इंडीकेटर) हैं, जिनका कुल स्कोर 1000 है। अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार वाले बिंदु की सत्यता की जाँच हेतु पी.जी.आई. के तीन संकेतकों को संज्ञान में लेकर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है—

1. एक वर्ष में भर्ती हुए अध्यापकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन भर्ती प्रणाली के माध्यम से भर्ती किए गए अध्यापकों की संख्या।
2. एक वर्ष में कुल स्थानांतरणों के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित अध्यापकों की संख्या।
3. एक वर्ष में नए मुख्य अध्यापकों या मुख्य अध्यापकों अथवा प्रधानाचार्यों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी व ऑनलाइन भर्ती प्रणाली के माध्यम से भर्ती किए गए मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य। इनमें प्रत्येक संकेतक का अधिकतम स्कोर 20 निर्धारित किया गया है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अर्जित स्कोर को एक निश्चित विधि से ग्रेडिंग में परिवर्तित किया जाता है। इस लेख के लिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उक्त संकेतक में अर्जित स्कोर को उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की उपलब्धता का आधार मानते हुए इन क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियों को समझाने का प्रयत्न किया गया है।

राज्यवार प्रथम संकेतक का अवलोकन करने पर पता लगा कि वर्ष 2018–19 में पूर्ण 20 स्कोर वाले कुल 19 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश थे तथा इसके अलावा सात अन्य राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर 10 रहा। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अध्यापक भर्तियाँ की व इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन व पारदर्शी बनाया या इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए।

दूसरे संकेतक, जिसमें एक वर्ष में कुल स्थानांतरणों के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित अध्यापकों की संख्या का अवलोकन करें, तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में कुल 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थानांतरण में पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली का प्रयोग किया। अध्यापकों की स्थानांतरण प्रणाली को पारदर्शी व ऑनलाइन बनाने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का यह इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

यदि हम पी.जी.आई. के एक अन्य संकेतक जिसमें एक वर्ष में नए नियुक्त प्रधानाचार्यों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन भर्ती का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में पूर्ण रूप से 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या नौ थी अर्थात् नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठाए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए। परंतु इस दिशा में सार्वभौमिक प्रयासों के लिए तथा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य की गति को तीव्र करने की आवश्यकता है।

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के स्कूली अध्यापक और अध्यापक शिक्षा के द्वितीय बिंदु 'सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार' पर चर्चा करते हैं। इसके लिए अध्यापकों के सेवा एवं परिवेश से संबंधित कुछ पहलुओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इनमें अध्यापकों की माँग व आपूर्ति तथा उनके अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया को भी लिया जा सकता है।

वर्ष 2020–21 में देशभर के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विद्यालयों में कुल 61.84 लाख स्वीकृत पदों में से 10.60 लाख पद (लगभग 17 प्रतिशत) रिक्त थे। यहाँ यह समझना अति आवश्यक हो जाता है कि कुल रिक्तियों के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन कार्यकारी अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है। इससे इन अध्यापकों का न केवल अतिरिक्त कार्य ही बढ़ता है, अपितु उनका स्वयं का कार्य भी प्रभावित होता है। यदि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्यापक विषयवार होते हैं और यदि किसी विद्यालय में एक विषय के पद रिक्त हों तथा उस विषय का कोई और अध्यापक वहाँ पदासीन न हो तो उस विषय में विद्यार्थियों की कुशलता व दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में पठन-पाठन के अलावा अन्य कार्य भी अतिरिक्त रूप से इन्हीं कार्यरत अध्यापकों को ही करने पड़ते हैं, जो इस समस्या को और अधिक गंभीर बनाते हैं।

सेवा संस्कृति में सुधार हेतु अधिकारियों द्वारा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की निगरानी व पर्यवेक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह ज़िम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली व नीपा, नयी दिल्ली भी शैक्षणिक निगरानी में भारत सरकार की मदद करते हैं। राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् या उसके समकक्ष संस्थान करते हैं। ज़िला स्तर पर ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ज़िला

शिक्षा अधिकारी व उसके समकक्ष, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व उसके समकक्ष तथा उनके अलावा ब्लॉक संसाधन व्यक्ति भी इस कार्य के लिए तैनात होते हैं। क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन व्यक्ति तथा विद्यालयों में मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य इस कार्य के लिए मौजूद होते हैं। उचित रूप से एक युग्मित पर्यवेक्षण न केवल शिक्षण गतिविधियों के सुधार हेतु, वरन् अधिकारियों को निर्देशात्मक सुधार करने हेतु एक सार्थक उपकरण है। मॉनिटरिंग व सुपरविज़न (अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण) में व्याप्त चुनौतियों व समस्याओं को एक-एक करके देखें तो यथास्थिति कुछ हद तक स्पष्ट होने की संभावना बनती है।

अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के शीर्षस्थ पदों पर अधिकारी का पदोन्नत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अब हम पी.जी.आई. 2019 के एक महत्वपूर्ण संकेतक का अवलोकन करते हैं, जिसमें बताया गया है कि बीते 36 महीनों में किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख सचिव, एस.पी.डी. एस.एस.ए. व एस.पी.डी. आर.एम.एस.ए. के पद औसतन कितने महीने भरे रहे। इस संकेतक का अधिकतम स्कोर 10 रखा गया है। वर्ष 2018–19 में 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर पाँच या उससे अधिक हो गया जिसमें पूर्ण 10 स्कोर अर्जित करने वाले सात राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग के ये शीर्षस्थ अधिकारी न सिर्फ़ प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, अपितु अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण में भी इनकी अहम भूमिका होती है।

शीर्षस्थ अधिकारी के पद ज़्यादातर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं तथा इनमें लगातार स्थानांतरण व पदोन्नति की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे ये अधिकारी एक विभाग से दूसरे विभाग में आते-जाते रहते हैं। शीर्ष पर बैठे अधिकारियों की मजबूरी यह भी होती है कि उनका ज़्यादा रुझान प्रशासनिक कार्यों की ओर रहता है। इस समस्या के समाधान हेतु देश में अलग से अखिल भारतीय शिक्षा प्रशासनिक सेवाओं का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य भी इसी प्रकार से अपनी सेवाओं में उचित प्रावधान कर सकते हैं।

यदि फ़ील्ड लेवल की बात करें, तो ज़िला स्तर पर ज़िला शिक्षा अधिकारी व उसके समकक्ष तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या उसके समकक्ष तैनात होते हैं। इनका कार्य प्रशासनिक व शिक्षण के पर्यवेक्षण व निरीक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इनके पद पूर्ण रूप से नहीं भरे जाएँगे तो शीर्षस्थ अधिकारियों को ज़िले की शिक्षण गतिविधियों की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी तथा उन्हें ज़िला स्तर के विशिष्ट निर्णय लेने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब हम पी.जी.आई. 2018–19 के एक और संकेतक की चर्चा करते हैं, जिसमें किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक ज़िले व ब्लॉक में पिछले 36 महीने में औसतन कितने महीने तक अधिकारियों के पद भरे हुए थे। इसका अधिकतम स्कोर 10 रखा गया। वर्ष 2018–19 में कुल सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर 10 था तथा 28 अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर पाँच से नौ था। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार तथा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु इन पदों का लगातार भरा रहना अति आवश्यक है।

अब हम पी.जी.आई. के एक अन्य संकेतक की बात करते हैं, जिसमें यह पता लगाया गया है कि कितने प्रतिशत विद्यालयों में वर्ष भर में कम से कम तीन बार शैक्षणिक निरीक्षण किया गया है। इसका अधिकतम स्कोर चार रखा गया। वर्ष 2018–19 में दो, तीन व चार स्कोर अर्जित करने वाले 15 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे। हमें इस दिशा में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम तीन शैक्षणिक अनुवीक्षण अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता है। ये अनुवीक्षण बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किए जाने चाहिए ताकि उनसे एकत्रित आँकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में किया जा सके।

संकुल संसाधक केंद्र एवं ब्लॉक संसाधक केंद्र का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के दौरान किया गया था, ताकि ज़िला स्तर के अधिकारियों को फ़ील्ड स्तर पर इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके। क्लस्टर स्तर पर अनुवीक्षण तथा पर्यवेक्षण केवल प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया जाता था। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों पर यह व्यवस्था लागू नहीं थी। परंतु अब समग्र शिक्षा में नर्सरी से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू हो गई है। नीपा के *यू-डाईस 2017–18* के अनुसार देश में 721 ज़िले, 7457 ब्लॉक व 82952 क्लस्टर मौजूद थे। यदि सभी संकुल संसाधक समन्वयक एवं ब्लॉक संसाधक समन्वयक के पद भरे हुए हों, तो देश भर में लगभग 90 हज़ार स्थानीय अधिकारी उपलब्ध होने चाहिए, जिन्हें लगभग 12.27 लाख सरकारी विद्यालयों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना है अर्थात् एक अधिकारी के हिस्से में इस कार्य हेतु लगभग 14 विद्यालय आते हैं। अब यदि एक वर्ष में 200 कार्य दिवस हैं, तो एक ब्लॉक संसाधक समन्वयक को अपने ब्लॉक में व एक संकुल संसाधक समन्वयक को अपने क्लस्टर में कम से कम 100 दिन विद्यालयों में तथा बाकी के 100 दिन अपने कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों में लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए उनके मौजूदा कार्य संबंधी दिशा निर्देशों में बदलाव किया जा सकता है।

इस प्रकार एक विद्यालय का तीन बार संपूर्ण निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक अधिकारी के पास लगभग सात दिन का समय होता है। इससे क्या वे दोनों ही स्थानों पर न्याय कर पाएँगे और अध्यापकों की सेवा संस्कृति को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएँगे। इसके अलावा, इनका दायित्व सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध करना भी है। इसके लिए इनके कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सुझाव दिया जा सकता है कि प्रत्येक ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर दो-दो समन्वयकों के पदों का प्रावधान किया जाए, जिसमें एक प्रशासनिक कार्य करेगा तथा दूसरा अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान संसाधन उपलब्ध कराने व विद्यालय निरीक्षण के कार्यों को करेगा।

अब हम पी.जी.आई. 2018–19 के संकेतक, किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में मुख्य अध्यापक के भरे हुए पदों की प्रतिशतता की चर्चा करते हैं। इस संकेतक का अधिकतम स्कोर 20 रखा गया। वर्ष 2018–19 में 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अर्जित स्कोर 10 से 20 के बीच रहा, जिसमें पूर्ण 20 स्कोर अर्जित करने वाले तीन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे। इस

संकेतक से माध्यमिक विद्यालयों में मुख्य अध्यापकों के पद भरे जाने की दिशा में सकारात्मक सुधार का संकेत मिलता है।

सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार हेतु उपरोक्त सभी मानव संसाधनों का विद्यालयों में समुचित प्रबंध होना अनिवार्य है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा भौतिक संसाधनों का भी आकलन करके उनमें सुधार किया जा सकता है, जो अध्यापकों की सेवा, परिवेश और संस्कृति को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के स्कूली शिक्षा में अध्यापक की भूमिका व अध्यापक शिक्षा से जुड़े तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु 'अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति' के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम देश भर में कुल अस्थायी अध्यापकों व राज्यों द्वारा लक्ष्य से कम सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की बात करेंगे।

यदि हम नीपा के *यू-डाइस* के वर्ष 2017–18 के फ्लैश आँकड़े देखें तो ज्ञात होता है कि देश भर में कुल विद्यालयी अध्यापकों की संख्या 92.47 लाख थी, जिसमें से लगभग 13 लाख अध्यापक अंशकालिक (पार्ट टाईम) तथा संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर कार्यरत थे, जो कि कुल अध्यापकों का लगभग 13 प्रतिशत से अधिक है।

अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के पूर्वकालीन दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एस.एस.ए.), जो कि वर्तमान में एकीकृत होकर समग्र शिक्षा हो गए हैं, में अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। हमें इन सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति ज्ञात करने के लिए पी.जी.आई. 2018–19 के दो संकेतकों का अध्ययन करना होगा। एक संकेतक के अनुसार, किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष में कुल मुख्य अध्यापकों या प्रधानाचार्यों के स्वीकृत लीडरशिप प्रशिक्षण में से कितने प्रतिशत ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा दूसरे में किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष में कुल अध्यापकों के स्वीकृत सेवाकालीन प्रशिक्षण में से कितने प्रतिशत अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनका अधिकतम स्कोर 20–20 रखा गया है। प्रथम संकेतक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में 11 से 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 19 थी, जिसमें पूर्ण 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 थी। इस दिशा में सुधार हेतु कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

द्वितीय संकेतक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018–19 में 11 से 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 थी, परंतु पूर्ण 20 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 17 थी। अध्यापकों के सेवाकालीन स्वीकृति प्रशिक्षणों के लक्ष्य को किसी एक भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पूर्ण न किया जाना चिंतन का विषय है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्र व सभी राज्य सरकारों को विशेष प्रकार की पहल करने की आवश्यकता है, जिससे ये सेवाकालीन प्रशिक्षण समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सकें। इस विषय पर दिशानिर्देश तैयार करने होंगे तथा उनके अनुवीक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा,

चाहे उसके लिए अलग से एक निगरानी तंत्र क्यों न बनाना पड़े!

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के एक और पहलू, 'अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक (पेशेवर) मानकों का विकास' पर चर्चा करेंगे। नीति में यह कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को दिया गया है तथा यह मानक वर्ष 2022 तक विकसित करना है। इस हेतु देश में अध्यापकों की वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था का संज्ञान लेना होगा। सर्वप्रथम सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यापकों के सेवा संबंधी मानकों को एकसमान करना आवश्यक है। साथ ही अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना आवश्यक है तथा इसे अध्यापकों के राष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ना अनिवार्य है ताकि हम राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार इन पाठ्यक्रमों व अध्यापकों के व्यावसायिक मानकों में तार्किक संबंध स्थापित कर सकें। अध्यापकों के राष्ट्रीय मानकों को शिक्षा जगत के विकास के अन्य क्षेत्रों में भी भली-भाँति उपयोग किया जा सकता है। इन मानकों के विकास के लिए रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विकसित निष्पादन संकेतक (पिनडिक्स) का अध्ययन किया जा सकता है और इन्हें आधार मानकर अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास की रणनीति बनाई जा सकती है।

इस विषय की गंभीरता को जाँचने के लिए हम पी.जी.आई. के एक संकेतक के निष्पादन से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष में कुल कितने अध्यापकों का मूल्यांकन किया गया। इस संकेतक का अधिकतम स्कोर 10 रखा गया है। वर्ष 2018–19 में छह से दस स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 19 थी, जिसमें पूर्ण 10 स्कोर अर्जित करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 14 थी। परंतु अध्यापकों के मूल्यांकन के विषय में सभी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण रूप से सजग नहीं हैं। इस विषय पर और अधिक गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास के उपरांत उनका उपयोग भी एक सुनियोजित ढंग से सुनिश्चित करना होगा।

अब हम *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की एक और अनुशंसा की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 'स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता' पर बल दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा में पूर्व-प्राथमिक से कक्षा बारहवीं तक दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इन सभी में अन्य प्रावधानों के अलावा विद्यालयों में विशिष्ट अध्यापकों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती सुनिश्चित करना भी शामिल है।

देश में आपूर्ति की यदि बात करें तो भारत पुनर्वास परिषद्, विशेष अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम की मान्यता देता है। मई 2021 तक यह परिषद् कुल 671 महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अलग-अलग स्तर के नियमित पाठ्यक्रमों और उनमें प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या को मान्यता दे चुका है। इसके अलावा 15 महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को पत्राचार के माध्यम से ये पाठ्यक्रम चलाने की स्वीकृति दी गई है। इनमें बी.एड. स्पेशल एजुकेशन व डी.एल.एड. स्पेशल एजुकेशन की कुल सीटें 20 हज़ार से अधिक

हैं। यह परिषद् विशेष अध्यापकों का पंजीकरण भी करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाए और हम इन भावी विशेष अध्यापकों को समय पर रोज़गार उपलब्ध कराने में सक्षम हों।

आगे का रास्ता

अभी तक इस लेख में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली चुनौतियों व समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इन चुनौतियों व समस्याओं को अवसर में बदलने का मौका भी हमें इसी शिक्षा नीति में नज़र आ रहा है। सर्वप्रथम शिक्षा नीति में अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस प्रक्रिया में सुधार लाते हुए पी.जी.आई. के अनुसार कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अध्यापकों की भर्ती और तैनाती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक यह ग्रेडिंग वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 में की जा चुकी है। इस लेख में वर्ष 2018–19 का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमें प्रगतिशील बदलाव देखने को मिलता है।

अब हम यहाँ इस बात की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहेंगे कि भारत के कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यापक भर्ती व तैनाती के वस्तुपरक मापदंड नहीं हैं। भर्ती की इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा अध्यापन कौशल के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रत्येक भाग के मापदंड व उनके स्कोर तय कर परख होनी चाहिए। इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया कैमरे व पर्यवेक्षकों की निगरानी में होनी चाहिए तथा इसके आँकड़े भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने पर सार्वजनिक होने चाहिए। इसी प्रकार अध्यापकों की तैनाती के भी वस्तुपरक मापदंड बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सभी कार्य एक निश्चित समयावधि में संपन्न करवाने की आवश्यकता है, साथ ही इसमें आवश्यकतानुसार लचीलापन का प्रावधान हो। शिक्षा के इस क्षेत्र में सुधार का सीधा प्रभाव स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर दिखाई देगा। इसके लिए सरकारें चाहें तो अलग से अध्यापक शिक्षा भर्ती बोर्ड का गठन कर सकती हैं।

सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार की असीम संभावनाएँ हमारे सामने विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं, जिनका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे देश में लगभग 10.6 लाख सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के रिक्त पदों को पारदर्शी एवं वस्तुपरक मापदंडों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से भरना होगा। साथ ही, प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो रहे अध्यापकों के स्थान पर नए अध्यापकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करनी होगी। ताकि विद्यार्थियों को अध्यापकों की गैर मौजूदगी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अध्यापकों की माँग व आपूर्ति को समझकर समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से संबंध रखता है। इस विषय में परिषद् को राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन कर उस पर संज्ञान लेना होगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* इसके लिए समुचित सुझाव दे चुकी है। इस कदम से न केवल प्रशिक्षित बेरोज़गारों को लाभ मिलेगा, वरन् उन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा संस्थान खोलकर राहत मिल सकेगी, जहाँ प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है।

इसके अलावा, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयों में पर्यवेक्षण व अनुवीक्षण से जुड़े सभी अधिकारियों के पद क्लस्टर, ब्लॉक, ज़िला या राज्य स्तर पर समुचित रूप से भरे रहें। इससे प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से चल सकते हैं तथा अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के विद्यालयों के पर्यवेक्षण व अनुवीक्षण के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। संकुल संसाधक समन्वयक एवं ब्लॉक संसाधक समन्वयक का प्रावधान अध्यापकों को ऑन साइट सहयोग तथा अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये अपने इस कार्य को समुचित रूप से करने में सक्षम हों। सभी विद्यालयों में नियमानुसार मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य की नियुक्ति चरणबद्ध व पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करनी होगी। शीर्षस्थ पदों के लंबे समय तक खाली रहने या अधिकारियों पर अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति से बचने के लिए तथा इस स्तर के अधिकारियों के शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अनुभव की अपेक्षा करने के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा अलग से अखिल भारतीय शिक्षा सेवा तथा राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा सेवा की शुरुआत करने पर विचार किया जा सकता है।

अब यदि अध्यापकों के लिए सतत व्यावसायिक (पेशेवर) विकास और करियर प्रगति सुनिश्चित करनी है तो अंशकालिक व संविदा अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था को बंद करते हुए स्थायी व्यवस्था पर भर्ती करनी होगी। शिक्षा में व्याप्त इस भेदभाव को मिटाने मात्र से ही हम अध्यापकों को करियर प्रगति की तरफ सुदृढ़ कर सकते हैं। देश भर में सभी मुख्य अध्यापकों या प्रधानाचार्यों के पदों को भरना तथा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अलग से शिक्षा प्रशासनिक सेवाओं का प्रावधान करना भी इस दिशा में अहम भूमिका अदा कर सकता है।

इसके अलावा अध्यापकों के सेवाकालिक प्रशिक्षण के साथ-साथ उनके लिए उच्च शिक्षा व अतिरिक्त शिक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है, जो उनके लिए उत्साहवर्धक हो सकता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह प्रावधान किया गया है कि, "अध्यापकों को अपनी करियर प्रगति के लिए सतत व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे अपनी क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार से स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं एवं अन्य अध्यापक विकास मॉड्यूल्स में सहभागिता करना अनिवार्य होगा।" इस प्रक्रिया को वास्तविक रूप प्रदान करना होगा तथा इसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। जो अध्यापक इस दिशा में सराहनीय कार्य करें तथा शिक्षण-अधिगम के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री का निर्माण करें, तो उनकी गिनती विशिष्ट श्रेणी में की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं तथा राज्य भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें बदलाव कर समयबद्ध तरीके से लागू कर सकते हैं। इन सबके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत सभी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाते हुए समयबद्ध तरीके से अपने-अपने वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति करें तथा उसका अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण का समुचित प्रबंध भी करें।

अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास की स्थिति देखें, तो अभी तक लगभग आधे से कम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अध्यापकों का वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का पूर्ण रूप से सजग न होना चिंता का विषय है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए किसी ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अध्यापकों के मूल्यांकन के लिए पिनडिक्स व अन्य समकक्ष व्यवस्था के विश्लेषण के उपरांत कुछ मॉडल मानकों को तैयार कर उपयोग करना चाहिए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि, "अध्यापकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का उपयोग राज्यों द्वारा अध्यापक के करियर प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं, जैसे— उनका कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए पेशेवर विकास के प्रयास, उनकी वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा अध्यापकों की अन्य पहचानों के लिए किया जा सकता है।" पदोन्नति व वेतन वृद्धि अध्यापकों के कार्यकाल पर नहीं, वरन् इसी मूल्याकंन के आधार पर होगी। ऐसी परिस्थिति में इन मानकों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही, एक ऐसा तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें अध्यापकों की पदोन्नति व वेतन वृद्धि व स्थायीकरण को लेकर कोई शिकायत न रहे तथा यह प्रक्रिया डिजिटल तकनीकी के पारदर्शितापूर्वक माध्यम से समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सके।

स्कूली शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होती है। यदि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्णय के आधार पर प्रत्येक सरकारी विद्यालय में कम से कम एक विशेष अध्यापक नियुक्त करना है, तो देश में लगभग 12.27 लाख सरकारी विद्यालय हैं। इस दिशा में भी विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा तथा स्थायी अध्यापकों को प्रशिक्षित करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किए जाने वाले अध्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण से जुड़ी आवश्यकताओं को शामिल करके इन अध्यापकों की सेवाएँ भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के शिक्षण कार्यों में ली जा सकती हैं। साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन का अपव्यय न हो अर्थात् उन्हें समय पर रोज़गार उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था हो। अध्यापकों की सेवाएँ सामान्य बच्चों के शिक्षण में भी ली जा सकती हैं। इसके लिए इनकी सेवा शर्तों में बदलाव भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के अलावा स्कूली अध्यापकों व अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जिसमें मुख्य रूप से पाँच बिंदुओं, अध्यापकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार, सेवा, परिवेश और संस्कृति में सुधार, अध्यापकों के लिए सतत पेशेवर विकास और करियर प्रगति, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास, स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पर मार्गदर्शन दिया गया है। इस लेख में

प्रथम पाँच विषयों में व्याप्त चुनौतियों व समस्याओं का अध्ययन विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर किया गया है तथा विश्लेषण के उपरांत आगामी मार्गदर्शन हेतु यथासंभव सुझाव भी दिए गए हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पेपर में सुझाए गए उपायों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जा सकता है ताकि स्कूली अध्यापकों व अध्यापक शिक्षा का सुधार करते हुए शिक्षा के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार को आगे बढ़ाया जा सके।

संदर्भ

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की समग्र उन्नति. 21 जून, 2021 को https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/SARTHAQ_HI.pdf से प्राप्त किया गया है.

नीपा. *यू-डाइस 2017–18*. 20 जून, 2021 को https://pgi.udiseplus.gov.in/#/home (retrieved date 20/09/2021) से प्राप्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2018. *एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लान्स, 2018*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2018. *एनालिसिस ऑफ़ बजट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फ्रॉम 2015–16 टू 2017–18*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 2019

———. 2019. *ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, 2018–19*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

वार्षिक रिपोर्ट. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/AR_2015-16%20ENGLISH.pdf से प्राप्त किया गया है.

वार्षिक रिपोर्ट. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/HRD%20AR%202016-17%20SE.pdf से प्राप्त किया गया है.

वार्षिक रिपोर्ट. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/MHRD%20AR-2017-18%20English.pdf से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा. 21 जून, 2021 को https://www.education.gov.in/en/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Framework_Final_RMSA_3.pdf से प्राप्त किया गया है.

समग्र शिक्षा – विद्यालय शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना. 21 जून, 2021 को https://samagra.education.gov.in/docs/Framework_IISE%20_F.pdf से प्राप्त किया गया है.

सर्व शिक्षा अभियान. 21 जुन, 2021 को https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/Sarva%20Siksha%20Abhiyan.pdf – http://www.rehabcouncil.nic.in से प्राप्त किया गया है.

विद्यालयी शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं अध्यापकों की भूमिका

ज्योति कुमारी*
दीपा मेहता**

किसी भी समाज में परिवर्तन और सामाजिक सामंजस्य तथा समरसता को बढ़ाने में अध्यापकों ने सदैव योगदान दिया है। सदियों से अध्यापक भावी समाज के निर्माण में अपना योगदान करते आए हैं। प्रजातंत्रीय समाज के विद्यालय में अध्यापक का स्थान एक मित्र, पथ-प्रदर्शक, समाज सुधारक तथा नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है। विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के प्रति आस्था, आदर तथा मूल्यों की भावना उत्पन्न करने का दायित्व भी अध्यापक का है। अध्यापक विद्यार्थियों की सामूहिक चर्चा का नेतृत्व करता है, सामाजिक अनुभवों का पथ-प्रर्दशन करता है तथा विद्यार्थियों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देता है। अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में मूल्य शिक्षा के अवसर तलाशें। विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्य— समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, प्रेम, सहनशीलता, पंथनिरपेक्षता एवं पर्यावरण आदि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का विशेष प्रयास करना होगा जिसे 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भी शिक्षा का बुनियादी आधार बताया गया है। इस क्रम में अध्यापकों में इन मूल्यों को अपनाने एवं बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इस लेख में विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास व संवर्द्धन में अध्यापकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई है।

प्रजातंत्र जीवनयापन की एक ऐसी शैली है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। प्रजातंत्र समान अधिकार, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, सहनशीलता एवं सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत किसी जाति, धर्म, जेंडर अथवा व्यक्ति विशेष के लिए न होकर, वरन् सभी के लिए होते हैं। प्रजातंत्र केवल एक शासन व्यवस्था ही नहीं है, अपितु यह एक प्रगतिशील विचारधारा है। प्रजातंत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र को भी अनेक अर्थों में प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की भावना के आधार पर समाज को गठित करता है।

हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित है कि— 'हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और

* *शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221 005
** *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221 005

अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं' (बसु, 2008)।

संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से स्पष्ट है कि ऐसे नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। संविधान में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत में निवास करने वाले समस्त नागरिकों को सामाजिक, नागरिक, आर्थिक, विविध धर्मों के मूल तत्वों और प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देना अपरिहार्य है। इस प्रकार, भारतीय संविधान अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक मूल्यों, जैसे— स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, पंथनिरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद व सहयोग की भावना का स्पष्ट ज्ञान कराए जाने और उन्हें इन सिद्धांतों पर आधारित प्रजातांत्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित किए जाने की अनिवार्यता को महसूस करता है। जिसमें विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 व *2005* में मूल्य शिक्षा का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है और इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मूल्य शिक्षा को अलग से न देखकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा बनाया जाए। साथ ही *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के पाँचवें मार्गदर्शी सिद्धांत में भी राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था रखने वाले नागरिकों के निर्माण की बात की गई है। इन बातों से अध्यापकों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और अपेक्षा यह है कि वे शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में मूल्य शिक्षा को सम्मिलित कर विद्यार्थियों में मूल्य संवर्धन के अवसर तलाशें। देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए विद्यार्थियों में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना एवं समझ के साथ उत्तरदायित्व की भावना का बोध होना ज़रूरी है। एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में हम एक मुखर व सक्रिय लोकतंत्र को कायम रखने में सफल हुए हैं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) द्वारा की गई परिकल्पना स्मरण योग्य है—

"लोकतंत्र में नागरिकता की परिभाषा में कई बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक गुण शामिल होते हैं— एक लोकतांत्रिक नागरिक में सच को झूठ से अलग छाँटने, प्रचार से तथ्य अलग करने, धर्मांधता और पूर्वाग्रहों के खतरनाक आर्कषण को अस्वीकार करने की समझ व बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए... वह न पुराने को इसलिए नकारे क्योंकि वह पुराना है और न ही नए को इसलिए स्वीकार करे क्योंकि वह नया है। बल्कि उसे निष्पक्ष रूप से दोनों को परखना चाहिए और साहस से उसको नकार देना चाहिए जो न्याय व प्रगति के बल को अवरूद्ध करता हो।" (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपेरखा 2005*, पृष्ठ संख्या 7–8)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली की ओर इंगित करती है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने

के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि विद्यार्थियों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, जैसे— सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, वैज्ञानिक चिंतन, सेवा की भावना, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करेगी तथा विद्यार्थियों के विचार, व्यवहार, बुद्धि, ज्ञान, कौशल मूल्यों और सोच में भारतीयता की भावना को विकसित करेगी। जिससे वे मानवाधिकार, स्थायी विकास, जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो सकें और सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

प्रजातंत्र— संकल्पना और आदर्श

प्रजातंत्र पर अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि, 'प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है' (पचौरी 2009)। यदि शासन शब्द से हमारा तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था है तो प्रजातंत्र एक प्रकार का शासन ही नहीं, बल्कि जीवनयापन का एक ढंग भी है। जीवनयापन की रीति से उनका तात्पर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो अथवा आर्थिक (शर्मा, 2006)। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) की रिपोर्ट में लिखा है— 'लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन् जीवनयापन की एक रीति भी है। लोकतंत्र समान अधिकार तथा समान स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित रहता है। ये सिद्धांत किसी जाति विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन् सभी के लिए है (शर्मा, 2006)।

वास्तव में, प्रजातंत्र एक व्यापक संप्रत्यय है जिसे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों अर्थों में लिया जाता है। इन तीनों ही क्षेत्रों में प्रजातंत्रीय आदर्श स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भातृत्व को लागू करना ही प्रजातंत्र की स्थापना है। अगर हमें प्रजातंत्र को शासन चलाने की प्रणाली मात्र नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में पोषित करना है तो संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों व मौलिक कर्तव्यों में निहित मूल्यों की शिक्षा देनी होगी। जो इस प्रकार है—

1. **समानता**— भारत का संविधान सभी नागरिकों को स्थिति व अवसर की समानता का आश्वासन देता है। समानता से तात्पर्य धर्म, जाति, सांस्कृतिक विभिन्नता या पैतृक स्थान के बिना, सभी को विधि के सम्मुख दी जाने वाली राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता से है।
2. **स्वतंत्रता**— स्वतंत्रता के अभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर पाता है। भारतीय प्रजातंत्र में नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएँ, जैसे— वाक् स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपयोग तभी सफलतापूर्वक कर सकता है जब वह दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को अपने ही अधिकारों के समान मानेगा।
3. **बंधुत्व**— स्वतंत्रता एवं समानता के बीच समन्वय लाने का कार्य बंधुत्व या भातृत्व करता है। एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि समाज में भाइचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए वह समानता, न्याय व स्वतंत्रता के सिद्धांतों को आत्मसात करे।

4. **न्याय**— लोकतांत्रिक व्यवस्था न्याय पर आधारित होनी चाहिए। न्याय से तात्पर्य संपूर्ण भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले एकसमान न्याय से है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, संगठन या समूह के प्रति पक्षपात न किया जाए। सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराना लोकतंत्र को दृढ़ करने के लिए अनिवार्य है।
5. **सहयोग**— सहयोग से तात्पर्य सभी व्यक्तियों में मौजूद आंतरिक अच्छाई के आधार पर प्रेम, एकता, एक-दूसरे के सुख-दुख, विपत्ति एवं समृद्धि में सहयोग की भावना से है।
6. **पंथनिरपेक्षता**— भारत एक पंथनिरपेक्ष गणराज्य है। इसका अर्थ है कि यहाँ सभी आस्थाओं का आदर किया जाता है। लेकिन साथ ही भारतीय गणराज्य किसी आस्था विशेष को अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ नहीं मानता है। आज बच्चों में सभी लोगों के प्रति चाहे वे किसी भी धर्म के हों; समान आदरभाव पोषित करने की ज़रूरत है।

प्रजातंत्र और शिक्षा—अंतर्संबंध

शिक्षा और प्रजातंत्र का घनिष्ठ संबंध है। उपयुक्त शिक्षा के अभाव में प्रजातंत्र की सफलता संदिग्ध है। प्रजातंत्र जनमत पर आधारित है और जनमत को प्रबुद्ध बनाना शिक्षा का कार्य है। यदि लोग शिक्षित हैं, यदि वे स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यवहार में उतार सकते हैं, तो प्रजातंत्र सफल होगा। यदि लोग सत्य और असत्य में भेद कर सकते हैं और विचार की यथार्थता को समझ सकते हैं तो प्रजातंत्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह सब कार्य शिक्षा द्वारा संभव है। लोगों में इस प्रकार की क्षमता का विकास करना शिक्षा का कार्य है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा स्थापित डेलर्स कमीशन (1996) ने इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा का उद्देश्य व स्वरूप कैसा हो? इस पर अपनी रिपोर्ट 'लर्निंग— द ट्रेसर विदइन' प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में दो बिंदु बताए गए हैं— (1) जीवन भर सीखना एवं (2) शिक्षा के चार स्तंभ जो इस प्रकार हैं—

1. **जानने के लिए सीखना (लर्निंग टू नो)**— अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, साक्षरता, गणितीय व तार्किक चिंतन में सहयोग करना। जिससे वे संसार की जटिलता को समझ सकें और भविष्य में सीखने के लिए उन्हें पर्याप्त आधार प्राप्त हो सके।
2. **करने के लिए सीखना (लर्निंग टू डू)**— अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को कौशल से दक्षता की ओर प्रवृत्त करना। जिससे वे व्यावसायिक कौशल का अभ्यास अपने व्यवसाय में दक्षता से कर सकें और प्रभावी ढंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था व समाज की प्रगति एवं उत्थान में भाग लेने में सक्षम हो सकें।
3. **बनने के लिए सीखना (लर्निंग टू बी)**— अध्यापकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों के स्वयं के व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों, जैसे— आत्मसम्मान, देखभाल, भावात्मक बुद्धि, समीक्षात्मक चिंतन, सांस्कृतिक जागरूकता व संवेदनशीलता को विकसित करने में सहयोग दें। ताकि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन के प्रत्येक पहलू में एक अच्छे नागरिक के दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

4. **साथ रहने के लिए सीखना (लर्निंग टू लीव टुगेदर)**— अध्यापकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों में एक साथ रहने, एक साथ मिलकर कार्य करने, एक-दूसरे की देखभाल करने, सहानुभूति, तदनुभूति, आपसी प्रेम, सामाजिक कौशल और प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करें। जिससे वे समाज में सबके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से जीवनयापन कर सकें।

डेलर्स कमीशन द्वारा भविष्य की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सहकारी भावना, शांति, प्रेम, अहिंसा एवं जीवनपर्यंत शिक्षा को प्रमुखता दी गई है।

शिक्षा, प्रजातंत्र का हथियार है और जब तक सबके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। केवल प्रबुद्ध नागरिक समुदाय ही प्रजातंत्र की सहायता और सुरक्षा कर सकते हैं। केवल शिक्षा ही व्यक्तियों को उनके कर्तव्य और ज़िम्मेदारियों को समझने के योग्य बना सकती है और उन्हें प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था के उपयोगी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रजातंत्र में शिक्षण संस्थाओं के पास अनेक ज़िम्मेदारियाँ हैं और केवल सुचारू रूप से संगठित शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा ही प्रजातांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति संभव है। इस संदर्भ में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में जो कहा गया वह विचारणीय है—

"शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे सहभागिता आधारित लोकतंत्र व संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों (समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार, दूसरों के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता) को सुदृढ़ करना व विद्यार्थियों को उनसे परिचित कराना। इस चुनौती का सामना करने का अर्थ है कि हम गुणवत्तापूर्वक और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या का केंद्रीय बिंदु बनाए। साथ ही नागरिकता के प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से औपचारिक शिक्षा में सम्मिलित करें।" (पृष्ठ संख्या 46)

प्रजातंत्र में शिक्षा का अत्यंत व्यापक अर्थ है और इसका संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। जिससे वह अपनी शक्तियों और संभावनाओं का अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और साथ ही साथ समाज की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। शिक्षा और प्रजातंत्र के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने स्पष्ट कहा है कि, "लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति में सम्मान व योग्यता की आस्था पर आधारित होता है। अतः लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का पूर्ण व चहुँमुखी विकास करना अर्थात् एक ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों को एक समुदाय में जीने की बहुआयामी कला में दक्ष करे। बहरहाल यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अकेले न तो रह सकता है और न ही विकसित हो सकता है। उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है, जो अपने साथी नागरिकों के साथ शालीनता, सामंजस्य, कार्य कुशलता के साथ जीने की शैली के लिए आवश्यक गुणों को पोषित न करती हो।" (माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53, पृष्ठ संख्या 20)

भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया है। भारतीय नागरिक अपने शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का प्रयोग कर

सकें इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु की समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। इस दिशा में छियासिवाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 एक बड़ा कदम है। इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6–14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। संविधान के अनुच्छेद में नागरिकों को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। शिक्षा के मौलिक अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद द्वारा *निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* पारित किया गया जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,* 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

प्रजातंत्र में शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। प्रजातांत्रिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमारे भावी नागरिक हमारी संस्कृति, सभ्यता, कला एवं ज्ञान-विज्ञान से परिचित हों, जिससे वे समय आने पर इनके स्थायित्व एवं विकास में अपना योगदान दे सकें। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही पूर्ण होता है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा हमारी संस्कृति का संरक्षण तथा उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किया जा सकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही साथ उसके चरित्र का भी निर्माण करना है जिससे कि वह एक योग्य, चरित्रवान एवं सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन सके और अपने जीवन के सभी कार्य उदारता, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं कुशलता से कर सके। यह तभी संभव है जब शिक्षा द्वारा व्यक्ति की चिंतन शक्ति, तर्कशक्ति, सूझ-बूझ आदि का विकास हो। अतः प्रजातंत्र व शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।

प्रजातांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में अध्यापक की भूमिका

प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में अध्यापक मुख्य रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी रहता है। उसकी वफ़ादारी शासन के साथ-साथ विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के प्रति भी होनी चाहिए। प्रजातंत्रीय शिक्षा का आदर्श है कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित की जाएँ एवं उनके चरित्र का उन्नयन किया जाए और यह तभी संभव है जब अध्यापक स्वयं सद्चरित हों।

प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके विद्यार्थी जो कि भावी नागरिक हैं, कितने जागरूक, चैतन्य व विवेकशील हैं। उनका दृष्टिकोण कितना व्यापक, उदार एवं वैज्ञानिक है। उनमें तर्क, चिंतन व निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं। विद्यार्थियों में इन सबका निर्धारण अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। नागरिकों में लोकतांत्रिक गुणों को विकसित करने की शैक्षिक आवश्यकता के अध्ययन पर बल देते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने लिखा है, "लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं

जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है"। (पृष्ठ संख्या 23)

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोग ने माना कि विद्यार्थियों में इन गुणों को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अतः देश के अध्यापकों को इस प्रशिक्षण को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लेना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सितंबर, 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी. 2030) की प्राप्ति हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसकी थीम— 'ट्रांसफ़ारमिंग अवर वर्ल्ड— द 2030 एजेंडा फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' था। सतत विकास लक्ष्यों (2030) के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन व प्राप्ति में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यापकों द्वारा सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और अधिगम को सुगम व ग्राह्य बनाने के लिए शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को पुर्नगठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

किसी भी समाज में परिवर्तन को समझने के लिए और सामाजिक समरसता तथा सामंजस्य को बढ़ाने में अध्यापकों ने सदैव योगदान दिया है। सदियों से अध्यापक भावी समाज के निर्माण में अपना योगदान करते आए हैं। प्रजातंत्रीय समाज के विद्यालयों में अध्यापक का स्थान एक मित्र, पथ-प्रदर्शक, समाज सुधारक तथा नेता के रूप में होता है, जिससे वह अपने विद्यार्थियों तथा समाज का समुचित रूप से पथ-प्रदर्शन कर सके। अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में सार्थक परिवर्तन लाकर उसे प्रगति की ओर अग्रसर करे। इसके लिए उसमें आवश्यक गुणों की अपेक्षा की जाती है। ताकि वह विद्यार्थियों में उचित क्रियाकलापों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन कर सके।

- वह एक योग्य नागरिक हो तथा प्रजातांत्रिक आदर्शों, मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, सहयोग, व्यक्ति की गरिमा, पंथ निरपेक्षता एवं सहनशीलता में पूर्ण निष्ठा रखता हो।
- अध्यापक में अपने विद्यार्थियों को समझने तथा पथ-प्रदर्शन करने की क्षमता हो, ताकि एक योग्य नागरिक बनाने में सफल हो सके।
- वह लोकतांत्रिक आदर्शों व मूल्यों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया हो।
- अध्यापक को सद्चरित होना चाहिए, ताकि वह समाज तथा विद्यार्थियों का सम्मान प्राप्त कर सके और अपने उदाहरणों एवं सिद्धांतों द्वारा उनका नेतृत्व करने में सफल हो सके।
- वर्तमान समय में अध्यापकों का दायित्व यह भी है कि वे अपने विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष का परिष्कार करें एवं उन्हें संवेगात्मक रूप से परिपक्व नागरिक बनने में सहायता करें एवं विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, साहस व बंधुत्व की भावना उत्पन्न कर उन्हें स्वयं तथा दूसरों को चिंता, तनाव तथा बेचैनी से उबरने में मदद करने योग्य बना सकें।

- विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में अध्यापकों द्वारा अपनाई गई शिक्षण युक्तियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। इस दिशा में कुछ शोध अध्ययन व लेख प्राप्त हुए हैं जिसमें विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास पर विभिन्न शिक्षण युक्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया गया था, जिनका विवरण यथोचित है। शोध अध्ययन के परिणामों में पाण्डेय (1989) ने वाद-विवाद, कहानी विधि तथा कठपुतली व खेल विधि को मूल्य संवर्धन में प्रभावशाली विधि पाया। प्रिन्ट और स्मिथ (2007) ने अपने शोध परिणाम में बताया कि यदि अध्यापक उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन कराता है तो विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास तीव्र होता है। सुधीर (1998) ने अपने लेख में विद्यार्थियों में उच्च मानवीय मूल्य विकसित करने के लिए रोल मॉड्लिंग शेपिंग तथा टोकन टास्क शिक्षण युक्ति को अन्य विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी बताया। सिंह (2013) ने शोध अध्ययन के परिणाम में पाया कि विद्यार्थियों के नागरिक भाव तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर परंपरागत शिक्षण की तुलना में मॉड्यूल शिक्षण का सार्थक प्रभाव पड़ता है।
- पाठ्यवस्तु को जितने सरल एवं रोचक तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उतने ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। राधाकृष्णन ने मूल्यों को सार्वभौमिक मानते हुए नवीन शिक्षण विधियों तथा विद्यार्थियों के सम्मुख नवीन परिस्थितियों में इन्हें प्रस्तुत किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने लेख में विद्यार्थियों में मूल्यों के विकास के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का समर्थन किया, विभिन्न प्रकार के मूल्यों (प्रेम, आत्मसंयम, संतोष, सच्चाई) के विकास के लिए ड्रामा प्रविधि, खेल प्रविधि के माध्यम से शिक्षण का समर्थन किया।
- अध्यापकों द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों में तत्कालीन ज्वलंत मुद्दों, जैसे— गरीबी, भुखमरी, पर्यावरणीय समस्याएँ, जाति एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव, सामाजिक-आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, धार्मिक असहिष्णुता एवं बेरोज़गारी पर अंतर्विषयक वाद-विवाद विधि द्वारा चर्चा करके उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। इतिहास विषय के अध्यायों में ऐतिहासिक चरित्रों के चारित्रिक गुणों को अध्यापक द्वारा प्रभावशाली व्याख्यान, सह प्रदर्शन विधि एवं उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों में उपयुक्त मूल्य शिक्षा विकसित की जा सकती है।
- भाषा शिक्षण के अध्यायों में सम्मिलित कहानियाँ, निबंध, नाटक, संस्मरण, कविताएँ और उपन्यास स्वयं में मूल्य शिक्षा को समेटे होते हैं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को इनमें वर्णित पात्रों की भूमिका-निर्वाह करने तथा स्वयं भी उन मूल्यों को आत्मसात कर जीवंत उदाहरण बनाकर प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करना चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे साहित्य पढ़ने हेतु प्रेरित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उस साहित्य में व्यक्त संस्मरण, अनुभव, घटना, कहानी या उदाहरणों से सीख लेते हुए अपने जीवन को खुशहाल व मूल्यपरक बना सकें।
- अध्यापकों द्वारा विभिन्न प्रकार की खेलकूद व पाठ्यचर्या पर आधारित गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित कराना,

ताकि उनमें आपसी प्रेम, सहयोग, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय, सदाचरण, सत्य, अहिंसा और शांति जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके।

- अध्यापक द्वारा कक्षा में मूल्य आधारित कहानियों पर बनी फ़िल्में दिखाना और उनसे संबंधित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और चर्चा करके उनमें मूल्यों का संवर्धन करना। विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा हेतु शिक्षा की प्रक्रिया सहयोग के आधार पर चलनी चाहिए। कक्षा के समस्त कार्य अध्यापक और विद्यार्थी के सहयोग से होने चाहिए। अध्यापक को एक सहायक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए।
- अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ प्रेमपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के मन में अध्यापक के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा हो सके और वे उन सभी मूल्यों को आत्मसात कर सकें।
- अध्यापक द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों, जैसे— समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, भ्रातृत्व, बहादुरी, ईमानदारी, पंथ निरपेक्षता, सहयोग व सहनशीलता से संबंधित प्रकरण जो अखबारों व पत्रिकाओं में छपे हों, उन्हें विद्यार्थियों की सहभागिता से कक्षा में रोचक ढंग से पढ़ाना। ताकि उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास व संवर्धन हो सके।
- अध्यापकों को विद्यालय का वातावरण शांत, सरल, प्रभावपूर्ण और भयरहित बनाना होगा ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त विकास का अवसर मिल सके और वे प्रजातांत्रिक मूल्यों को आत्मसात कर सकें।
- विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने और उन्हें प्रजातांत्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापकों को प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित लघुनाटक, गीत-गायन और कविता पाठ का आयोजन कराना चाहिए।
- विद्यालयी स्तर पर अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को सभी धर्मों की मूल शिक्षा का सार बताते हुए वर्तमान में उसकी आवश्यकता व उपादेयता पर प्रकाश डालना चाहिए। विद्यालय में सभी धर्मों से संबंधित त्यौहारों एवं उत्सवों के महत्व, उनके विविध स्वरूपों एवं विशेषताओं के बारे में विद्यार्थियों को सोदाहरण बताना चाहिए। जिससे उनमें धार्मिक सहिष्णुता, एकता, प्रेम, बंधुत्व, एक-दूसरे के प्रति सम्मान व सहयोग की भावना का विकास हो सके।
- अध्यापकों को कक्षा में महान व्यक्तियों की जीवनी, उनके द्वारा दिए गए भाषण व वक्तव्यों पर आधारित श्रृव्य-दृश्य सामग्री विद्यार्थियों को दिखानी व सुनानी चाहिए ताकि वे महान व्यक्तियों के जीवन में आए संघर्षों और कठिनाइयों से परिचित व प्रेरित होकर तथा भविष्य में स्वयं के समक्ष आने वाली समस्याओं व कठिनाइयों का उचित व नैतिक निदान निकालने में सक्षम हो सकें।
- अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय-समय पर बाल-सभा का आयोजन, कला, पेंटिंग, योग, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई का कार्य, वृक्षारोपण, संगीत, नृत्य, सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य आदि विविध क्रियाकलापों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में आपसी प्रेम, सहयोग की भावना, समानता, स्वतंत्रता व

भ्रातृत्व जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास व संवर्धन किया जा सकता है।

उपसंहार

वैश्विक परिदृश्य में भारतवर्ष ने स्वयं को सशक्त प्रजातांत्रिक देश के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वे प्रजातांत्रिक मूल्यों, जैसे— व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, पंथनिरपेक्षता, न्याय, सहयोग, सहनशीलता का पालन करें। परंतु वर्तमान भारतीय नागरिकों के प्रजातांत्रिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है। विश्व के समस्त देशों से संबंधित विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति विचारणीय है। *विश्व लोकतांत्रिक सूचकांक (2020)* में शामिल 167 देशों में भारत का स्थान निम्नतम में से एक है। इस रिपोर्ट में भारत को कुल 6.61 अंक (53वीं रैंक) के साथ दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। वहीं *सतत विकास रिपोर्ट (2020)* में शामिल 193 देशों में भारत का एस.डी.जी. स्कोर 100 में 61.9 अंक के साथ 117 पायदान पर है। इन वैश्विक सूचकांकों की रिपोर्ट के आधार पर भारत की एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थिति विचारणीय व चिंतन करने योग्य है। अतः वर्तमान में भारतीय समाज को उच्च प्रजातांत्रिक मूल्यों से युक्त नागरिकों की अत्यंत आवश्यकता है। विद्यार्थी जो कि देश के भावी नागरिक व कर्णधार हैं, उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने की ज़िम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें अध्यापकों की ज़िम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है।

प्रत्येक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का आदर्श होता है। विद्यार्थियों को विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने से पहले, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य केंद्रित पाठ्यक्रम पुनर्संरचना तथा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही, सेवारत एवं सेवा-पूर्व अध्यापकों के लिए भारतीय संस्कृति एवं विविधता को ध्यान में रखकर व्यावहारिक स्तर पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर कराया जाना चाहिए। ताकि प्रत्येक अध्यापक, चाहे वह सेवारत हो या सेवा-पूर्व स्वयं प्रजातांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने के साथ-साथ मूल्य शिक्षण की योजनाओं, विविध क्रियाकलापों, कौशलों, युक्तियों और विधियों में स्वयं को प्रशिक्षित कर सके तथा अपने विद्यार्थियों की व्यावहारिक समस्याओं से अवगत हो सके। अत: ऐसे अध्यापक अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे तथा उनमें भी मूल्य संवर्धन एवं समावेशन करने का कौशल विकसित कर सकेंगे।

संदर्भ

इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस. डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020- इन सिकनेस एंड इन हेल्थ? 20 जून, 2021 को https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/ से प्राप्त किया गया है.

डेलर, जे. और अन्य. 1996. *लर्निंग— द ट्रेसर विदइन*. यूनेस्को, पेरिस.

द *हिंदू*. 6 जून 2021. इंडिया स्लिप्स टू स्पोट्स टू रैंक 117 ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स— रिपोर्ट नयी दिल्ली 20 जून, 2021 को https://www.thehindu.com/news/national/india-slips-two-spots-to-rank-117-on-achieving-sustainable-development-goals-report/article34744187.ece से प्राप्त किया गया है.

पचौरी, गिरीश. 2009. *शिक्षा दर्शन*. विनय खनेजा, मेरठ.

पाण्डेय, एन. 1989. *ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ़ द इफ़ेक्टीवनेस ऑफ़ सेलेक्टेड मेथड्स इंपेरेटिंग इंस्ट्रक्शन इन मोरल वैल्यूज़ एंड देयर डेवलपमेंट एमांग अपर प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन*. अनपब्लिश्ड डॉक्टोरल डिज़रटेश्न (एजुकेशन). बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी.

प्रिंट, एम. और ए. स्मिथ. 2007. सिटिज़नशीप एजुकेशन एंड यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. *ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल स्टडीज़*. 55 (3), पृष्ठ संख्या 325–345.

बसु, दुर्गा दास. 2008. *भारत का संविधान— एक परिचय*. बाधवा एंड कंपनी, नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009.* विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

यूनाइटेड नेशंस. 2015. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स— 2015. *ट्रांसफ़ारमिंग अवर वर्ल्ड— द 2030 एजेंडा फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट*. यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. *यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948–49*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

शर्मा, रामनाथ और राजेन्द्र कुमार शर्मा. 2006. *शैक्षिक समाजशास्त्र*. एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय.1952. *सेकंडरी एजुकेशन कमीशन 1952–53*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

सिंह, एस. 2013. *डेवलपमेंट ऑफ़ मॉड्यूलर ऑफ़ एजुकेशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक सिटिज़नशीप एंड स्टडी ऑफ़ इट्स इफ़ैक्टीवनेस ऑन स्टुडेंट ऑफ़ क्लास VIII*. अनपब्लिश्ड डॉक्टोरल डिज़रटेशन (एजुकेशन). बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी.

सुधीर, एम.ए. 1998. ह्यूमन वैल्यूज़— स्ट्रेटजीज़ फ़ॉर डेवलपमेंट. *जर्नल ऑफ़ वैल्यू एजुकेशन*. वॉल्यूम 38, पृष्ठ संख्या 29–32. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

जनजातियों के विकास की शासकीय योजनाओं के प्रति सहरिया जनजाति की जागरूकता एवं उन पर इन योजनाओं का प्रभाव

किशना राम चौधरी*
अरुणा कौशिक**
सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ***

जनगणना, 2011 के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास बहुत असमान है। इसमें राजस्थान की सहरिया जनजाति सबसे अधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है, यह राज्य में केवल बाराँ ज़िले के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में ही मुख्य रूप से निवास करती है। इनके निवास स्थान सुदूर वन-क्षेत्रों, बंजर तथा पथरीली भूमि में स्थित हैं। आज भी यह जनजाति एक आदिम समाज की भाँति जीवनयापन कर रही है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के संदर्भ में जनजातियों के शैक्षणिक विकास से संबंधित संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभावों के शोध के परिणामों से अवगत कराना है। यह अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों समंकों पर आधारित है। जिसमें प्रतिदर्श का आकार 200 सहरिया परिवारों का है। इन परिवारों का यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से चयन करके गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से प्रश्नावली तथा प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से समंकों का संकलन किया गया। सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का सहरिया बाहुल्य तहसीलों— किशनगंज तथा शाहाबाद में तुलनात्मक प्रदर्शन का विश्लेषण अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष पाया गया है कि सहरिया जनजाति शैक्षणिक विकास के लिए संचालित 12 अलग-अलग प्रकार की योजनाओं माँ-बाड़ी केंद्र, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण, नि:शुल्क पोशाक वितरण, नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण, सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण, सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उपस्थिति प्रोत्साहन में से प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित चार तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए संचालित दो योजनाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों तथा सहरिया छात्राओं के लिए संचालित शेष छह योजनाएँ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। सहरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पर बहुत सीमा तक शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (अर्थशास्त्र), कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021
***प्राचार्य*, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाराँ, राजस्थान 325 205
****असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (अर्थशास्त्र), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021

'जनजाति' शब्द का अर्थ ऐसे समाज या समाज के उस हिस्से से है जिसके सदस्य सामान्य तौर पर रीति-रिवाज, विश्वास और नेतृत्व आदि के संदर्भ में एक ही वंश से संबंधित होते हैं। अन्य शब्दों में, जनजाति को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि एकसमान व्यवसाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। संसार की अधिकांश जनजातियाँ वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये वन क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनकी आजीविका वन उत्पादों तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। अपनी घुमंतू प्रवृत्ति के चलते इनमें से अधिकांश जनजातियाँ एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमती रहती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे आदिवासी समुदायों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' शब्द का प्रयोग संवैधानिक रूप से किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारत में सात सौ से अधिक आदिवासी समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें से कुछ समुदाय आदिम ढंग की विशेषताओं वाले हैं। इन आदिम समूहों में घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक पिछड़ेपन की विशेषताएँ विद्यमान हैं, ये सभी समूह आर्थिक रूप से समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं। स्वतंत्रता के 74 वर्षों के उपरांत भी ऐसे आदिम समुदायों के अधिकांश लोग शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के पर्याप्त स्तर को हासिल नहीं कर पाए हैं और उनका स्वास्थ्य सूचकांक अत्यंत न्यून स्तर का बना हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान सहित 18 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में बसे हुए ऐसे 75 आदिम समुदायों की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (प्रीमिटिव वल्नेरेबल ग्रुप्स—पी.वी.टी.जी.) की श्रेणी में रखा है। सहरिया आदिम समुदाय एक ऐसा ही विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में बसा हुआ है।

भारत में जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास बहुत असमान है। जनजातीय साक्षरता दर सघन जनजातीय आबादी के सकेंद्रण वाले राज्यों में अपेक्षाकृत बहुत ऊँची है, जैसे— मिज़ोरम (91.5 प्रतिशत), नागालैंड (80.0 प्रतिशत), मेघालय (74.5 प्रतिशत) तथा मणिपुर (72.6 प्रतिशत)। जबकि देश की अधिकांश जनजातीय आबादी वाले राज्यों का प्रदर्शन जनजातीय साक्षरता दर की दृष्टि से अपेक्षाकृत अत्यंत चिंताजनक है, जैसे — आंध्र प्रदेश (49.2 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (50.6 प्रतिशत), ओडिशा (52.2 प्रतिशत), राजस्थान (52.8 प्रतिशत) तथा झारखंड (57.1 प्रतिशत)। रेखाचित्र 1 तथा उसके संगत सारणी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पिछले छह दशकों के दौरान

रेखाचित्र 1— समग्र भारत तथा अनुसूचित जनजाति की तुलनात्मक साक्षरता दर

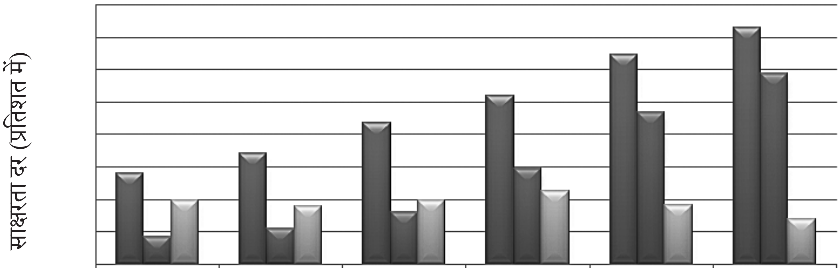

	1961	1971	1981	1991	2001	2011
समग्र जनसंख्या	28.03	34.45	43.57	52.21	64.84	72.99
अनुसूचित जनताति	8.53	11.3	16.35	29.6	47.1	58.96
अंतराल	19.77	18.15	19.88	22.61	18.28	14.03

स्रोत— स्टैटिस्टिकल प्रोफ़ाइल ऑफ़ शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013, सेक्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफ़ेयर्स, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ संख्या 13. www.tribal.nic.in

समग्र भारत तथा जनजातीय साक्षरता दर की तुलना की जाए तो दोनों के मध्य पाया जाने वाला अंतराल बहुत अधिक है, परंतु पिछली तीन जनगणनाओं में इस अंतराल में आई गिरावट ने सरकारी प्रयासों की सफलता को सार्थक सिद्ध किया है।

सहरिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए जो प्रयास किए गए उनमें सहरिया जनजाति भी अछूती नहीं है। परंतु यह आदिम जनजाति देश के विशेष रूप से कमज़ोर समूहों में से एक है, जो इन सरकारी प्रयासों से अपनी अज्ञानता, निर्धनता, भोलेपन तथा शर्मीलेपन के चलते कम लाभ अर्जित कर पाई जबकि अन्य दूसरी जनजातियों ने प्राय: अधिक लाभ प्राप्त किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारत स्तर पर समग्र जनजातियों के लिए साक्षरता की दर 58.96 प्रतिशत है। जबकि सभी जनजातियों के लिए पुरुष तथा महिला साक्षरता की दर क्रमशः 68.53 प्रतिशत तथा 49.35 प्रतिशत है। सहरिया जनजाति की बसावट वाले राज्यों की राज्य स्तर पर समग्र जनजातियों तथा सहरिया साक्षरता दरों का तुलनात्मक विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1 से यह स्पष्ट होता है कि अपवाद स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में सहरिया आदिम जनजाति शैक्षणिक विकास की दृष्टि से अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक पिछड़ी हुई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सहरिया जनजाति

की बहुत कम आबादी बसी हुई है। जबकि इनकी 95 प्रतिशत से अधिक आबादी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में ही निवास करती है। राजस्थान में यह जनजाति केवल राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित बाराँ ज़िले की किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में बसी हुई है। यह राज्य की एकमात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) की श्रेणी वाली जनजाति है, जो समग्र विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ी हुई जनजाति मानी जाती है। इनके शैक्षणिक उत्थान के लिए राजस्थान में विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे— माँ-बाड़ी केंद्र, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण, नि:शुल्क पोशाक वितरण, नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण, सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण, सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उपस्थिति प्रोत्साहन आदि।

उद्देश्य

यह शोध अध्ययन राजस्थान की सहरिया जनजाति पर आधारित है। इस शोध पत्र में इस जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की भूमिका का किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2002 में राजस्थान की सहरिया जनजाति के वितरण के संबंध में माणक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा आयोजित सर्वे से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में सहरिया जनजाति की सघन बसावट केवल बाराँ ज़िले की इन्हीं दो तहसीलों में है। इन दोनों तहसीलों में प्रदेश की लगभग 92 प्रतिशत सहरिया आबादी बसी हुई है। अत: प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न 12 शासकीय योजनाओं का इन दोनों तहसीलों के संदर्भ में निम्नलिखित आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना था—

- शासकीय योजनाओं के संबंध में सहरिया जनजाति के लोगों की जानकारी का अध्ययन करना।
- शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सहरिया परिवारों का अध्ययन करना।
- शासकीय योजनाओं से सहरिया जनजाति के लोगों के शिक्षा के स्तर, उनकी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

तालिका 1— राज्यवार साक्षरता दर (प्रतिशत में)

राज्य	समग्र अनुसूचित जनजातियाँ			सहरिया जनजाति		
	पुरुष	*महिला*	*कुल*	*पुरुष*	*महिला*	*कुल*
छत्तीसगढ़	69.7	48.8	59.1	90.8	68.3	80.9
राजस्थान	67.6	37.3	52.8	61.9	33.7	48.0
मध्य प्रदेश	59.6	41.5	50.6	51.7	32.0	42.1

स्रोत— स्टैटिस्टिकल प्रोफ़ाइल ऑफ़ शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013, सेक्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ संख्या 13 www.tribal.nic.in

साहित्य सिंहावलोकन

भारत में पिछड़े वर्गों— विशेषकर आदिवासी समुदायों के समुचित उत्थान के लिए अनेक प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए व किए जा रहे हैं। शोधार्थियों द्वारा समय-समय पर इन परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावों का विश्लेषण तथा आनुभविक अध्ययन किया गया। जैम्सा (2015) के अनुसार औपनिवेशिक काल में आदिवासी समूहों के लिए केवल सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के अलावा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने औपनिवेशिक काल की नीतियों में थोड़ा-सा संशोधन करके इन प्रयासों को जारी रखा तथा अनुसूचित जनजातियों को रोज़गार के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी सेवाओं में 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दीं। इन प्रावधानों ने जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कर दिया, परंतु इनकी शैक्षिक योग्यता तथा आवश्यक न्यूनतम कौशलों की कमी ने उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित रखा और अधिकतर मामलों में इनके लिए आरक्षित सीटें सदैव ही रिक्त रही हैं।

घोष (2007) ने अपने शोध पत्र में पश्चिम बंगाल की 'लोढ़ा' तथा झारखंड की 'हो' एवं 'महाली' जनजातियों में निम्न साक्षरता के कारणों की विस्तृत चर्चा करते हुए, यह बताने का प्रयास किया कि इन आदिवासी समुदायों में नामांकन अनुपात के संबंध में अपेक्षाकृत उच्च जेंडर विषमता व्याप्त है। दरीपा (2017) ने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आदिवासी समुदायों की शैक्षणिक उन्नति के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों तथा उनके परिणामस्वरूप इन समुदायों में उत्पन्न शैक्षणिक माहौल का द्वितीयक समंकों के आधार पर विश्लेषण किया। उन्होंने भारत के सभी समुदायों तथा आदिवासी समुदायों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया कि आज भी अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में वृद्धि तथा साक्षरता दर अपेक्षाकृत अत्यंत निम्न स्तर की है। गौतम (2013) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा कार्यकमों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर विचार प्रकट करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा आदिवासी समुदायों का न केवल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह उनके समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में कार्य करता है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का मूल कारण निरक्षरता ही है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उनके शैक्षणिक मानकों में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। परंतु समग्र भारत में जनजातियों की निम्न साक्षरता दर की समस्या को बार-बार एकसमान नए-नए कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करके हल नहीं किया जा सकता है। बल्कि जनजातियों की न्यून साक्षरता दर समस्या को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग विशिष्ट कार्यक्रमों तथा योजनाओं को बनाकर ही हल किया जा सकता है।

शोध प्रविधि

यह शोध पत्र राजस्थान की सहरिया जनजाति पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है, जिसमें सहरिया जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित बारह अलग-अलग तरह की शैक्षणिक योजनाओं का किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया। राजस्थान की सहरिया बाहुल्य तहसीलों— किशनगंज तथा शाहाबाद में से प्रत्येक तहसील से पाँच-पाँच गाँवों का चयन स्तरित प्रतिचयन विधि के माध्यम से किया गया तथा प्रत्येक चयनित गाँव में से 20–20 परिवारों अर्थात् प्रत्येक तहसील से 100 परिवारों तथा कुल 200 परिवारों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया। इस प्रकार 200 परिवारों का प्रतिदर्श लेकर फ़रवरी, 2020 में 32 स्मार्टफ़ोन धारकों से गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नावली तथा शेष 168 सहरिया परिवारों से उनके क्षेत्रों में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से समंकों का संकलन किया गया। प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण मापनी (स्केल), नामित (नॉमिनल) तथा क्रमिक (ऑर्डिनल) पैमाने के आधार पर किया गया। एकत्रित समंकों की कमियों, अशुद्धियों तथा अनियमितताओं को यथोचित मात्रा में ठीक करते हुए उन्हें समानता तथा सजातीयता के आधार पर विभिन्न वर्गों तथा समूहों में वर्गीकृत करते हुए क्रॉस सारणीयन तथा रेखाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। समंकों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया।

विश्लेषण

राजस्थान में सहरिया आदिम समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित 12 अलग-अलग तरह की योजनाओं को मोटे तौर पर तीन वर्गों— शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाओं को, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित योजनाओं तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित योजनाओं आदि में वर्गीकृत किया गया। इन सभी योजनाओं का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान सरकार के निर्देशन में सहरिया परियोजना अधिकारी, शाहाबाद की देखरेख में किया जा रहा है। लक्षित उत्तरदाताओं से इन सभी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ के बारे में प्रश्न पूछने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं—

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के सहरिया क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास से संबंधित संचालित कुल चार योजनाओं में से पहली तीन— माँ-बाड़ी केंद्र, आश्रम छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय अत्यधिक चर्चित योजनाएँ हैं। इन तीनों योजनाओं के संचालन की जानकारी दोनों तहसीलों— किशनगंज तथा शाहाबाद की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को है। जबकि एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन की जानकारी किशनगंज (46 प्रतिशत) की अपेक्षा शाहाबाद (75 प्रतिशत) के सहरिया लोगों को अधिक है, इसका मुख्य कारण इस मॉडल स्कूल का शाहाबाद में स्थापित होना है। इन चारों योजनाओं में से दोनों तहसीलों में सबसे अधिक तथा सबसे कम चर्चित योजनाएँ क्रमशः माँ-बाड़ी केंद्र तथा एकलव्य मॉडल स्कूल हैं। जबकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित दोनों योजनाएँ— नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5) तथा नि:शुल्क पोशाक वितरण (कक्षा 1 से 5) दोनों

तालिका 2— सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाओं की स्थिति

योजनाएँ	किशनगंज (100)			शाहाबाद (100)				
	जानकारी		*लाभान्वित*	*जानकारी*		*लाभान्वित*		
	हाँ	*नहीं*	*हाँ*	*नहीं*	*हाँ*	*नहीं*	*हाँ*	*नहीं*
शैक्षणिक विकास से संबंधित योजनाएँ								
माँ-बाड़ी केंद्र	94	06	90	10	97	03	93	07
आश्रम छात्रावास	72	28	41	59	90	10	43	57
आवासीय विद्यालय	69	31	31	69	53	47	33	67
एकलव्य मॉडल स्कूल	46	54	06	94	75	25	08	92
प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित योजनाएँ (कक्षा 1 से 5)								
नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण	93	07	91	09	94	06	93	07
नि:शुल्क पोशाक वितरण	93	07	91	09	94	06	93	07
माध्यामिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उत्प्रेरक से संबंधित योजनाएँ (कक्षा 6 से 12)								
नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण	74	26	71	29	84	16	71	29
सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता	31	69	25	75	58	42	32	68
सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण	18	82	10	92	47	53	19	81
सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी वितरण	18	82	06	94	36	64	01	99
प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	72	28	67	33	82	18	68	32
उपस्थिति प्रोत्साहन	73	27	67	33	83	17	69	31

ही तहसीलों में उत्कृष्ट स्तर पर प्रचलित हैं। इन योजनाओं के संचालन की जानकारी दोनों ही तहसीलों की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी को है। जहाँ एक ओर माध्यामिक स्तर (कक्षा 6 से 12) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित तीन योजनाओं— नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन के बारे में किशनगंज तथा शाहाबाद के क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत से अधिक सहरिया जनजाति के लोग जानकारी रखते हैं। वहीं दूसरी ओर इस श्रेणी के अंतर्गत विशेष रूप से सहरिया जनजाति की छात्राओं के लिए संचालित तीन योजनाओं— सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि, नि:शुल्क साइकिल (कक्षा 9–12) तथा स्कूटी के वितरण की जानकारी के संबंध में दोनों तहसीलों की स्थिति अपेक्षाकृत कमज़ोर है क्योंकि इन तीनों योजनाओं के बारे में किशनगंज तहसील के क्रमशः 31 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत और शाहाबाद तहसील के क्रमशः 58 प्रतिशत, 47 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत सहरिया लोग जागरूक

हैं। इस प्रकार तालिका 2 का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि माध्यामिक स्तर (कक्षा 6–12) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने के संबंध में शाहाबाद की स्थिति किशनगंज की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर है।

योजनाओं से लाभान्वित

योजनावार लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से दोनों तहसीलों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि शैक्षणिक विकास की तालिका 2 में दी गई 12 योजनाओं का प्रदर्शन दोनों तहसीलों में अलग-अलग रहा है और इनसे लाभ अर्जित करने वाले लाभार्थियों की संख्या में भी पर्याप्त विषमताएँ विद्यमान हैं। तालिका 2 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि माँ-बाड़ी केंद्रों के संचालन, नि:शुल्क स्टेशनरी तथा पोशाक वितरण (कक्षा 1–5 तक) की योजनाओं से 90 प्रतिशत से अधिक सहरिया परिवार लाभान्वित हुए हैं। जबकि दोनों तहसीलों के दो-तिहाई से अधिक सहरिया परिवार माध्यामिक स्तर (कक्षा 6–12 तक)) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरण से संबंधित नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। जो यह सिद्ध करता है कि माध्यमिक स्तर की सभी छह योजनाएँ अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रही हैं। इन योजनाओं की अपार सफलता का प्रमुख कारण साधारण लागों तक इनकी पहुँच होना है, क्योंकि ये सभी योजनाएँ प्रत्येक गाँव तथा सहराना (सहरियों की बस्ती) के सरकारी स्कूलों तथा माँ-बाड़ी केंद्रों पर स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित की जा रही हैं। जबकि सहरियों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता तथा मांग-पूर्ति के असंतुलन के चलते लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से उपर्युक्त योजनाओं के अलावा शेष बची छह योजनाओं का प्रदर्शन अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। जहाँ एक ओर इनमें से तीन योजनाओं— सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, आश्रम

रेखाचित्र 2— शैक्षणिक विकास की योजनाओं का सहरिया जनजाति पर प्रभाव

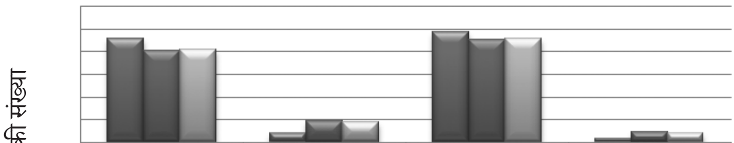

	वृद्धि	कोई प्रभाव नहीं	वृद्धि	कोई प्रभाव नहीं
	किशनगंज (100)		शाहाबाद (100)	
शिक्षा का स्तर	92	8	97	3
अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता	81	19	91	9
स्वास्थ्य का स्तर	82	18	92	8

छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के संचालन के मामले में दोनों तहसीलों का प्रदर्शन औसत से कम है, क्योंकि इन तीनों योजनाओं से लाभ अर्जित करने वाले लाभार्थियों का अनुपात दोनों ही तहसीलों में 25 प्रतिशत से 43 प्रतिशत के मध्य है जो कि इन योजनाओं के असंतोषजनक प्रदर्शन को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इस दृष्टि से एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन, सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल (कक्षा 9–12) तथा स्कूटी के वितरण की योजनाओं के लाभार्थियों का दोनों तहसीलों में अनुपात 20 प्रतिशत से भी कम रहा है, इस प्रकार महिला शिक्षा के प्रति सहरियों की न्यून रुचि तथा पूरे क्षेत्र में केवल एक मॉडल स्कूल के संचालन के चलते दोनों ही तहसीलों में इन योजनाओं का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है।

योजनाओं का प्रभाव

सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत सहरिया जनजाति के शैक्षिक उत्थान हेतु संचालित शैक्षणिक विकास की 12 विभिन्न शासकीय योजनाओं के संदर्भ में चयनित प्रतिदर्श से उनकी शिक्षा के स्तर, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच-पड़ताल करने पर प्राप्त परिणामों को रेखाचित्र 2 तथा उसके संगत तालिका में दर्शाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सहरियों की शैक्षणिक विकास के लिए संचालित 12 अलग-अलग तरह की शासकीय योजनाओं का उनकी शिक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जहाँ एक ओर किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों के क्रमशः 92 प्रतिशत तथा 97 प्रतिशत सहरिया जनजाति के परिवारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन योजनाओं के संचालन से उनकी शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के संचालन के परिणामस्वरूप अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में हुई वृद्धि की बात को किशनगंज तहसील के 81 प्रतिशत तथा शाहाबाद तहसील के 91 प्रतिशत सहरिया परिवारों ने स्वीकार किया है। इन योजनाओं से उनके स्वास्थ्य के स्तर में हुई वृद्धि की बात को किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों की क्रमशः 82 प्रतिशत तथा 92 प्रतिशत सहरिया आबादी ने स्वीकारा है।

इसके विपरीत दोनों ही तहसीलों के कुछ सहरिया परिवार ये मानते हैं कि सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत उनके शैक्षणिक विकास हेतु संचालित 12 योजनाओं में से अधिकतर योजनाएँ केवल प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों तक ही सीमित हैं। इसलिए किशनगंज क्षेत्र के 08, 19 एवं 18 प्रतिशत तथा शाहाबाद क्षेत्र के 03, 09 एवं 08 प्रतिशत सहरिया परिवार यह मानते हैं कि इन योजनाओं का क्रमशः उनकी शिक्षा के स्तर, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर में कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दिया है।

निष्कर्ष

राजस्थान की सहरिया जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्राथमिक समंकों के आधार पर किए गए शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए माँ-बाड़ी केंद्रों का संचालन, नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1–5), नि:शुल्क पोशाक वितरण

(कक्षा 1– 5), नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फ़ीस वितरण (कक्षा 6 –12), प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन आदि छह योजनाओं का प्रदर्शन जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर का रहा है। इस प्रकार बारह में से छह योजनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन यह दर्शाता है कि सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। जबकि सहरियों के शैक्षणिक विकास की तीन अन्य योजनाओं— सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, आश्रम छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के संचालन का प्रदर्शन जानकारी के अनुपात की दृष्टि से तो सामान्य है, परंतु लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से असंतोषजनक है।

इन आश्रम छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, जैसे— भोजन, पेयजल, आवास तथा कठिन विषयों की अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा स्थानीय सहरियों से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि इन सुविधाओं में विशेषकर पेयजल तथा भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना अपेक्षित है। वहीं दूसरी ओर एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन, सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल (कक्षा 9–12) तथा स्कूटी के वितरण की योजनाओं का प्रदर्शन जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से अत्यंत ही निराशाजनक रहा है। इनमें से दो योजनाएँ सहरिया जनजाति की बालिकाओं के लिए संचालित हैं। अत: इन योजनाओं का कमज़ोर प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सहरियों की स्थिति अभी भी अपेक्षाकृत रूप से अधिक कमज़ोर मानी जा सकती है। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

इन सभी योजनाओं की जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से क्रमशः आवासीय विद्यालयों के संचालन तथा सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी वितरण की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाओं में शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा बेहतर है। यही नहीं सहरियों के शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनाओं का उनके शिक्षा के स्तर, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर में हुई वृद्धि के मामले में भी शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है। इसका मुख्य कारण सहरिया विकास परियोजना से संबंधित अधिकतर सरकारी कार्यालय तथा संस्थानों की स्थापना शाहाबाद में होना है। अत: सहरिया विकास परियोजना से जुड़े नीति-निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भविष्य में सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए किशनगंज में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध पत्र में राजस्थान की सहरिया जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों के संदर्भ में किया गया है। शोध अध्ययन के निष्कर्षों से जहाँ एक ओर यह संतोषजनक परिणाम सामने आया कि सहरिया जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु संचालित 12 अलग-अलग योजनाओं

में से प्राथमिक स्तर (कक्षा 1– 4) की चार तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा 6– 12) की दो, इस प्रकार कुल छह योजनाओं का प्रदर्शन उत्तम श्रेणी का है। ये सभी योजनाएँ स्थानीय स्तर पर लक्षित वर्ग की जानकारी में हैं और अधिकतर सहरिया परिवार इनसे लाभान्वित हैं। वहीं दूसरी ओर लक्षित वर्ग की जानकारी तथा इनसे लाभान्वित परिवारों के अनुपात की दृष्टि से माध्यमिक स्तर (कक्षा 6–12) के विद्यार्थियों तथा सहरिया छात्राओं के लिए संचालित छह अन्य योजनाओं का प्रदर्शन अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। इन योजनाओं का सहरियों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पर बहुत सीमा तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यह एक संतोषजनक परिणाम है। इसके अतिरिक्त यदि इन योजनाओं का किशनगंज तथा शाहाबाद क्षेत्र के सहरियों में तुलनात्मक प्रदर्शन देखा जाए तो शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन 12 योजनाओं में से जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से क्रमशः आवासीय विद्यालयों के संचालन तथा सहरिया छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी वितरण की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाओं में शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा बेहतर है। जोकि एक ओर शाहाबाद क्षेत्र के सहरियों के लिए एक हर्ष का विषय है तो दूसरी तरफ किशनगंज के सहरियों के लिए चिंता का विषय है।

शोध अध्ययन के निष्कर्षों से जहाँ एक ओर सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर इसके कमज़ोर पक्ष भी उजागर हुए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन कमज़ोर पक्षों को कैसे सुधारा जाए? सहरिया विकास परियोजना से जुड़े जन-प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से भविष्य में यह आशा की जाती है कि वे सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित योजनाओं से सभी सहरियों को लाभान्वित करने का प्रयास करें।

सुझाव

राजस्थान में सहरिया आदिम समुदाय के शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन के संबंध में किए गए उपयुक्त तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें से अधिकतर योजनाओं का प्रदर्शन सहरिया छात्राओं तथा किशनगंज तहसील के सहरियों के लिए अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है जो इन योजनाओं के कमज़ोर पक्ष को उजागर करता है। अत: अब आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं को संशोधित कर वांछित लक्ष्यों को अर्जित करने योग्य बनाएँ तथा सहरिया छात्राओं और किशनगंज के सहरियों के शैक्षणिक विकास के संबंध में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का समुचित ढंग से समाधान किया जाए। इन बाधाओं के समुचित समाधानों के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

- योजनाओं का निर्माण सहरिया समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
- बालिका शिक्षा के प्रति सहरियों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास करने चाहिए।
- बालिका तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सुनियोजित ढंग से

प्रशिक्षित करके उन्हें स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अलग-अलग सुदूर तथा विषम भौगोलिक पारिस्थितिकी वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए।

- भविष्य में सहरिया विकास परियोजना से जुड़े नवीन शासकीय कार्यालयों की स्थापना किशनगंज क्षेत्र में की जाए।
- किशनगंज क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना करना और यहाँ पर पहले से संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा आश्रम छात्रावासों में आधुनिक सुविधाओं, जैसे— पुस्तकालयों, कक्षा-कक्षों, प्रयोगशालाओं तथा कंप्यूटर कक्षों आदि का पर्याप्त मात्रा में विस्तार किया जाना चाहिए।
- सुदूर वन तथा भौगोलिक विषमताओं वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन एवं विस्तार को बढ़ावा देना, ताकि वहाँ के वंचित लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके।
- किसी भी जनजाति अथवा वर्ग विशेष के सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपेक्षाकृत अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक रहता है। अत: किशनगंज क्षेत्र में बसने वाले सहरियों तथा सहरिया छात्राओं के मध्य शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के प्रयास किए जाने चाहिए।
- किशनगंज क्षेत्र में सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शनियों, नुक्कड़ नाटकों, वीडियो शो तथा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास करने चाहिए।

इस प्रकार सहरिया जनजाति के लोगों को पर्याप्त स्तर तक जागरूक करने की आवश्यकता है। एक विचारक ने कहा था कि, 'ज्ञान ही सभी प्रकार की शक्तियाँ अर्जित करने का एकमात्र साधन है।' जानकारी को एक अदृश्य शक्ति माना जाता है, जिस व्यक्ति अथवा समूह के पास अपेक्षाकृत अधिक जानकारी उपलब्ध है, वही व्यक्ति अथवा समूह अधिक सक्षमता और सक्रियता से कार्य कर सकता है अर्थात् जहाँ की जनता जितनी अधिक जागरूक होगी। उसके विकास की संभावनाएँ उतनी ही प्रबल होंगी। जागरूकता का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्तिगत व सामूहिक विकास दोनों से ही है। अत: इन जनजातीय समूहों के शैक्षणिक उत्थान के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने के पर्याप्त प्रयास अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए।

संदर्भ

गौतम, डॉ. एन. 2013. भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा— योजनाएँ तथा कार्यक्रम. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस*. वॉल्यूम IV, नंबर 04.

घोष, ए. के. 2007. झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के मध्य साक्षरता तथा शिक्षा में लैंगिक अंतराल. *सोशियोलॉजिकल बुलेटिन*. वॉल्यूम XVI.

जनजातीय कार्य मंत्रालय. *वार्षिक रिपोर्ट 2019–20*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

जैग्सा, वी. 2015. लेबर मार्केट एंड आदिवासिज़— एन ओवरव्यू. *कांफ्रेंस सीरीज़*. एस. आर. शंकरण चेयर. एन.आई.आर.डी., हैदराबाद.

दरीपा, एस. एम. 2017. ट्राइबल एजुकेशन इन इण्डिया— गवर्मेंट इनिशिएटिव एंड चैलेंजेस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन सोशल साइंसेज*. वॉल्यूम VII, इशू 10, अक्तूबर, 2017.

पटेल, एस. 1991. *ट्राइबल एजुकेशन इन इंडिया*. मित्तल पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

प्राइमरी सेंसस एब्स्ट्रैक्ट डाटा फ़ॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. *जनगणना 2011*. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफ़ेयर्स. ऑफ़िस ऑफ़ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ सेंसस कमिश्नर, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया.

मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफ़ेयर्स. 2013. *स्टैटिस्टिकल प्रोफ़ाइल ऑफ़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया*. गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया. www.tribal.nic.in

सती, वी. पी. 2015. *सहरिया ट्राइब— सोसायटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड हैबिटेशन, एनल्स ऑफ़ नेचुरल साइंसेज*. वॉल्यूम I(1).

लेखकों के लिए दिशा निर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध पत्र सॉफ्ट कॉपी (हिंदी यूनिकोड— कोकिला फ़ोंट में) के साथ निम्नलिखित पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें—

अकादमिक संपादक
भारतीय आधुनिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

लेखक या शोधार्थी अपना लेख या शोध पत्र प्रकाशन हेतु भेजने से पूर्व सुनिश्चित करें कि—

1. लेख या शोध पत्र सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख या शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
2. यदि आप अपने लेख या शोध पत्र को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हिंदी यूनिकोड फ़ोंट में बदलते हैं, तो बदले हुए लेख या शोध पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर एवं संपादित कर भेजें।
3. लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो।
4. शोध पत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक या शोध समस्या से संबंधित हो।
5. लेख या शोध पत्र में वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, उन नीतियों, योजनाओं, दस्तावेजों, रिपोर्टों, शोधों, नवाचारी प्रयोगों या अभ्यासों आदि को समावेशित करने का प्रयास करें।
6. लेख या शोध पत्र देश के किसी भी नागरिक की धर्म, प्रजाति, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद न करे।
7. लेख या शोध पत्र देश के नागरिकों की धर्म, जाति, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक विशेषताओं का बिना भेदभाव करते हुए न्यायसंगत सम्मान करे।
8. लेखक या शोधार्थी अपने लेख या शोध पत्र की मौलिकता प्रमाणित करते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दें।
9. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों में हिंदी यूनिकोड—कोकिला फोंट में टंकित हो।
10. यदि लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में तालिका एवं ग्राफ़ हो, तो तालिका की व्याख्या में उन तथ्यों या प्रदत्तों एवं ग्राफ़ का उल्लेख करें। ग्राफ़ अलग से Excel File में भेजें।
11. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें। चित्र अलग से JPEG फ़ार्मेट में भेजें, जिसका आकार कम से कम 300 dots per inch (dpi) हो।
12. संदर्भ सूची में वही संदर्भ लिखें, जिनका उल्लेख लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में किया गया हो।
13. यदि लेख या शोध पत्र में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उल्लेख किया गया है, तो संदर्भ सूची में वेबसाइट लिंक और पुन: प्राप्त (Retrieved date) करने की तिथि लिखें।
14. संदर्भ सूची में संदर्भ एन.सी.ई.आर.टी. के निम्न प्रारूप के अनुसार लिखें—

    पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40 - 41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

रजि. नं. 42912/84

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of NCERT Journals and magazines

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	₹ 35.00	₹ 70.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य व्यापार प्रबंधक, प्रकाशन प्रभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40-41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING